खण्ड-386, अंक-10
सोमवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1910
(11 अप्रैल, 1988 ई0)

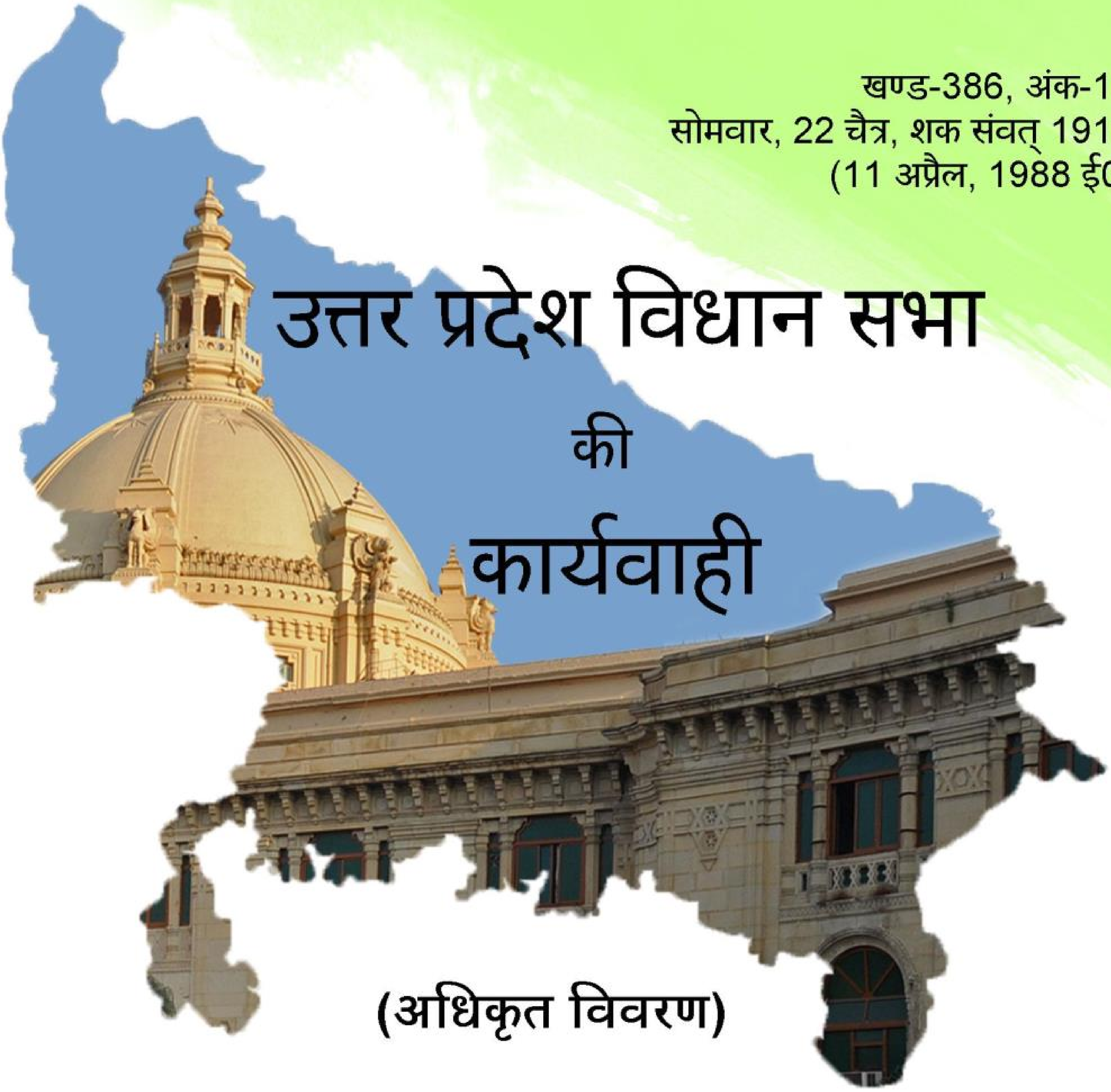

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1-58
विकास खण्ड अतरौलिया जिला आजमगढ़ के कईली ताल की जल निकासी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
जिला बाराबंकी के भानमऊ-सलेमपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जिला अलीगढ़ में गंगा नहर के कार्यक्षेत्र के माचुआ राजबहा की पटरी पर खड़ंजा लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
जिला आगरा के बरौली अहीर क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
जिला बरेली की फरीदपुर तहसील के रामपुर ग्राम में बिजली के तारों से हुई मौतों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
जिला आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जलभराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जिला फैजाबाद के ग्राम ताराखुर्द की भूमि विवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
ललितपुर के एस0एस0पी0 द्वारा अध्यक्ष लोकदल, ललितपुर की हत्या कराए जाने की साजिश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	62-64
आगरा की पेयजल समस्या के सन्दर्भ में शासन द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों को पूरा न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	64-69
उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन में प्रबन्ध निदेशक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70
बजट सत्र के दौरान मुख्य मन्त्री व अन्य मन्त्रीगणों के सदन से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70-73
हाई-स्कूल तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	73-74
लखनऊ के चौक मोहल्ले में स्थित मकान में भीषण आग लगने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	74-75
उ0प्र0 मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 में किए गए शाब्दिक संशोधन का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	75
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	75
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	76
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	76

विषय	पृष्ठ संख्या
बांदा जनपद की नरैनी तहसील मुख्यालय में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	76
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रामप्यारे सिंह, ग्राम गाजियापुर, दिवाकरपुर को नियमानुसार राजकीय सेवा में न लिए जाने सम्बन्धी याचिका (उपस्थित की गयी)	76
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	77–104
पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी पिछड़ेपन अशिक्षा और गरीबी को देखते हुए पूर्वांचल विकास परिषद् के गठन की मांग के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ..	104–135
राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के सम्पूर्ण कार्यकलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (चर्चा जारी)	135
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	135–137
विशेषाधिकार हनन/सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष के निर्णयों की सूचना	137–138
श्री कमलेश पाठक स0 वि0 सभा का श्री पूरन सिंह क्षेत्राधिकारी, औरैया इटावा के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	138–139
श्री मनोहर लाल स0वि0सभा के गृह मन्त्री एवं गृह सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	139–140
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी स0 वि0 सभा का महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	140–141
श्री रामआसरे वर्मा स0वि0सभा का संसदीय कार्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	141
कुमारी कृष्णा रावत स0वि0सभा का बन्थरा (लखनऊ) थाने के थानाध्यक्ष आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	142
डा0 दिनेश जौहरी एवं श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्यगण का सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	142
श्री सरदार सिंह स0 वि0 सभा का लखनऊ स्टेशन के रेल कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	143
श्री मनोहर लाल स0 वि0 सभा का गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	144
श्री विश्राम दास स0 वि0 सभा का राजस्व राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	144–145
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	145
आज की कार्य-सूची की शेष मदों का स्थगन	145–146
नत्थियां	147–153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
अजन सिंह, श्री	बांदा	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफीक)	बरेली
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद	राम लखन, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
गौरी शंकर, श्री	इटावा	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	श्याम लाल, चौधरी	जालौन
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	संजय सिंह, डा०	सुल्तानपुर
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
परमाई लाल, श्री	हरदोई	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
प्रेमपाल सिंह, श्री	एटा	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बालेश्वर, श्री	देवरिया	सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
भीखा राम, श्री	आजमगढ़	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
महमूदुल हसन अन्सारी, श्री	बिजनौर	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विभागों में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया तथा नियम व श्री नरेश चन्द्र सक्सेना मुख्य अभियन्ता राज्य सेतु निगम का प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का औचित्य

**1—श्री अचल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति की क्या प्रक्रिया व नियम हैं? क्या पांच वर्ष बाद भी प्रतिनियुक्ति जारी रह सकती है? यदि हां, तो कब तक? क्या पांच वर्ष बाद प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा? यदि नहीं, तो श्री नरेश चन्द्र सक्सेना, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को पांच वर्ष बाद भी प्रतिनियुक्ति पर रखकर प्रतिनियुक्ति भत्ता देने के क्या कारण हैं?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

टिप्पणी संलग्न है।

राज्य सेतु निगम की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और इसकी कार्यकुशलता व क्षमता बनाये रखने के लिए इस निगम में 5 वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों, जिनमें श्री नरेश चन्द्र सक्सेना भी सम्मिलित हैं, को वित्त विभाग की सहमति से दिनांक 31-3-85 तक प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसके पश्चात् निगम द्वारा अपने स्तर से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 147-149 पर)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रतिनियुक्तियां होती हैं, इसमें आपके यहां कोई सिद्धान्त निर्धारित है कि इतने समय तक होनी चाहिए या जिसमें रुचि हो उसका समय बढ़ा देते हैं?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मैं अपने लिखित जवाब में स्पष्ट कर चुका हूं कि कार्यकुशलता, विशेष परिस्थिति और उसकी विशेष उपलब्धि के लिए जरूरी होता है, उसके लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि वित्त विभाग की सहमति से 31-3-85 तक प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया गया है। उसके बाद निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निदेशक मंडल को यह स्वतः अधिकार मिल गया है कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव करके प्रतिनियुक्ति पर रख सकें?

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री सुखपाल पाण्डे स0 वि0 स0 की रुचि पर लिया गया।

श्री भोला शंकर मौर्य–

निदेशक मंडल ने जो प्रस्ताव किया है उसके बाद उनसे पूछताछ की गयी और अब जो प्रस्ताव किया है, शासन के विचाराधीन है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री सक्सेना के विरुद्ध विजिलेन्स या अन्य विभागीय जांच भी चल रही है? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है? दूसरी बात जब जांच चल रही है तो किस कार्य के हित में उनकी सेवा अवधि बढ़ाई गयी है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सेतु निगम में कौन-कौन से वरिष्ठ अधिकारी हैं जो प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर जो अधिकारी हैं उनमें श्री बृजेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता स्तर-एक, श्री एन0 सी0 सक्सेना, मुख्य अभियंता स्तर-दो, इसके अलावा अधीक्षण अभियन्ता सर्वश्री सुरेश चन्द्र वर्मा, एम0 एल0 पिंजानी, पी0 डी0 गुप्ता, प्रमोद कुमार अग्रवाल, डी0 एम0 गुप्ता हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्यकुशलता और अनुभव को देखते हुए प्रतिनियुक्ति में समय बढ़ाया जाता है। यह जो सक्सेना महोदय हैं चर्चित रहे कि इन्होंने इस बजट सेशन में काफी भाग-दौड़ किया और प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध काफी मसाला दिया था सदन के सदस्यों को, क्या इनकी इसी योग्यता को देखते हुए प्रतिनियुक्ति को बढ़ाया जाता रहा है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

इनके दो-दो बार एक्सटेंशन देने का औचित्य क्या है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न यह किया गया है कि कितनी बार विस्तार किया गया है, अगर दो बार किया है तो इसका औचित्य क्या है?

(प्रश्न संज्ञान में नहीं लिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर में परस्पर विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं कि प्रतिनियुक्ति के लिए सक्षम होने के लिए योग्यता चाहिए और तमाम गुणों का वर्णन कर दिया है, जब पत्रावली आयी तो पत्रावली को तो आपने देखा होगा। उसी पत्रावली में यह निहित है कि उनके खिलाफ एक जांच चल रही है। एक तरफ तो यह कहना कि पात्रता के अनुसार उनको देखना चाहिए और कार्यक्षमता को देखते हुए यह प्रतिनियुक्ति होती है और पत्रावली में लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं तो माननीय मंत्री जी का कहना कि इसके बारे में इनके पास सूचना नहीं है, गलत है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि जब एक विशेष अधिकारी के विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है तो उसको फिर प्रतिनियुक्ति पर भेजना, यह कहां का औचित्य है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जांच की प्रक्रिया और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया दोनों अलग-अलग चीजें हैं और दोनों की प्रक्रियाएं भी अलग-अलग हैं। इस संबंध में मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जहां तक जांच का सवाल है उसके लिए नोटिस की जरूरत पड़ेगी और प्रतिनियुक्ति पर वे पहले से ही चल रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

एक तरफ तो माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, फिर भी उनको प्रतिनियुक्ति पर रखते हैं मान्यवर, जिसकी चरित्र पंजिका ही दोषपूर्ण हो, ठीक न हो उसे कैसे आप प्रतिनियुक्ति पर पुनः ले सकते हैं? माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात होते हुए भी कि उस अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही है, प्रतिनियुक्ति पर उसे पुनः कैसे भेजा गया? मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। जब जांच चल रही है तो आपने जो प्रतिनियुक्ति के लिए नियम बनाये हैं, आपके जो मापदण्ड हैं उस नजरिये से आपने फिर प्रतिनियुक्ति क्यों की?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जहां तक जांच का सवाल है, मैंने यह नहीं कहा कि जांच चल रही है। मैंने कहा है कि इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। वैसे प्रतिनियुक्ति पर वे 1973 से हैं, कोई आज से नहीं हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या मेरी सूचना को सही मानकर माननीय मंत्री जी जो उनके विरुद्ध जांच चल रही है, क्या इस प्रश्न को आप स्थगित करेंगे कि सारी सूचना मंगा कर आप फिर सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भ्रष्ट अधिकारी के लिए माननीय मंत्री जी लीपा-पोती कर रहे हैं। ये तो शोषण करने के लिए बैठे ही हुए हैं। मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें और इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

स्थगित करने की तो बात नहीं है, आप सवाल पूछ लीजिये।

प्रश्नोत्तर

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, वे प्रश्न का जवाब दे ही नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिसके विरुद्ध जांच चल रही हो तो उसको किस आधार पर इन्होंने उसकी सेवा अवधि को बढ़ा दिया?

श्री भोला शंकर भट्ट–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, इनको संरक्षण मत दीजिये, इसको स्थगित कर दीजिये।

दूनागिरी तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थापित करने की मांग

**2–श्रीमती सरस्वती देवी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री जी अवगत हैं कि दूनागिरी, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में जड़ी-बूटियों का भंडार है ? यदि हां, तो क्या इस स्थान पर जड़ी बूटी के संरक्षण, विकास हेतु जनहित में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थापित करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि प्रस्तावित संस्थान की अंतिम रूपरेखा अभी निर्धारित होनी है।

श्रीमती सरस्वती देवी–

मान्यवर, प्रातः स्मरणीय स्व0 श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में एक भेषज शोध संस्थान के लिए स्थान का चयन द्वाराहाट में किया गया था, आज उसे उद्यान विभाग लेने जा रहा है। इस वर्ष हम प्रातः स्मरणीय स्व0 श्री गोविन्द बल्लभ पन्त जी का शताब्दि समारोह मना रहे हैं। उनकी याद में और उनकी भावनाओं के अनुरूप क्या माननीय मंत्री जी इस भेषज शोध संस्थान को बनाने पर विचार करेंगे, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि इस प्रकार के भेषज संस्थान और जगहों पर भी काफी बन गये हैं और आज हमारे यहां जड़ी-बूटियों का दोहन हो रहा है?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, संस्थान तो हम बनाने जा ही रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और जैसा कि माननीय विधायिका जी ने पूछा, रानीखेत में पहले से ही जड़ी-बूटियों से संबंधित आपका एक संस्थान कार्य कर रहा है। क्या इसके अंतर्गत दूनागिरी में इसका विस्तृत विकास करके, उसको जोड़ने की योजना बनाकर इसमें सम्मिलित करने का आश्वासन देंगे?

श्री राम अौतार दीक्षित–

मान्यवर, हम पर्वतीय अंचल में एक संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं। जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और हम इस पर शीघ्र ही कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, टिहरी गढ़वाल में जड़ी-बूटियों का बहुत बड़ा भण्डार है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज तक इन जड़ी-बूटियों का एक्सप्लायटेशन (दोहन) कौन लोग कर रहे थे। जो संस्थान माननीय मंत्री जी खोलने जा रहे हैं, क्या उसमें टिहरी गढ़वाल को भी शामिल किया जायेगा?

श्री राम अौतार दीक्षित–

मान्यवर, इसमें पर्वतीय अंचलों के जिले आ रहे हैं?

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटियों का भण्डार है। क्या माननीय मंत्री जी अपना कार्यक्रम उसी स्थान पर प्रारम्भ करेंगे जहां पर जड़ी-बूटियां उपलब्ध हैं, या फिर जहां जड़ी-बूटियां नहीं हैं, वहां पर कार्यशाला बनायेंगे और दूसरी जगह से जड़ी-बूटियों को वहां पर लाया जायेगा?

श्री राम अौतार दीक्षित–

मान्यवर, इसमें एक समिति बनाई गई है। जिसमें 4 सदस्य हैं। जिसकी अन्तरिम रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गयी है। उसमें प्रस्तावित जड़ी-बूटी संस्थान का उद्देश्य काफी वृहद है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध जड़ी-बूटियों पर शोधन प्रशिक्षण, संरक्षण व विपणन आदि शामिल हैं।

श्रीमती सरस्वती देवी–

मान्यवर, मैंने तो सीधा सा प्रश्न किया था कि प्रातः स्मरणीय स्व0 श्री गोविन्द वल्लभ पंत जी के मुख्य मंत्रित्वकाल में उस स्थान का चयन हो गया था, क्या उस स्थान पर माननीय मंत्री जी इस संस्थान को बनाने पर विचार करेंगे?

श्री राम अौतार दीक्षित–

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझको नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री सुखपाल पाण्डे जी आपने प्रश्न संख्या–1 पर अपनी रुचि व्यक्त की थी, इसलिए अब आप उस पर प्रश्न कर सकते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सपुस्तक तथा अपुस्तक परीक्षा-प्रणाली का अध्ययन

*1–श्री जनार्दन प्रसाद झा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बताएंगे कि विभाग ने प्रदेश के उच्च0 मा0 विद्यालयों के 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए सपुस्तक परीक्षा-प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, जब कि 10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए अपुस्तक परीक्षा प्रणाली ही चालू रहेगी ? यदि हां, तो यह विषमता क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी हां ।

सपुस्तक परीक्षा प्रणाली माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1985-86 से शैक्षिक मूल्यांकन परिक्षेत्र के अंतर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ की गई । अभी व्यवस्था का अध्ययन ही किया जा रहा है इसी कारण इसे 10वीं कक्षा में अभी लागू नहीं किया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झाझा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कि श्रीमन्, प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर जो विकृतियां हैं उनकी नजीर है कि एक ही स्कूल में एक कक्षा में लड़का पुस्तक के साथ परीक्षा दे रहा है और वही लड़का दूसरी कक्षा में जब जाता है और परीक्षा में बैठता है तो उसकी पुस्तक को हटा लिया जाता है ।

यह बात समझ में नहीं आती है कि यहां वर्ष 1985-86 से इसका परीक्षण चल रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 3 साल के परीक्षण के बाद अब सरकार किस नतीजे पर पहुंची है कि पाठ्यक्रम पुस्तक सहित रखेगी या पुस्तक रहित ?

श्री प्रवीर्ण कुमार शर्मा–

मैं मान्यवर माननीय सदस्य के संज्ञान में आपके माध्यम से यह बात लाना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाएं होती हैं, वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ही संचालित होती हैं और वही पाठ्यक्रम भी निर्धारित करता है, इसके अलावा जो शोध कार्य होते हैं या अन्य किसी प्रकार के जो डेवलपमेंट करने होते हैं, यह सारे कार्य भी इसी बोर्ड के अंतर्गत एक विभाग होता है, वह सब करते हैं, इसी प्रकार का एक प्रयोग वह कर रहे हैं कि यह प्रणाली लाभप्रद होगी अथवा नहीं और दूसरी बात जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छात्रों के मस्तिष्क के ऊपर अधिक भार न पड़े, क्योंकि अभी जैसा कि देखा गया है कि ज्ञान का बड़ा भारी विस्फोट हुआ है, इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि इससे देश और प्रदेश पूरी तरह से लाभांवित हो सके । 9वीं कक्षा में पहले इसे लागू किया था, 10वीं कक्षा में नहीं किया है । 9वीं कक्षा के रिसोल्ट के अनुसार कुछ परिणाम तो हमारे सामने आए हैं जो बहुत थोड़े हैं और 10वीं कक्षा की परीक्षा 2-3 दिन पहले हुयी है, इसके रिजल्ट आने पर ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर अब तक जो भी प्रयोग इनके हुए हैं, उनके नतीजों से यह सरकार बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। 10 वीं कक्षा का इम्तिहान जो अंतिम इम्तिहान होगा वह तो मान्यवर बगैर पुस्तकों के और जबकि 9वीं कक्षा जो छात्र पास होकर आयेंगे वह पुस्तकों के साथ तो मान्यवर यह कैसा विरोधाभास है इसमें अंतिम परीक्षा तो छात्र बगैर पुस्तकों के देंगे तो मान्यवर इस प्रकार से जो इनका मूल्यांकन होगा, वह सही नहीं हो सकता है, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी इसे 9वीं कक्षा से हटाकर 8वीं कक्षा से लागू

करेंगे । मान्यवर यह प्रयोग कोई नया नहीं है, 15 सालों पहले से इस पर विचार अन्य देशों में हो रहा है, और वहां उनको इस ओर सफलता प्राप्त हो गयी। हमारे यहां की गलत नीति के कारण विस्फोट हो रहे हैं इसका एक ही मुख्य कारण है वह यह कि यहां पर एक ही परीक्षा को दो तरह से संचालित किया जा रहा है, इस विसंगति और विरोधाभास को 9वीं व 10वीं कक्षा में क्यों किया जा रहा है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

यह सही है कि इस ओर प्रयोग काफी समय पहले से हो रहे हैं और दूसरी बात 9वीं कक्षा गृह परीक्षा है और 10 वीं जमात की परीक्षा पब्लिक इक्जामिनेशन है तो अभी एक प्रकार से प्रयोग तो हो रहे हैं, वह धीरे-धीरे, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं, उससे ऐसा आभास होता है कि जल्दी-जल्दी किया जाय तो धीरे-धीरे किया जा रहा है। चूड़ी जो पहनाई जाती है, वह धीरे-धीरे पहनाई जाती है और जल्दी की जाती है, तो वह टूट जाती है, तो इसी प्रकार से धीरे-धीरे परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ज्ञान का विस्फोट हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के दिमाग का दिवालापन हो गया है । यह नवीं कक्षा के छात्रों को सपुस्तक परीक्षा दिलवा रहे हैं और उन्हीं छात्रों को हाई स्कूल में बिना पुस्तक के परीक्षा दिलवा रहे हैं, तो इस प्रकार से बच्चों के ज्ञान को खोखला कर रही है यह सरकार, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रणाली को बन्द करने की कृपा करेगी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसके वर्क-शाप किये गये, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 तथा शिक्षा के बड़े-बड़े विशेषज्ञों ने वर्कशाप में भाग लिया, यह नैनीताल में आयोजित किया गया । इसमें अध्यापकों को भी प्रशि-क्षण दिया गया कि किस प्रकार से वे अध्यापन कार्य करें, प्रश्न पत्र छपवाकर जिले जिले में भेजे गये और अब इसके निष्कर्ष निकाले जायेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन छात्रों की परीक्षा सपुस्तक ली जायेगी और जिन छात्रों की परीक्षा पुस्तक के बिना ली जायेगी उनके ज्ञान में क्या अंतर होगा, इसके बारे में विशेषज्ञों की क्या राय है ? मानक में क्या फर्क आयेगा, क्या इसके बारे में रिपोर्ट आयी है, उसको आप सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, उनका कहना है कि छात्रों के बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी । बच्चों पर जो रटने का अनावश्यक बोझ था उसको कम किया जा रहा है ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सपुस्तक प्रणाली को किन आधारों पर अपनाया है, किन सिद्धान्तों पर अपनाया है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षायें लेता है और वही पाठ्यक्रम निर्धारित करता है और उसी ने इसको आवश्यक समझा है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रणाली रूस से अपनाई गयी है या इटली से अपनाई गयी है । अगर इटली की है, तो क्या माता जी की पालिसी को समाप्त करके बहू जी की पालिसी को अपनाया जा रहा है । क्या माता जी की पालिसी समाप्त हो गयी है और बहूरानी का राज्य शुरु हो गया है ? इसका उत्तर आप दिलवा दें ?

श्री उपाध्यक्ष–

वह उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, कक्षा 9 की परीक्षा सपुस्तक होती है और कक्षा 10 की परीक्षा कहने के लिये सपुस्तक नहीं होती है लेकिन इसमें भी खुले रूप में नकल होती है और उसमें रुपया पैसा भी चलता है, भ्रष्टाचार भी होता है । क्या इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, खुले रूप से अवैध रूप से जो यह कक्षा 10 में सपुस्तक परीक्षा हो रही है उसको बन्द करने के लिए दोनों परीक्षाओं में जो विसंगतियां, उसको समाप्त करने के लिए कक्षा 10 में भी आप सपुस्तक प्रणाली लागू करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, इसका जवाब दो भागों में देना पड़ेगा । पहला तो नकल से संबंधित है । हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । इस संबंध में एक घंटे की चर्चा भी है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह अभी प्रयोग के रूप में है और 9वीं कक्षा में भी यह प्रणाली चलाई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि इस प्रदेश में जब सपुस्तक परीक्षा प्रणाली है तो उसके बावजूद भी कोई पोजीटिव रिजल्ट उसके नहीं आ रहे हैं और उसका खामियाजा 10वीं कक्षा के छात्र भी भुगत रहे हैं । तो इन दोनों परीक्षाओं को छोड़कर मंथली टेस्ट्स के मूल्यांकन के आधार पर लड़कों को पास और फेल करने का निर्णय सरकार लेगी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया और आपने कहा कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, उसको देखते हुए जो हाई स्कूल का रिजल्ट अबकी आ रहा है जिन लड़कों ने 86-87 में इस तरह से परीक्षा दी है वे 10वीं कक्षा में क्या करते हैं, उसको देखना है । अभी उसका रिजल्ट नहीं निकला है । उसके बारे में अधूरा रिजल्ट देना अच्छा नहीं है । जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता, शैतान का होता है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ऐसे परीक्षार्थी जिनकी कापी परीक्षा केन्द्र का कोई अध्यापक लिख रहा हो, उसकी जानकारी देने पर माननीय मंत्री जी उसकी जांच करायेंगे ? दूसरी बात यह है कि अगर यह बात सिद्ध हो जाय कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कापी पर लिखे हो, तो क्या आप उस परीक्षार्थी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माननीय सदस्य किस क्लास की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

नकल की बात कह रहे हैं ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, गोरखपुर में बहुरीपार एक इंटर कालेज है वहां पर फतेह बहादुर सिंह नाम का एक परीक्षार्थी है जिसकी कापी वहीं के एक अध्यापक लिख रहे हैं। उसकी कापी मंगाकर आप देख लें और उसकी राइटिंग कापी से मिला लें । जांच के बाद आपको पता चल जायेगा कि उसकी कापी फतेह बहादुर सिंह ने लिखी है या नहीं । इस तरह से यदि फतेह बहादुर सिंह पास हों तो उसे अनुत्तीर्ण किया जाय और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय ।

(श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, यह इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर आप लिखित सूचना हमें दे दें तो इस पर अवश्य जांच करायेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि यहां पर प्रश्नकाल भी मंत्रियों के लिये परीक्षा की घड़ी होती है और उस समय वे तमाम फाइलें अपने साथ यहां पर लाते हैं और फिर भी उनके पास पर्चियां आती रहती हैं जिससे वे जवाब देते हैं । तो जब आप ही यहां पर ऐसा करते हैं तब लड़कों द्वारा ऐसा करने में क्या हर्ज है ? क्या यहां के लिये भी आप वही प्रणाली लागू करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं आज फिर वही शेर जैसा उस दिन निवेदन किया था आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं क्योंकि जैसा प्रश्न है लिखे मूसा पढ़े इंसा वाली बात है :–

"खिले गुलशने वफा में गुल नामुराद ऐसे,
न बहार ही ने पूछा; ना खिजा के काम आये।"

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से इसके उत्तर में कहना चाहता हूं :–

"तेरे बालों को देखा तो करार याद आया,
तेरा मुंह देखा तो कुछ और ही नजर आया।"

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सपुस्तक प्रणाली में शिक्षा के वातावरण में दूषण और प्रदूषण बढ़ेगा इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस सपुस्तक प्रणाली को समाप्त कर पहले जैसी प्रणाली ही लागू करेंगे या फिर परीक्षा प्रणाली को ही समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, ऐसा तो कोई विचार नहीं है कि परीक्षा प्रणाली को ही समाप्त कर दिया जाय ।

जनपद वाराणसी की चकिया तहसील के जंगलों की भूमि के खनन हेतु उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा लीज पर देने का प्रस्ताव

*2–श्री राज किशोर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के चकिया तहसील के जंगल में स्थित वृक्ष व वनस्पति विहीन कतिपय नग्न पहाड़ियों से पत्थर खनन संबंधी दो वर्ष से सचिवालय में लम्बित प्रस्ताव जिससे चकिया जंगल के हजारों भूमिहीन आदिवासी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जिंदगी जुड़ी हुयी है, केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या है ?

श्री राम अवतार दीक्षित–

जनपद वाराणसी की चकिया तहसील के अंतर्गत 319.33 है0 वन भूमि को खनन हेतु 10 वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि0, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-3-88 के द्वारा मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन) लखनऊ को प्राप्त हुआ है, जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । इसके पूर्व किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था से और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था । उपरोक्त स्थिति में विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल गोलमोल है। सन् 1980 में जो अधिनियम बना उसमें केन्द्र सरकार ने तमाम राज्यों को निर्देशित किया और एक सरकुलर किया जो प्रांतों ने किसी क्षेत्र में छूट दी है उसकी सूचना केन्द्र को भेजें। लेकिन हमारी सरकार ने कोई सूचना केन्द्र को नहीं दी जिसका परिणाम यह हुआ कि बनारस की चकिया तहसील के जंगलों में जहां बीसियों हजार आदिवासी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग पत्थर खोद कर अपनी आजिविका चलाते थे वह बंद हो जाने से भूखों मरने लगे हैं। लगातार पिछले तीन सालों से यह प्रश्न सदन में आ रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस पर शीघ्र कार्यवाही होगी। अब उत्तर आ रहा है कि खनिज विकास निगम की तरफ से 28-3-88 को प्रस्ताव आया है लीज पर देने के लिये। तो यह प्रस्ताव केन्द्र को कब तक चला जायेगा? एक प्रस्ताव आने में खनिज विकास निगम को तीन वर्ष लग गये।

श्री राम आँतार दीक्षित–

मान्यवर, इस संबंध में माननीय विधायक कई बार वन विभाग के अधिकारियों से मिले उनसे कहा गया कि कोई प्रस्ताव किसी पार्टी से आ जाय लेकिन नहीं आया अब अंत में खनिज निगम की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। एक महीने के अंदर यह भारत सरकार को चला जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि यह वन अधिनियम 1980 से लागू हुआ है और और यह भी उन्हें जानकारी है कि चकिया के उन जंगलों में हजारों ऐसे मजदूर हैं जो पत्थर तोड़ने का काम करते आ रहे हैं और उस पत्थर के ऊपर कोई वृक्ष सदियों से उगा ही नहीं है। इस बात को जानते हुए 8 वर्षों से जो खनन के काम में विलम्ब हुआ है, क्या मंत्री जी इसकी जानकारी करेंगे कि दोषी व्यक्ति कौन है जिससे विलम्ब हुआ और उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री राम आँतार दीक्षित–

मान्यवर, इसमें कोई विलम्ब हुआ ही नहीं है। जब खनन निगम द्वारा प्रस्ताव आया है तो उसको भेज रहे हैं।

श्री मित्र सेन–

मान्यवर, मंत्री जी को जानकारी है कि चकिया तहसील के उस पहाड़ी क्षेत्र में जो परिवार पत्थर तोड़ कर गुजर बसर कर रहे थे जिन्हें 8 वर्षों से वंचित कर दिया गया है, इसलिए क्या मंत्री जी इस बात का सर्वेक्षण कराकर जानकारी करेंगे कि कितने परिवार पत्थर तोड़कर गुजर बसर कर रहे थे और आज अब उनके पास क्या जीविका के साधन हैं?

श्री राम आँतार दीक्षित–

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझे है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस खनन के काम में कितने परिवार लगे थे जिनकी मुख्य जीविका वही थी, क्या ऐसे परिवारों की जानकारी प्राप्त करके भविष्य में काम देने की गारन्टी देंगे?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, खनन निगम से पट्टा किया जा रहा है, जिसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की जा रही है और उन मजदूरों को काम पर लेने की ही बात की जा रही है।

दूधवा नेशनल पार्क में की गयी नियुक्तियां तथा नियुक्तियों में अनुसूचित जनजाति का कोटा

*3–डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क में वर्ष 87-88 में 15 फरवरी, 1988 तक कितनी अस्थायी/स्थायी नियुक्तियां विभिन्न संवर्गों में हुई हैं और यह नियुक्तियां किन-किन अधिकारियों द्वारा की गयी हैं? क्या इन नियुक्तियों में संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का निर्धारित आरक्षण कोटा पूर्ण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम आंतार दीक्षित–

केवल समूह "घ" में 16 अस्थाई नियुक्तियां की गई। 10 नियुक्तियां श्री0 जी0 सी मिश्रा तथा 6 नियुक्तियां श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक, दुधवा पार्क द्वारा की गई। नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूर्ण है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें मैं एक-एक करके तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न है कि यह जो दो टुकड़ों में चयन हुआ 10 एक बार और 6 एक बार चयन हुआ और नियमित किया गया, क्या इन्हें अनुमोदित चयन समिति द्वारा किया गया था अथवा सीधे-सीधे निदेशक ने अपने द्वारा चयन किया था?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, निदेशक द्वारा किया गया था।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, जो शासनादेश है और नीति भी है कि कोई भी नियुक्ति, चयन जो हो वह बिना अनुमोदित चयन समिति के नहीं होनी चाहिए और यह सीधे निदेशक द्वारा जो चयन किया गया है, क्या इसमें निदेशक महोदय दोषी नहीं हैं, यदि हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही शासन ने किया?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, यह पहले डेली वेजेज में क्लास फोर्थ के मजदूर हैं, डेली वेजेज पर जो लगे थे उन्हें जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे हैं उनको रेगुलर कर दिया गया।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, डेली वेजेज के हों या दूसरे जब नियमितीकरण की बात आ गयी तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह नियम बना है कि विभाग में तीन सीजन लगातार डेली वेजेज पर काम कर चुके हैं इनका नियमितीकरण करेंगे, तो जो 10 नियमितीकरण किया गया है वह तीन सीजन से ज्यादा काम कर चुके हैं या तीन से कम?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

इस संबंध में मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है कि जब कभी डेली वेजेज में काम करने वाले लेबर हों और उस विभाग में भर्ती करने हो तो उन्हीं से कर ली जाएगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इस सिद्धान्त की बात आपने कही है, उसे क्या सभी विभागों पर लागू करोगे ? यानी जहां जगह खाली हो, डेली-वेजेज में लोग काम करते हों, तो नई नियुक्तियां करने के लिए कोई चयन समिति नहीं होगी, कोई साक्षात्कार नहीं होगा? (व्यवधान) यह तो बहानेबाजी है, जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है, उसके लिए स्पष्ट निर्देश है कि एक चयन समिति होगी, उसमें डेली-वेजेज के लोग भी रखे जायेंगे और इसमें जो इस तरह से निदेशक ने कर लिया है, उसमें सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की बू आती है और इसमें साफ तौर से पर्याप्त धन-दोहन उनके द्वारा किया गया है? तो क्या इस मामले में आप जांच करायेंगे?

श्री राम औतार दीक्षित–

इसमें जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मेरा आरोप है। आप हमें संरक्षण दीजिए, नियुक्ति हुई, नियम के विरूद्ध हुई, शासन के निर्धारित नियमों के विरूद्ध हुई, कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, कोई विज्ञप्ति नहीं हुई, जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनका कोटा पूरा करने, उनको लेने का प्रयास नहीं किया गया, साथ ही इम्पलाएमेंट एक्सचेंज से अभ्यर्थियों के नाम नहीं लिये गये, इसके बाद भी मंत्री जी कहते हैं कि जांच की आवश्यकता नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष–

वह कहते हैं कि सब नियमानुसार हुआ है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं मंत्री जी से उनके प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं- आपने कहा ज0 लोगों की जो नियुक्तियां की गई उसमें सीधे-सीधे नियुक्ति की गई, चयन समिति द्वारा नहीं की गई, इसमें कितना हरिजनों का कोटा पूरा किया गया? और जिन लोगों की सीनियारिटी का उल्लंघन करके लिया, इसके बारे में सूचना के लिए कहा गया है, तो जब तक आप सूचना एकत्र करेंगे तब तक क्या आप इन नियुक्तियों को अवैध करार देंगे ? जब तक इसकी सूचना उपलब्ध करायें, इसको निरस्त करने की कृपा करेंगे?

श्री राम आंतार दीक्षित–

जहां तक अनुसूचित जाति के कोटा की बात है, यह कोटा यों 18 प्रतिशत का निर्धारित है, लेकिन हमारे यहां यह 24 परसेंट है. . . . (व्यवधान) आप बात तो हमारी सुन लीजिए। जहां तक अनुसूचित जाति का जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को नोट करा रहा हूं। कुबैर सिंह- पिछड़ी जाति, माया राम वर्मा, पिछड़ी जाति, विश्वनाथ अनुसूचित जाति, प्रभु दयाल अनुसूचित जाति, लक्ष्मी- अनुसूचित जाति, डालचन्द पिछड़ी जाति, आलोक रंजन दास व गिरधारीलाल-अनुसूचित जाति।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मैंने जो प्रश्न किया था और माननीय सदस्य जनार्दन प्रसाद ओझा और रघुवर दयाल वर्मा जी ने उस पर जो प्रश्न किये, किसी भी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मंत्री जी द्वारा नहीं आया है। मेरी निश्चित जानकारी है- मैंने यह भी पूछा था कि तीन सीजन जो कार्य कर चुके हैं उनको नियमितीकरण करेंगे?, किन्तु जिन्होंने तीन बार ही नहीं 8 बार काम किया है उनकी नियुक्ति न करके एक या दो बार सीजन में काम करने वालों की नियुक्तियां की गई हैं? और जिस समय यह 10 नियुक्तियां की गई उसके बाद आरक्षण कोटा पूरा था, तो इसमें कितने अनुसूचित जाति के थे, ताकि कोटा पूरा हो जाता. . . (व्यवधान)

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य को भ्रष्टाचार शब्द से बड़ा लगाव हो गया है मैं माननीय सदस्य को पूरा विवरण देना चाहता हूं मान्यवर, दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत समूह-घ में 82 पद स्वीकृत हैं और 161 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 41 कर्मचारी. . .

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

हम यह नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह 10 के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, बार-बार कौशल जी ने पूछा तथा अन्य सदस्यों ने भी पूछा कि 10 नियुक्तियां निदेशक ने जो कीं, उसमें अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी लिये गये ? इसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया । जो विवरण यह पढ़ रहे हैं यह 10 नियुक्तियों के बारे में है, या इससे परे है ? यह कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करें । जो लोग डेली वेजेज पर कार्य करते थे, उसमें से वरिष्ठता सूची के आधार पर लिया गया, या मनमाने ढंग से लिया गया यह मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री राम औतार दीक्षित–

जिस वक्त माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था उस वक्त माननीय सदस्य ने मुझसे यह प्रश्न किया था कि "क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क में वर्ष 87-88 में 15 फरवरी, 1988 तक कितनी अस्थायी/स्थायी नियुक्तियां विभिन्न संवर्गों में हुई हैं और यह नियुक्तियां किन-किन संवर्गों में हुई हैं और यह नियुक्तियां किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई हैं ।" तो मान्यवर, मैंने अधिकारियों के नाम बता दिए । दूसरा प्रश्न उठता है "क्या इन नियुक्तियों में संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का निर्धारित आरक्षण का कोटा पूर्ण किया गया था ।" तो दूसरे प्रश्न के बारे में मैं कह रहा हूं कि 18 परसेन्ट के अलावा मेरे यहां तो कोटा 24 परसेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह दस के बारे में पूछ रहे हैं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

आपसे मान्यवर निवेदन है कि जितने अनुपूरक प्रश्न मैंने किए तथा और लोगों ने जो प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं आया। तो इसको आप स्थगित कर दें और जो पूछा गया है उसकी सूचना आ जाए ।

श्री राम औतार दीक्षित–

स्थगित करने का मान्यवर, प्रश्न ही नहीं उठता है, जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर देने को मैं तैयार हूं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जो डाली वेजेज लोग थे उनकी वरिष्ठता क्रम का ध्यान रखा गया? मान्यवर, जिन लोगों ने तीन सीजन पूरे कर लिए थे उनको नियमित नहीं किया गया और जिन लोगों ने एक-दो सीजन पूरे किये थे उनको नियमित कर दिया गया, वरिष्ठता क्रम से नियमित नहीं किया गया, इसकी आप जांच करा लें ?

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, आप एक सवाल पर चर्चा करा रहे हैं हमारे सवालों का क्या होगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि श्रम विभाग की राजाज्ञा है और सीधे निर्देश दिये गये हैं सभी निगमों के निदेशकों को, कि जब कोई नयी नियुक्ति की जाएगी, उस समय विभाग में अप्रेन्टिस या वरिष्ठतम लोग मौजूद हैं तो वरीयता उनको दी जाएगी । एक दूसरा भी शासन का आदेश है कि निगम या निदेशक नियुक्ति में वरिष्ठता और अप्रेन्टिस को वरीयता देने के लिए बाध्य नहीं हैं । अगर यह चीज आपके संज्ञान में है तो इसका उत्तर दे दें। अगर नहीं है तो इन दोनों आदेशों में जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए जो श्रम विभाग की राजाज्ञा है उसको निगमों और निदेशालयों में पालन कराने की कृपा करेंगे और पुराने लोगों, वरिष्ठ और अप्रेन्टिस वाले लोगों की नियुक्ति में वरीयता देंगे ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, इस प्रश्न के संबंध में जो प्रश्न किये गये उनके उत्तर सही नहीं आये हैं। निदेशक ने डायरेक्ट नियुक्तियां कर ली हैं। कोई चयन समिति नहीं बनायी गयी है, पदों को विज्ञापित नहीं किया गया है, वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है इम्पलायमेंट से नाम नहीं मांगे गये हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें ताकि सारी स्थिति सामने आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य की भावनाओं को देखते हुये मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित करता हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश में हर्ब डेवलपमेंट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन बनाने की मांग

*2–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री तमिलनाडु व महाराष्ट्र प्रदेशों की भांति उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्र में पायी जाने वाली जड़ी बूटी के व्यापार के लिए हर्ब डेवलपमेंट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

प्रश्नोत्तर हेतु सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक परिवेश के संबंध में मैंने प्रश्न पूछा था। उसका उत्तर आया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह प्रश्न 7वें सोमवार के लिए स्थगित हुआ था। डेढ़ महीने में तो दुनियां के किसी कोने से सूचना एकत्रित हो जाती, अगर दिलचस्पी ली गयी होती। मान्यवर, करण 31 में यह व्यवस्था है कि अगर एक बार प्रश्न स्थगित किया जाता है तो 2 सप्ताह बाद उसका उत्तर दिया जायगा अगर उत्तर नहीं दिया जा सकता है तो मंत्री को उसका कारण बताना होता है। तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस संबंध में आप कड़े निर्देश देने की कृपा करें।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, दूसरे प्रदेशों की सरकारों से जानकारी प्राप्त करने के बारे में लिखा गया है। हम उसके लिये पत्राचार कर रहे हैं। अभी 22 मार्च को तामिलनाडु तथा महाराष्ट्र को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। जब तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि मेरा पत्र लेकर, मैं उनका किराया दूंगा, चले जायं और जानकारी ले आयें।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, जब यह प्रश्न स्थगित हो गया था तो 2 सप्ताह में उत्तर देना चाहिए था। रही पैसे की बात तो मंत्री जी किसी अधिकारी या कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर भेज देते तो उत्तर आ जाता। मुझे भेजने की क्या आवश्यकता है मैं तो मंत्री जी के साथ चलने के लिए तैयार हूं, दोनों चलकर उत्तर ले आयेंगे।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारी बात मानते हैं। सूचना एकत्र करने के लिए आप स्टेट प्लेन को भेजकर सूचना मंगा लें और अगले सोमवार को उत्तर दे दें। पाजामा लेने के लिए सब्जी लेने के लिए हेलीकाप्टर और स्टेट प्लेन इस्तेमाल किया जाता है तो सूचना मांगने के लिए इस्तेमाल करें। रोज दिल्ली और लखनऊ आते जाते हैं तो जनहित में, पर्वतीय विकास के हित में, माननीय माहरा साहब के हित में स्टेट प्लेन से चले जायं या अधिकारी को भेज दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसमें सूचना जल्दी मंगा लीजिए।

मथुरा जनपद में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स उद्योग

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा में ताज ट्रिम्पोजियम के कारण मात्र इलेक्ट्रानिक्स के ही कारखाने लगाये जा सकते हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा वर्ष 88-89 में कौन-कौन इलेक्ट्रानिक्स उद्योग मथुरा में लगाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मथुरा जनपद का जो क्षेत्र ताज ट्रिपेजियम के अंतर्गत आता है वहां इलेक्ट्रानिक्स तथा अन्य प्रदूषण रहित उद्योग लगाये जा सकते हैं।

सीमित संसाधनों के कारण वर्ष 1988-89 में शासन द्वारा कोई इलेक्ट्रानिक्स अथवा अन्य प्रदूषण रहित उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करना प्रस्तावित नहीं है, वरन निजी क्षेत्र के उद्यमियों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि मथुरा में जो कारखाने धुआं निकालते हैं, वे ताज के कारण नहीं लगाये जा सकते। माननीय मंत्री जी ने एक साल पहले आश्वासन दिया था कि जहां पर धुआं वाले कारखाने नहीं लगाये जा सकते थे, वहां पर एलेक्ट्रानिक्स कारखाने लगाये जायेंगे, लेकिन गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कोई भी एलेक्ट्रानिक्स के कारखाने लगाने हेतु प्राविधान नहीं किया गया है। तो क्या शासन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में कोई एलेक्ट्रानिक्स का कारखाना लगाने का प्राविधान करेगा। मान्यवर, आप रिफाइनरी की बात कहेंगे कि हमने रिफाइनरी लगा दी है, लेकिन इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। अतः आप रिफाइनरी के साथ पेट्रो-केमिकल्स कारखाने लगा दें, तो कुछ मथुरा के लोगों को फायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और आप पेट्रो-केमिकल्स कारखाने दूर-दूर ले गये।

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रोत्साहन दे रहा हूं और उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि मथुरा में वे कारखाने उद्योग लगायें और इसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जब उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत किया था, तो उस समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि वह आगरा में इस प्रकार के उद्योग को प्रस्तावित करेंगे और इसीलिए हम लोगों ने उसको स्वीकार भी किया था कि आगरा में आप उसको खोलवा रहे हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आप आगरा में कारखाना खोल रहे हैं, उसकी योजना क्या है और उस योजना को कब तक चालू कर देंगे ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था कि आगरा में वर्ष 1990 तक एक एलेक्ट्रानिक्स का उद्योग लगवायेंगे और उसके बारे में मैं प्रयत्नशील हों और मेडिकल से संबंधित एक उद्योग 1990 तक अवश्य वहां पर लग जायगा।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि मथुरा में सरकार की ओर से क्या एलेक्ट्रानिक्स का कारखाना लगा रहे हैं, तो आपने कहा कि हम निजी क्षेत्र के उद्यमियों को कारखाना लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इसमें क्या-क्या दिक्कतें हैं और दूसरे निजी उद्यमियों को आप क्या-क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे मथुरा के लोगों को लाभ हो सके ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मथुरा जनपद में स्थापनार्थ प्रस्तावित एलेक्ट्रानिक व अन्य प्रदूषण रहित उद्योगों की सूची मेरे पास है, मैं आपकी अनुमति से इन सारे लोगों के नाम बताये दे रहा हूं।

(1) मेसर्स त्रिवेदी इंजीनियरिंग वर्क्स लि0 कैलाश द्वितीय तल, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली । (2) मेसर्स सिमको लि0, ई0 सी0 ई0 हाउस, तृतीय तल, 28-ए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली । (3) मेसर्स निरंजन लाल दलाल, 669/5-एक नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली । (4) मेसर्स विजय कुमार कटियाल, ए/9/137 सफदरगंज, इनक्लेव, नई दिल्ली। (5) मेसर्स आन्ध्र सिमेंट को0 लि0 टिम्बर हाउस, चतुर्थ तल, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली । (6) मेसर्स आगरा आयल प्राइवेट लि0, नरेन, हाथरस रोड, आगरा । (7) वी0 पी0 आयल मिल्स लि0 मैथान, आगरा । (8) निरंजन लाल राय, 2/14, इस्टपटेल नगर, नई दिल्ली । (9) आई0 ओ0 सी0 लि0, आई0 ओ0 सी0 भवन, जनपथ, नई दिल्ली । इन लोगों के आशय के पत्र मिल चुके हैं। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं कि ये लोग जल्दी से मथुरा में अपनी इण्डस्ट्री लगायें ।

जनपद फैजाबाद में किसानों को निःशुल्क बोरिंग की धनराशि के भुगतान की मांग

*4–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में पिछले कई वर्षों की निःशुल्क बोरिंग की छूट लगभग 60 लाख रुपये से अधिक की धनराशि अभी तक सम्बन्धित किसानों को न मिलने के कारण न तो वे इंजन (पंपिंग सेट) खरीद पाये हैं और न उन बोरिंग से सिंचाई ही हो पा रही है उल्टे उन किसानों पर ब्याज की रकम बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और सभी सम्बन्धित किसानों को छूट की रकम अविलम्ब दिलाने तथा भविष्य में बोरिंग के साथ-साथ छूट की रकम संबंधित किसानों को दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही महत्व का है और किसानों से सम्बन्धित है। 20 जनवरी को इस प्रश्न की पहली बार सूचना दी गयी। एक बार माननीय मंत्री जी ने स्थगन ले लिया। यह केवल एक जिले का मामला है। मान्यवर, सारे किसानों को जिनको छूट का पैसा नहीं मिला है, उसकी वजह से न तो वे पम्पिंग सेट खरीद पा रहे हैं और न बोरिंग कराया है उसका सिंचाई के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक जिले से, फैजाबाद से उन्हें सूचना मंगाने के लिए कितना समय लगेगा और उन किसानों को यह छूट का पैसा कब तक दिलवा देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी की बात से सहमत हूं कि सूचना समय के अन्दर आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें कुछ लापरवाही किया है, जिला स्तर के अधिकारियों ने, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है और जल्दी ही यह सूचना मंगाकर सदन को अवगत करा दूंगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फ्री बोरिंग में धोखा-धड़ी की शिकायतें जिलों से आ रही हैं। पुराने बोरिंग को नई बोरिंग दिखाकर पैसा लेने की शिकायतें आ रही हैं और पुरानी ही नहीं और बोरिंग दिखाकर छूट लेने की शिकायतें आ रही हैं क्या यह भी एक कारण है जिसमें जांच कर रहे हैं, जिससे विलम्ब हो रहा है रुपया देने में ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। जितना लक्ष्य निर्धारित था फैजाबाद में, उससे अधिक बोरिंग वहां हो चुकी है। इसलिए यह सही है कि इन किसानों को जो अनुदान अनुमन्य था, वह उपलब्ध नहीं हो पाया है।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं चाहूंगा और सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि जो निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था है इसमें संबंधित अधिकारियों को आप इस तरह के आदेश दें कि वे उस क्षेत्र के सदस्यों को बतावें कि निःशुल्क बोरिंग उस क्षेत्र में कहां करायी गयी है और किन-किन व्यक्तियों को कितनी सहायता दी गयी है। इस तरह से जो तमाम शिकायतें आ रही हैं कि निःशुल्क बोरिंग फर्जी की गयी है तो सम्मानित सदस्यों को इसकी जानकारी होगी और वहां की जनता को इससे सुविधा हो सकेगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य, जिला स्तर पर इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

रानीखेत में खेल कूद संस्थान व स्टेडियम खोलने की मांग

*5—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या मुख्य मंत्री ने रानीखेत में खेल कूद संस्थान व स्टेडियम खोलने की घोषणा की है? क्या रानीखेत में स्थित एन0 सी0 सी0 ग्राउण्ड जिसे रक्षा विभाग उ0 प्र0 सरकार को नब्बे साल लीज पर देने को तैयार है, का उपरोक्त संस्थान व स्टेडियम के लिए चयन कर लिया गया है ? उपरोक्त खेल कूद संस्थान व स्टेडियम कब तक बन कर तैयार हो जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम औतार दीक्षित—

जी नहीं । रानीखेत में स्टेडियम निर्माण हेतु रक्षा विभाग अपनी भूमि को 90 साल लीज पर देने को तैयार है, किन्तु भूमि के चयन तथा स्टेडियम के निर्माण का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्टेडियम के निर्माण का निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, यह तो विश्वसनीयता पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है क्योंकि आकाशवाणी से 2 बार घोषणा हो चुकी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी रानीखेत में खेलकूद संस्थान और स्टेडियम का निर्माण करायेंगे और इसमें माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि रक्षा विभाग 90 साल के लिए अपनी भूमि को लीज पर देने के लिए तैयार है। तब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह भूमि जो 90 साल के लिए देने जा रहा है इस पर कोई कालोनी बनायेंगे या मकान बनायेंगे यह 90 साल के लिए किसलिए देने जा रहा है, या स्टेडियम आप बनाने जा रहे हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, 90 साला भूमि देने के लिए रक्षा विभाग तैयार है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर स्टेडियम का भी निर्माण करा दिया जायेगा ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसकी जानकारी ली होगी कि 90 साला लीज पर देगा या नहीं देगा । स्टेडियम बनाने के लिए आपके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वस्त करेंगे कि वित्तीय संसाधन होने पर रानीखेत में स्टेडियम का निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, मैं उनको पूरा आश्वासन देता हूं कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर रानीखेत में स्टेडियम जरूर बनवा दिया जायेगा ।

राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश, जनपद देहरादून की अधिग्रहीत भूमि पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा

*6–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश, जनपद देहरादून को महाविद्यालय हेतु जमीन दान में दी गयी थी ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग द्वारा उक्त समस्त भूमि का अधिग्रहण कर भवन छात्रावास तथा अध्यापकों के आवास इत्यादि बना लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि दान स्वरूप दी गयी भूमि पर विभाग द्वारा किसी एक भूखण्ड का कब्जा नहीं लिया गया है तथा विभाग की साजिश से अनधिकृत व्यक्ति काबिज हो रहे हैं ? यदि हां, तो उसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जी हां ।

महाविद्यालय का स्थायी भवन बन चुका है। प्राध्यापक/कर्मचारी आवासों के आगणन तैयार कराये जा चुके हैं।

सीमित संसाधनों के कारण नहीं बन पाये ।

कुछ भाग पर कब्जा लेना शेष है।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के सभी उठाये गये बिन्दुओं पर अपना उत्तर दिया, परन्तु जो एक मुख्य प्रश्न है और जिसकी मुझे निश्चित जानकारी है कि दान दाता स्व0 शांति प्रपन्न शर्मा जी ने वह भूमि डिग्री कालेज के लिए दी थी, ऋषिकेश, जिला देहरादून को और मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रिंसिपल या अन्य अधिकारियों के कारण अभी तक बहुत से भूभाग पर कब्जा न होने के कारण वहां पर अन्य लोगों ने अपने मकान बनवा लिये हैं, जिसके कारण से डिग्री कालेज की जो भूमि है, उस पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और उसके कारण मान्यवर, वहां पर अन्य लोगों ने अपने मकान बनवा लिये हैं। तो मैं आपके माध्यम से मा0 शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों ने इस प्रकार से अवैध कब्जे कर लिये हैं, उनको तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे और वहां पर डिग्री कालेज के लिए कब्जा लेकर भवन बनाने का निर्णय लेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जो मा0 नौटियाल जी ने जानना चाहा और बताया, वहां पर पंडित ललित मोहन शर्मा पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट, ऋषिकेश ने जो राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश है, उसको दान स्वरूप जमीन दी थी, लेकिन मान्यवर, 20-8-73 को श्री शांति प्रपन्न शर्मा और जो शिक्षा सचिव थे, उनके बीच में जो गिफ्ट डीड लिखी गयी थी, उसमें एक खसरा नम्बर गलत लिख गया था और उसके कारण से यह सब परेशानी हुई है। जिसका डा0 साहब ने उल्लेख किया, बड़ा ही चिन्ताजनक विषय

है। उसके बारे में लिखा पढ़ी हुई और अन्त में यह स्थिति निकली है कि जो गिफ्ट डीड है, शर्मा जी तो मर गये, अब उनके लड़के अशोक सब काम देखते हैं, अब जाकर दस्तखत हुए हैं। पहले दस्तखत गलत हो गये थे। इसमें गवर्नर की ओर से प्रमुख सचिव के दस्तखत होने चाहिए थे। उनके दस्तखत हो गये हैं, अशोक जी के भी दस्तखत हो गये हैं। इसी 21 तारीख को सारा काम पूरा हुआ है और रजिस्ट्री के लिए गया है। इसमें बहुत जल्द सारी कार्यवाही करके कब्जा के आगे की कार्यवाही होगी। भवन बन गया है। जो आपने बात कही, आवास के बारे में आगणन भेजा गया है। यह पहले चिन्ता का विषय था, लेकिन अब बहुत जल्द सारे काम हो जायेंगे।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी और मा0 नौटियाल साहब दोनों को एक कमरे में बन्द कर दिया जाय और वहां की ताली लेकर आपके हवाले कर दी जाय और ताली खो जाय तो क्या होगा, यह दोनों से मालूम कर लें।

(हंसी)

जनपद गोण्डा के राजा सगरा–रामपुर खरहटा मार्ग को पूरा करने की मांग

*7–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास राज्य मंत्री के आदेश पर ग्राम–रामपुर खरहटा, क्षेत्र समिति--बजीरगंज, जनपद–गोण्डा के राजा-सगरा--रामपुर खरहटा मार्ग को पूर्ण कराये जाने के संदर्भ में संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास ने जिला अधिकारी, गोण्डा को अप्रैल/मई, 1986 में कोई आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत मार्ग के संदर्भित अंश को शीघ्र पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। प्रश्नगत मार्ग की कुल स्वीकृत लम्बाई 2.4 किलोमीटर थी, जो पूर्ण है। 250 मीटर की अतिरिक्त लम्बाई को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु जिला स्तर पर व्यवस्था कर दी गई है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, एक ही मार्ग है, जिसके बारे में यह प्रश्न किया गया राजासगरा–रामपुर खरहटा मार्ग। मान्यवर, यह 250 मीटर कम बनाया गया। 250 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा गांव नहीं है। 250 मीटर उसे और बनाने के लिए अपेक्षा है, 2.56 कि0मी0 सड़क बनती, तो वह पूरा होता। उसको 250 मीटर कम बनाया गया है। माननीय मंत्री जी का जो आदेश है, उसका पूरा अनुपालन नहीं किया गया है। क्या माननीय मंत्री स्वयं जो उन्होंने आदेश दिया था, उसका पूर्ण रूप से अनुपालन कराने के लिये, 250 मीटर और बनवाकर इस मार्ग को पूर्ण करवा देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी उत्तर देख लें, उत्तर में ही है कि धन की व्यवस्था की जा रही है, इसको पूरा कराने के लिये ।

जनपद मथुरा के राधेरा बाया फराहरी मार्ग के निर्माण में अनियमितता

*8–श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री जगवीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के छाता ब्लाक में छाँकरवास से राधेरा बाया फराहरी मार्ग का निर्माण वर्ष 1986-87 में छाता-ब्लाक द्वारा कराया गया था जिसकी निश्चित मापदण्ड के अनुसार न बनाये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25 जनवरी, 1988 को बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में की थी और माननीय श्री नरेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री बीस-सूत्रीय के निर्देश के अनुसार इस मार्ग का निरीक्षण प्रश्नकर्ता व श्री राम जी लाल शर्मा, ए0 पी0 डी0 ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा व बी0 डी0 ओ0 छाता ने दिनांक 27 जनवरी, 1988 को संयुक्त रूप से किया था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर पायी गयी अनियमितताओं के बारे में शासन कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है। खण्ड विकास अधिकारी, छाता के विरुद्ध जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मेरी सूचना को सही मानते हुए, छोंकरवास से फराहरी मार्ग जो बना है, इसमें एक लाख पैंतीस हजार का पेमेंट हुआ है, उसमें से 40 हजार रुपये भी खर्च नहीं हुआ । जितनी मिट्टी पड़ी है, उसको नपवाकर, जो अतिरिक्त धनराशि का गबन किया गया है उसकी वसूली का निर्देश संबंधित अधिकारियों से देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इस सड़क के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें यह है कि गड़बड़ी की गयी है और, इसीलिये अवर अभियंता को निलम्बित किया गया है । बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ जांच करा रहे हैं, अगर बी0 डी0 ओ0 दोषी पाये जायेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, शिकायत सही पायी गयी, दोषी लोगों को सस्पेंड कर दिया, उसके 2–4 महीने बाद फिर उन्हें बहाल कर दिया जाता है । लेकिन जो सरकारी धन का दुरुपयोग है, उसका हिसाब किताब नहीं हो पाता है । तो इसमें जो लाखों रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, उसमें रिकवरी का आदेश देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जांच में अगर पाया गया कि धन का दुरुपयोग किया गया है, धन का अपहरण किया गया है, तो उनसे वसूली की जायेगी । इसमें मुनासिब जो सजा होगी वह सब दी जायेगी ।

बस्ती जनपद के उप विद्यालय निरीक्षक तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के यात्रा भत्ते

*9–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के लिए यात्रा-भत्ता की मांग कितने रुपये की 1986-87 व 1987-88 को की गई थी ? कितना धन दिया गया है, कितना धन शेष है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

बस्ती जनपद के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकाओं हेतु यात्रा भत्ता मद में वर्ष 1986-87 में रुपये 2,57,210.35 तथा वर्ष 1987-88 में रुपये 3,62,104.40 की मांग की गई थी ।

वर्ष 1986-87 एवं 87-88 की मांग के आधार पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों को दी गई कुल धनराशि और अवशेष यात्रा भत्ता देयक जिनका भुगतान शेष है, का विवरण निम्नवत् है:–

	दी गयी धनराशि	अवशेष यात्रा भत्ता देयकों की धनराशि
	रुपया	रुपया
1––प्रति उप विद्यालय निरीक्षक . .	130,800	2,85,260.90
2––सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका . .	27,000	18.543.50

आय व्ययक प्राविधान की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 1986-87 में रु0 2,57,210.35 तथा वर्ष 1987-88 में रु0 3,62,104.40 की मांग की गई थी। भुगतान बताते हैं 1,30,800 रु0 और 27,000 रुपया अवशेष बताते हैं, मान्यवर किस तरह से माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह करते हैं इसको देखें, 2,85,260.90 रु0 और 18,543.50 रु0 टोटल होता है 6 लाख 19 हजार 314 रुपए 75 पैसे । जिसमें भुगतान हुआ है 1 लाख 57 हजार रुपए का, इस प्रकार शेष धन बचता है 4 लाख 62 हजार 314 रुपए 40 पैसे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1986-87 व 1987-88 में कितना रुपया लोगों का यात्रा-भत्ता का हुआ था और कितना-कितना भुगतान प्रतिवर्ष किया गया है और शेष धनराशि का भुगतान आप कब तक करा देंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, 1986-87 तथा 1987-88 में जो मांगा गया था, उसका हमने विवरण दे दिया है और जो भुगतान कर दिया गया है, उसका भी विवरण दे दिया है जितना अवशेष रह गया है, उसका विवरण भी दे दिया गया है। अब माननीय सदस्य ने अलग-अलग जानना चाहा है, इसके लिए तो जानकारी करनी पड़ेगी।

[सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

*2–श्री पूरन सिंह माहरा–

[11वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल प्लावन समस्या पर अध्ययन करने का प्रस्ताव

*3–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि फ्रांसीसी उपग्रह 'स्पाट' से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 87-88 में जल प्लावन की समस्या पर अध्ययन प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*4–श्री विक्रमादित्य पाण्डे–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में देहाती महिलाओं को शत प्रतिशत साक्षर बनाने की मांग

*5–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि प्रदेश में देहाती महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? प्रदेश की देहाती महिलाओं को शत प्रतिशत शिक्षित करने के लिए शासन कौन-कौन से उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

जी हां।

प्रदेश में देहाती महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम होने के अनेक सामाजिक, आर्थिक एवम् मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जैसे गरीबी, रूढ़िवादिता, शिक्षण सुविधाओं की कमी, उचित मानसिकता का अभाव।

नोट :–नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

देहाती महिलाओं को शत प्रतिशत शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:-

(1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और प्रदेश शासन की सहायता से कार्यात्मक साक्षरता की परियोजनायें चलायी जा रही हैं, जिनमें 15-35 वयवर्ग की निरक्षर महिलाओं को शिक्षित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इनके साथ-साथ प्रौढ शिक्षा केन्द्रों पर 9-14 वयवर्ग के "ड्राप आउट्स" व निरक्षर बालिकाओं को पंजीकृत करके शिक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

(2) शासकीय परियोजनाओं के साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन में स्वैच्छिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा नेहरु युवक केन्द्रों का भी सहयोग लिया गया है, जिन्हें भारत सरकार अनुदान दे रही है।

(3) इसके अतिरिक्त "हर एक पढ़ाये एक" योजना के अन्तर्गत एन0 सी0 सी0 के कैडेट्स तथा एन0 एस0 एस0 के वालन्टियर्स और अन्य शिक्षित व्यक्तियों से अपने पास-पड़ोस के एक दो निरक्षरों को "लिट्रेसी किट" की सहायता से साक्षर करने का कार्यक्रम भी चलाया गया है। इन्हें "लिट्रेसी किट" निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों तथा भवनहीन निर्मित विद्यालयों की संख्या

*6-श्री दीपक कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में 1980 से 88 तक कुल कितने प्रा0 पा0 व जू0 हा0 स्कूल की स्थापना की गयी है, कितने भवनहीन स्कूलों का निर्माण हुआ है, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में 1980 में से 1988 तक दो प्राइमरी पाठशाला की स्थापना की गयी है और किसी जूनियर हाई स्कूल की स्थापना नहीं की गयी। 16 भवनहीन स्कूलों का निर्माण हुआ है। सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 150 पर)

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न कार्यालयों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरण से शासन पर पड़ा अधिभार

*7-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न कार्यालयों को पिछले वर्ष अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने से शासन पर कितना और वित्तीय अधिभार पड़ा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न कार्यालयों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने से निम्न दो प्रकार से वित्तीय अधिभार पड़ा :–

(1) अनावर्तक भार लगभग रु0 3.00 लाख ।

(2) आवर्तक भार लगभग रु0 0.25 लाख ।

उत्तर प्रदेश में भोजपुरी एकेडमी बनाए जाने की मांग

*8–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोजपुरी के विकास के लिए बिहार सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी एकेडमी बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सम्प्रति भोजपुरी एकेडमी की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

*9–श्री जयदीप सिंह बरार–

[9वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या

*10–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के कुल कितने स्थान हैं? इस समय आयोग में कुल कितने सदस्य कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? सदस्यों के अभाव के कारण चयन का कार्य प्रभावित होने को दृष्टिगत रखते हुए आयोग का पूर्ण गठन कब तक करा लिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार आयोग में अध्यक्ष और कम से कम दो और अधिक से अधिक चार सदस्य होंगे । वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर इण्टरमीडिएट कालेज खोले जाने की मांग

*11–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन विकास खण्डों में कोई इण्टरमीडिएट कालेज नहीं हैं उनमें शासन स्तर पर इण्टरमीडिएट कालेज खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्डों में सीधे इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग में शासन स्तर से हटाकर निदेशालय स्तर पर मानीटरिंग सेल का गठन

*12–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग में शासन स्तर पर मानिटरिंग सेल का गठन भारत सरकार के आदेशानुसार किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मानिटरिंग सेल को शासन स्तर से हटाकर निदेशालय स्तर से पर दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी भारत सरकार से अनुमति ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं थी ।

*13–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[9वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलाधिकारी बलिया द्वारा समस्त प्राथमिक शिक्षकों को अपने भविष्य निर्वाह निधि से अनिवार्यता ऋण लेकर राष्ट्रिय बचत पत्र खरीदने हेतु बाध्य करने का आरोप

*14–श्री गौरी शंकर भइया–

सिविल संवर्ग में निर्धारित कोटा 33-1/3 प्रतिशत है, जिसके विरुद्ध समस्त प्राथमिक शिक्षकों को उनके भविष्य निर्वाह निधि से अनिवार्यतः ऋण लेकर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने को बाध्य किया है । इस संबंध में क्या शासन ने कोई गुप्त निर्देश जिलाधिकारी बलिया को दिया है ? यदि हां, तो यह कार्य करने का आदेश किस नियम के तहत दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल समन्वयक राजकीय दीक्षा विद्यालय मौरावां जिला उन्नाव का स्थानान्तरण राजकीय इण्टर कालेज, बुलन्दशहर किया जाना

*15–श्री सुन्दर लाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई राजकीय कर्मचारी जिसको 30 जून, 88 को अवकाश ग्रहण करना है उसका स्थानान्तरण उसके गृह जनपद के अतिरिक्त किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल समन्वयक राजकीय दीक्षा विद्यालय मौरावां स्थित उन्नाव का समायोजन उनके गृह जनपद रायबरेली न करके राजकीय इण्टर कालेज, बुलन्दशहर क्यों किया गया जबकि अन्य लोगों को उन्नाव व रायबरेली में समायोजित किया गया जो बाहर के हैं ?

श्री सिब्ते रजी–

इस आशय के आदेश हैं कि इच्छुक व्यक्तियों को उनके निवास स्थान के आस-पास रखने की सुविधा दी जाय । लेकिन यदि वे अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर रहना चाहें तो उन्हें वहां रहने दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, प्रवक्ता, हिन्दी हैं । उस समय प्रवक्ता, हिन्दी का पद, मैदानी संवर्ग में केवल राजकीय इण्टर कालेज, बुलन्दशहर में रिक्त था । रायबरेली में हिन्दी प्रवक्ता का पद रिक्त नहीं था । अतएव श्री शुक्ल को बुलन्दशहर स्थानान्तरित किया गया था । इस समय राजकीय इण्टर कालेज, कानपुर में प्रोन्नति से हुई रिक्ति के प्रति श्री शुक्ल को समायोजित करने का आदेश कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में सिविल विद्युत एवं यान्त्रिकी संवर्ग में सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति कोटे का निर्धारण

*16–श्रीमती उमा त्रिपाठी तथा श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में अवर अभियन्ताओं की पदोन्नतियों में पृथक-पृथक कितने प्रतिशत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ताओं का कोटा निर्धारित है ? क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरह अवर अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पदोन्नति हेतु नियमानुसार कोटा, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति कोटा निम्न प्रकार निर्धारित है :–

सिवल संवर्ग में निर्धारित कोटा 33-1/3 प्रतिशत है, जिसके विरुद्ध 8-1/3% पदों का आरक्षण ए0 एम0 आई0 ई0/बी0 ई0 उत्तीर्ण अवर अभियन्ता/कम्प्यूटर्स के लिए निर्धारित है और विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में प्रोन्नति कोटा 70% निर्धारित किया गया है । इसके अन्तर्गत डिग्रीधारक अवर अभियन्ताओं के लिए कोटा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

गोरखपुर के कतिपय वन अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न आरोपों में जेल में रहने पर उनका निलम्बन

*17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि 48 घण्टे से अधिक किसी अपराधिक मामले में जेल में रहने के बाद सरकारी अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो विभिन्न अपराधिक आरोपों में कई दिनों तक जेल में बन्द गोरखपुर जनपद के दो वन अधिकारी एवं आधा दर्जन कर्मचारियों को अब तक निलम्बित न किए जाने का क्या कारण है ?

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

48 घन्टे से अधिक किसी अपराधिक मामले में हिरासत में रहने के बाद राजकीय सेवक स्वत: सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बित माना जाता है अत: संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पृथक से निलम्बन आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । जितना समय इन अधिकारियों/कर्मचारियों ने तिलकोनिया केन्द्र में हुई घटना के संबंध में पुलिस हिरासत में काटा वह समय निलम्बन काल माना गया है । इसके बाद वह पुन: कार्य पर वापस आ गए हैं आगे इनके विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जायेगी । मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0 आई0 आर0) दर्ज है और मामला अभी मजिस्ट्रीरियल जांच के अन्तर्गत विचाराधीन है । ऐसे मामलों में नियुक्ति अधिकारी द्वारा निलम्बन आवश्यक नहीं है ।

जनपद मथुरा को सूखा राहत कार्य हेतु दी गयी धनराशि

*18—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद को वर्ष 1986-87 व 1987-88 में सूखा राहत कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपया दो किश्तों में जिला प्रशासन मथुरा को किस-किस तारीख में प्राप्त हुआ तथा प्राप्त होने के कितने दिन के अन्तर्गत सूखा कार्य शुरू करा दिए गए ? क्या यह सही है कि धन प्राप्त होने के बाद कई-कई महीने बाद कार्य कराये गए और आज तक भी सूखा राहत में दी गयी धनराशि का पूरा सदुपयोग नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद मथुरा को वर्ष 86-87 में सूखा राहत कार्यों के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई । वित्तीय वर्ष 87-88 में 50 लाख रुपये तीन किश्तों में प्राप्त हुआ जिसका आहरण 27-8-87 से 20-10-87 की अवधि में किया गया । प्रथम आहरण के 10 दिन के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई की अध्यक्षता में सिंचाई कार्यों के मूल्यांकन हेतु जिलों में समिति गठित करने का आदेश तथा अभी तक बलिया में समिति न बनाने के कारण

*19—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई की अध्यक्षता में कोई कमेटी सिंचाई कार्यों के मूल्यांकन के लिए जिलों में गठित करने का आदेश मार्च, 87 में जारी हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में उक्त कमेटी गठित होकर कार्यरत है ? बलिया जिले में अब तक कमेटी गठित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । प्रश्नगत समितियों के गठन में व्यावहारिक कठिनाइयां आने के फलस्वरूप यह केवल अपवाद स्वरूप कुछ ही जिलों में गठित हो सकीं एवं गठन उपरान्त कार्यरत नहीं हो सकीं । प्रश्नगत शासनादेश का संशोधन विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर में अस्थायी स्थानान्तरण के कारण कार्यरत अध्यापकों के वेतन रोके जाने का आरोप

1—श्री रणजीत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कार्यरत कितने अध्यापकों का 1985 से जनवरी, 1988 तक अस्थायी स्थानान्तरण होने पर वेतन रोक दिया गया है ? वेतन रोके जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

अस्थायी स्थानान्तरण के कारण किसी भी अध्यापक का वेतन नहीं रोका गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय में अध्यापकों द्वारा लिपिकीय कार्य कराने का आरोप

2—श्री रणजीत—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित कितने अध्यापकों से बेसिक शिक्षा कार्यालय में लिपिकीय कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

बेसिक शिक्षा कार्यालय में किसी भी अध्यापक से लिपिकीय कार्य नहीं कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

3–श्री रमाकान्त–

[6वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में कतिपय स्थानीय परीक्षकों को वाहन व्यय का भुगतान

4–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के हाई स्कूल के केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र राजकीय इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के मुख्य नियंत्रक/प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1987 के मूल्यांकन के पश्चात् कतिपय स्थानीय परीक्षकों को स्थानीय वाहन व्यय भत्ता (जो कि मूल्यांकन के तत्काल उपरान्त ही प्राप्त हो जाता है) का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

केवल 36 स्थानीय परीक्षकों को वाहन व्यय का भुगतान नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि सम्बन्धित परीक्षक अपना भुगतान लेने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर नहीं आये ।

5–नवाब सिकन्दर अली खां–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश में ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दिए जाने की नीति

6–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–3258-16-11-85-6-(70)/85, दिनांक 5 जुलाई, 1985 के प्रस्तर 1-(ग) में यह प्राविधान है कि "ग्रीन कार्ड" धारकों के बच्चों को सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि हां, तो उपरोक्त शासनादेश के आधार पर श्री सी0 बी0 सिंह, उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) उ0 प्र0 के पुत्र श्री विवेक सिंह को बी0 एस-सी0 (पी0 सी0 एम0 ग्रुप) को कुलपति श्री एस0 पी0 नागेन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ने प्रवेश में प्राथमिकता क्यों नहीं दी है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-28 की उप-धारा(3) के प्राविधानानुसार प्रवेश समिति, विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करती है। ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को विश्वविद्यालय में प्रवेश में प्राथमिकता देने हेतु प्रवेश समिति द्वारा अभी नीति निर्धारित नहीं की गई है। श्री सी0बी0 सिंह के पुत्र का प्रकरण प्रवेश समिति के सम्मुख रखा गया था परन्तु प्रवेश समिति ने प्रवेश में कोई छूट देने में असमर्थता व्यक्त की।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक शाखा में डिग्री एवं डिप्लोमा धारी अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति किया जाना

7—श्रीमती उषा त्रिपाठी तथा श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 1829/आर0 ई0/38-9-904(55)/87 दिनांक 19-8-87 द्वारा क्रमशः 8-8 अवर अभियन्ताओं की विद्युत एवं यांत्रिक शाखा में तदर्थ पदोन्नतियां की गई थीं? यदि हां, तो क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक शाखा में पृथक-पृथक कितने प्रतिशत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ताओं की तदर्थ पदोन्नतियां की गई थीं? उनमें अब तक कितने-कितने प्रतिशत पृथक-पृथक डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु पद अवशेष हैं? उक्त रिक्त स्थानों पर अब तक पदोन्नतियां न किये जाने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। विद्युत/यांत्रिक शाखा में क्रमशः 8-8 अवर अभियंताओं की तदर्थ प्रोन्नतियां की गयी हैं, विद्युत संवर्ग में प्रोन्नत 8 अवर अभियंताओं में एक डिग्रीधारक एवं 7 डिप्लोमाधारक हैं तथा यांत्रिक संवर्ग में प्रोन्नत आठों अवर अभियंता डिप्लोमाधारी हैं। विद्युत/यांत्रिक शाखा के सहायक अभियंता के 2-2 पद तदर्थ प्रोन्नति हेतु रिक्त हैं। इन संवर्गों में प्रोन्नति कोटा में से डिग्रीधारकों का प्रतिशत अभी निर्धारित नहीं है। रिक्त पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियों का प्रस्ताव विचाराधीन है।

8—श्री राम पाल वर्मा—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

9—श्री राम पाल वर्मा—

[7वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा में महावन से खानपुर मार्ग को पेन्टिंग कराने की मांग

10—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री की जानकारी में है कि जनपद मथुरा में महावन से खानपुर मार्ग अति प्राचीन होने के बावजूद भी जिला परिषद् मथुरा मार्ग को पेन्टेड नहीं कर पाई? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन लोकहित में उस मार्ग को तत्काल पेन्टेड कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रसंगगत मार्ग की 6.5 किमी0 लम्बाई है जिसमें से 4.00 कि0मी0 मार्ग पर खड़ंजा लगा दिया गया है । वर्ष 1987-88 में सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धन-राशि से अन्य मार्गों के साथ ही साथ इस मार्ग के प्रथम एक किमी0 मार्ग पर पेन्टिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद मथुरा के सादाबाद-सिहोरा मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित किये जाने की मांग

11–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री की जानकारी में है कि अध्यक्ष जिला परिषद् मथुरा ने मथुरा सादाबाद मार्ग से सिहोरा तक के पेन्टेड मार्ग को सा0 नि0 वि0 को सौंपने का प्रस्ताव काफी वर्ष पूर्व शासन को भेज दिया है ? यदि हां, तो अभी तक इस मार्ग को सा0 नि0 वि0 को न सौंपने का क्या कारण है? क्या शासन अविलम्ब इस मार्ग को सा0 नि0 वि0 को सौंपने का कष्ट करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् मथुरा ने चमरपुरा-सिहोरा मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव भेजा था ।

हस्तान्तरण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त होते ही मार्ग हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषदों में अवर अभियन्ताओं की न्यूनतम या अधिकतम संख्या निश्चित करने का आधार

12–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी जिला परिषद् में अवर अभियन्ता की न्यूनतम या अधिकतम संख्या निश्चित करने का आधार नार्मस क्या है? क्या यह सच है कि 15 लाख के काम पर एक अवर अभियन्ता का पद सृजित हो सकता है अथवा अवर अभियन्ता के एक पद के लिए 15 लाख का काम का होना आवश्यक है? यदि हां, तो वर्ष 1986 में जिला परिषद् फर्रुखाबाद की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद 3 नये अवर अभियन्ताओं के पद सृजित करने व नियुक्ति का आधार क्या था? वहां एक वर्ष के दौरान प्रत्येक अवर अभियन्ता ने कितने लाख का कार्य करवाया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 1-5-87 से पूर्व जिला परिषदों में सृजित अवर अभियन्ता का पद अकेन्द्रियत सेवा का पद था। जिला परिषद् आवश्यकतानुसार मंडलायुक्त के अनुमोदन से अवर अभियन्ता के पद को सृजित कराती रही है। इसके लिए कोई आधार/मानक निश्चित नहीं किये गये थे।

वर्ष 1986 में जिला परिषद् फर्रुखाबाद द्वारा अवर अभियन्ता का कोई पद सृजित नहीं कराया गया है। पूर्व में सृजित रिक्त पदों पर नियुक्ति की गयी है।

वित्तीय वर्ष 1986-87 में जिला परिषद् के अवर अभियन्ता द्वारा क्रमशः 1483459 रु0, 115149 रु0 74,290 रु0 तथा 72,452 का कार्य किया गया है।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवां गोण्डा को दी गयी अनुदान राशि में हुए कथित घपले की जांच

13—श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मसकनवां गोण्डा को वर्ष 1986-87 में सरकार द्वारा दिये गये अनुदान राशि 85,000 के घपले के संबंध में प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के नवम्बर, 87 के शिकायती पत्र पर जांच हुई ?, यदि हां, तो दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

कार्यवाही हेतु मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

14—श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

फैजाबाद मण्डल में नैत्यिक लिपिक की रिक्तियों की पूर्ति की मांग

15—श्री फसीउर्रहमान (उर्फ श्री मुन्नन खां)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में नैत्यिक लिपिक के कितने पद रिक्त हैं ? ये रिक्तियां कब से चल रही हैं और रिक्तियों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

कुल पांच पद रिक्त हैं । माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा नियुक्तियों पर रोक के कारण दिनांक 3-8-86 से 5-2-88 के मध्य से रिक्त उक्त पदों को रोक हटने के पश्चात ही भरा जाना संभव होगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर0 डी0 गुप्ता जिला अध्यक्ष एवं प्रान्तीय संयुक्त नियोजन एवं विकास कर्मचारी संघ के एक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

16—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री आर0 डी0 गुप्ता जिला अध्यक्ष एवं प्रान्तीय संयुक्त मंत्री नियोजन एवं विकास कर्मचारी संघ उ0 प्र0 ने दिनांक 2-1-86 को मथुरा जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु विकास खण्डों में कनिष्ठ लिपिक तथा लेखा लिपिकों के पदों पर नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं के बारे में प्रार्थना पत्र दिया था ?, यदि हां, तो क्या इन पदों पर नियुक्ति हेतु किसी दैनिक अखबार में विज्ञापन कराया गया था और निर्धारित प्रणाली को अपनाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज कंथा में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच एवं कृत कार्यवाही

17—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के जवाहर लाल नेहरु स्मारक इण्टर कालेज, कंथा जनपद उन्नाव में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के कारण छात्रों की संख्या घट कर आधी रह गयी है ? क्या उक्त विद्यालय का प्रबन्ध साधिकार नियंत्रक के हाथ में है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में वहीं के चौदह अध्यापकों द्वारा दिनांक 1-9-87 को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र के सभी बिन्दुओं की जांच किस अधिकारी ने की ? जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी पाए गए लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

जी हां ।

निदेशालय के अर्धशासकीय पत्रांक सा0 (1)/2/3184-85, दिनांक 27-11-87 द्वारा 14 अध्यापकों का प्रार्थना पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को जांच हेतु भेजा गया था । जांच शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए शिक्षा-निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं । जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

18—19—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला बरेली में सामान्य योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में आवंटित प्राइमरी एवं जू0 हा0 स्कूलों की संख्या एवं निर्माण कार्य

20—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 हेतु जिला बरेली को सामान्य योजना के अन्तर्गत कितने कितने नए प्राइमरी तथा हाई स्कूल आवंटित किए गए ? क्या उक्त सभी स्कूल जिला शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति के अनुसार प्रारम्भ कर दिए गए हैं तथा उनके भवन निर्मित कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो यह स्कूल कौन कौन से हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष	प्राइमरी	जू0 हा0 स्कूल
84—85	—	—
85—86	1	1
86—87	—	—
87—88	—	—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रा0 पाठशाला रजपुरा (बहेड़ी क्षेत्र), जू0 हा0 स्कूल मंडवावसीपुर (मीरगंज क्षेत्र) तथा जूनियर हाईस्कूल भगवत्तापुर (फरीदपुर क्षेत्र के लिये स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उत्पादक महाविद्यालय बहेड़ी को शासन द्वारा प्राप्त सहायता

21—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, बहेड़ी को शासन द्वारा विभिन्न मदों में कितनी सहायता दी जाती है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त विद्यालय में मात्र 95 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त महाविद्यालय में कृषि विषय के पठन-पाठन की व्यवस्था तथा मान्यता दिलाने की कृपा करेंगे ताकि महाविद्यालय की उपयोगिता भी बढ़ सके तथा क्षेत्र के नवयुवकों को वहीं कृषि की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

केवल महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है।

जी नहीं। महाविद्यालय में सत्र 1986-87 में कुल 438 छात्र थे।

जी नहीं।

कृषि की शिक्षा हेतु नई सम्बद्धता हेतु अनुमति देने की सम्प्रति शासन की नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

22—जौहरी लाल त्रिवेदी—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

23—डा0 दिनेश जौहरी—

[दिनांक 28-3-88 को अता0 प्र0 सं0 26 द्वारा उत्तरित]

आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ के साथ सात व्यक्तियों तथा एक विधायक द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र की उप विकास आयुक्त गोरखपुर द्वारा जांच रिपोर्ट

24—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक एम0 3/स्था0 प्र0 ए0 43/78 दिनांक 21 जनवरी, 1987 के साथ सात व्यक्तियों तथा एक विधायक द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र जांच हेतु उप विकास आयुक्त, गोरखपुर को भेजा गया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शिकायतों की प्रस्तरवार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए बताने को कृपा करेंगे कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बी0 एड0 प्रवेश हेतु प्रवेश स्तर पर ली गयी परीक्षा

25–श्री मनोहर लाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 में बी0 एड0 प्रवेश हेतु प्रादेशिक स्तर पर एक लिखित प्रवेश परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो बी0 एड0 की इस लिखित प्रवेश परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे और उसमें कितने छात्रों का चयन बी0 एड0 हेतु कर लिया गया है और कितने छात्रों का चयन अभी किया जाना बाकी है ? क्या सरकार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का चयन बी0 एड0 में शीघ्र ही कराने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा सत्र 1986-87 के लिये बी0 एड0 प्रवेश हेतु प्रादेशिक स्तर पर कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव में जूनियर हाईस्कूल के भवनों का विकास खण्ड वार निर्माण

26–श्री मनोहर लाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में वर्ष 1986-87 में कुल कितने हाईस्कूल भवनों का निर्माण कराया जाना तय था और उसमें जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने स्कूल भवन का निर्माण अब तक शुरू किया जा सका है और कितने स्कूल भवन अभी निर्माणाधीन है ? निर्माणाधीन भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

3 जूनियर हाईस्कूल भवनों का निर्माण कराया जाना तय था ।

अब तक किसी विकास खण्ड में भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

वर्ष 1988-89 में भवन बन जाने की सम्भावना है ।

पंचायती राज विभाग में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के आरक्षण

27–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों के पदोन्नतियों में आरक्षण दिये जाने हेतु शासन की निर्णीत नीति से संबंधित राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1983 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेशों के अनुपालन हेतु जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1981 के नियम–6 तथा अन्य विभागों की नियमावलियों में पदोन्नति शब्द समावेशित है, क्या तदनुसार पदोन्नति शब्द को उत्तर प्रदेश पंचायत राज निदेशालय लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1979 के नियम–6 में भी जोड़ा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत नियमावली का नियम–6 कार्मिक विभाग (नियमावली सेल) द्वारा जारी माडल ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार है । अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

झांसी जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हेतु वित्तीय सहायता तथा विकास खण्ड बामौर एवं गुरसराय में आर0 एल0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य

28–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किस-किस विकास खण्ड में कहां-कहां और क्या कार्य वित्तीय वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद झांसी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 85-86 व 86-87 में कराये गये कार्यों का विकास खण्डवार विवरण अति विस्तीर्ण होने के कारण उत्तर में सम्मिलित करना संभव नहीं है । इसे मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

29–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के विकास खण्ड बामौर एवं गुरसराय में वित्तीय वर्ष 1985-86 एवं में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर एवं गुरसराय में वित्तीय वर्ष 1985-86 व 86-87 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का ग्रामवार विवरण अधिक विस्तीर्ण होने के कारण उत्तर में सम्मिलित करना संभव नहीं है । मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

30–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[8वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कर्मचारियों को पदोन्नति

31–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर वर्ष 1980 से 1985 के बीच आरक्षण के अनुसार पदोन्नतियां दी गईं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी पदोन्नत किये गये ? क्या वर्ष 1980 से 1985 के मध्य कनिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की गईं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ? क्या वर्ष 1985 में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु ली गई विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये तीन कर्मचारियों को समायोजित करने में कोई कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों की कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । वर्ष 1980-1985 के बीच 3 कर्मचारी पदोन्नत किये गये ।

जी हां । 35 कर्मचारी नियुक्त किये गये ।

जी हां । शासनादेशानुसार निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण के पदों अर्थात् 8 पदों पर ही नियुक्ति की जानी थी जो कि की जा चुकी हैं । अतः इसका समायोजन नहीं किया जा सकता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रति नियुक्त पर आये कर्मचारियों की वापसी

32–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को उनके मूल विभाग को वापस किया जा चुका है? यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रिक्त पदों पर विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई ? यदि नहीं, तो रिक्त पदों पर कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों में से केवल 3 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजना शेष है, अन्य कर्मचारियों को या तो विभाग में संविलीन कर लिया गया है या वे अपने पैतृक विभाग वापस जा चुके हैं । सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं दी गई ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रधानाध्यापक बन्थरा लखनऊ को दिये गये निर्देश

33–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाध्यापक, बन्थरा को क्या निर्देश दिये गये तथा क्या इन निर्देशों का पालन प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रधानाध्यापक को बन्थरा (लखनऊ) से स्थानान्तरित किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रधानाध्यापक, बन्थरा को निर्देश दिये गये कि वह भविष्य में बिना विभाग की अनुमति प्राप्त किये कोई भी उद्घाटन समारोह अथवा अन्य समारोह विद्यालय परिसर में न आयोजित करें, एवं बिना अनुमति के किसी व्यक्ति विशेष के नाम पत्थर खुदवाकर न लगवायें । इन निर्देशों का पालन प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34–श्री शारदा प्रताप–

[8वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश वक्फ बोर्डों द्वारा मांगी गयी अनुदान की स्वीकृति

35–श्री फसीउर रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के दोनों वक्फ बोर्डों के अनुदान की मांग के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यह अनुदान कब तक स्वीकृत करने की योजना है ?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1984-85 के दौरान सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड को क्रमशः रु0 24.01 लाख एवं रु0 13.86 लाख का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। पुनः अनुदान स्वीकृत करने के औचित्य का परीक्षण किया जा रहा है।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज गोण्डा में रिक्त उर्दू प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति

36–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज गोण्डा में उर्दू प्रवक्ता का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? अब तक व्यवस्था न करने का क्या कारण है ? यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, उर्दू प्रवक्ता की पदधारी श्रीमती सुगरा बेगम नकवी के पाकिस्तान चले जाने से पद दिनांक 17-12-1984 से रिक्त रहा है।

अंशकालिक स्वयंसेवी द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-8, लखनऊ को ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान में कच्चे बनाये गये मार्गों को पक्का कराने विषयक श्री सत्य प्रकाश का अर्धशासकीय-पत्र

37–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र की प्रति श्री हरीश चन्द्र, सहायक आयुक्त के पत्र संख्या एल 11012/39/86-पी0 एण्ड आर0 भारत सरकार कृषि मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक नवम्बर, 1986 के साथ जो उत्तर प्रदेश के ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान करके बनाये गये कच्चे मार्गों को पक्का करके प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उ0 प्र0 शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-8, लखनऊ दिनांक 3-2-87 को श्री सत्य प्रकाश का हस्ताक्षरित पत्र अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 178 सी0एम0/38-8-2001171/86 पर शासन ने क्या निर्णय लिया? क्या इस निर्णय को अवगत करायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत विषय पर प्रश्नकर्ता का एक प्रार्थना पत्र जो माननीय प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री जी को पृष्ठांकित है प्राप्त हुआ। उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री हरीश चन्द्र सहायक आयुक्त का प्रश्नगत पत्र अप्राप्त है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन है, इसलिये अन्य योजनाओं में आवश्यक सामग्री अंश की व्यवस्था इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत करना संभव नहीं है।

विकास खण्ड होजागढ़, इलाहाबाद में ब्लेक बोर्ड आपरेशन योजना लागू करने की मांग

38–श्री जवाहर सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि विकास खण्ड होजागढ़, जनपद-इलाहाबाद को सरकार ने ब्लैक बोर्ड आपरेशन योजना के अन्तर्गत लिया है? यदि हां, तो यह योजना इस विकास खण्ड में कब तक लागू हो जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

वर्ष 1987-88 से लागू है।

39–श्री राम नरेश यादव–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया।]

श्री आर0एस0 सक्सेना, निदेशक भूगर्भ जल सर्वेक्षण लखनऊ का यात्रा-भत्ता बीजक संबंधी आदेश

40–श्री रमाकान्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 एस0 सक्सेना, निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उ0 प्र0 लखनऊ को द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के यात्रा-भत्ता बीजक पारित करने के कोई आदेश शासन ने विशेष तौर से निर्गत किए हैं। यदि नहीं, तो निदेशक द्वारा नियन्त्रण अधिकारी न होते हुए सर्व श्री शैलेन्द्र भूषण एवं भीष्म कुमार, हाइड्रोलोजिस्ट के सामूहिक रूप से यात्रा-भत्ता किस उद्देश्य से पारित कर भुगतान किए गए?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

सर्वश्री शैलेन्द्र भूषण एवं भीष्म कुमार हाइड्रोलोजिस्ट को सामूहिक रूप से कोई यात्रा भत्ता निदेशक द्वारा पारित कर भुगतान नहीं किया गया है।

जिला झांसी के समथर पीपरी कला मार्ग के दोनों तरफ पक्की नालियां बनवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

41–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 7 जुलाई, 87 का ग्राम साकिन तहसील मोंठ जिला झांसी के मध्य से समथर पीपरी कलां मार्ग के दोनों ओर नालियां बनवाये जाने के आश्वासन विषयक पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है तथा उक्त मार्ग के दोनों ओर ग्राम साकिन के बीच के हिस्से में नालियां कब तक बनवा दी जायेंगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई हेतु हाइड्रम यूनिट की स्थापना की मांग

42—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए हाइड्रम की उपयोगिता सिद्ध हुयी है? इस परिप्रेक्ष्य में जनपद पिथौरागढ़ में विगत पांच वर्षों में किन-किन स्थानों में इन्हें स्थापित करने की योजना थी? इनमें से किन-किन स्थानों पर इनको लगाया गया? इनके द्वारा क्रमशः कितने क्षेत्रफल रबी/खरीफ की फसलों का सिंचन लगातार हो रहा है? अगले दो वर्षों हेतु जनपद पिथौरागढ़ में किन-किन स्थानों पर हाइड्रम की स्थापना प्रस्तावित है?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

गत पांच वर्षों में जनपद पिथौरागढ़ में कुल 27 हाइड्रम यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य था।

सर्वेक्षण के उपरान्त निम्नलिखित 14 स्थानों पर 26 हाइड्रम यूनिट स्थापित किए गए—

क्रम-सं0	वर्ष	विकास खण्ड	स्थान	यूनिट संख्या
1	2	3	4	5
1	1982—83	विण	चैंसर	1
2		विण	सित्तौली	2
3		कनालीछीना	डिगरा	2
4		डीडीहाट	धौलेत	2
5	1983—84	मूनाकोट	बरडगांव	1
6		डीडीहाट	हाटथर्स	2
7	1984—85	डीडीहाट	राजासेरा	2
8	1985—86	डीडीहाट	देलूदूगा	3
9		मूनाकोट	दिगास प्रथम	2
10	1986—87	मूनाकोट	दिगास द्वितीय	2
11		विण	नैनीसैनी	2
12		कनाली छीना	छड़नदेव	2
13		गंगोलीहाट	साता	2
14		पाटी	बांजगांव प्रथम	1
			योग	26

वर्ष 1984-85 में रबी और खरीफ में क्रमशः 6.33 हे0 एवं 2.61 हे0। वर्ष 1985-86 में 19.4 हे0 एवं 10.0 हे0 तथा वर्ष 1986-87 में 19.68 हे0 एवं 72.11 हे0 भूमि में सिंचाई हो रही है। वर्ष 1987-88 में विकास खण्ड मूनाकोट में दौली बरकटिया, विकास खण्ड गंगोलीहाट के सिमलता और विकास खण्ड पाटी के बांजगांव में हाइड्रम लगाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1988-89 के लिए सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त स्थान निर्धारित किया जायेगा।

विकास खण्ड धानी, गोरखपुर में कतिपय सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में अवैध बिल का भुगतान

43—श्री हर्ष वर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में पी0 डब्लू0 डी0 धानी बृजमनगंज रोड से जशवंतनगर चौक बरणा सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने पत्रांक 3599/एस0 टी0/धानी/दिनांक 19 अक्टूबर, 1985 द्वारा अपर जिलाधिकारी (परियोजना) गोरखपुर को निर्देश दिया था कि गण्डक 15 सिंचाई विभाग द्वारा उक्त सम्पर्क मार्ग हेतु बिल प्रस्तुत कराना अवैधानिक होगा? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु गण्डक—15 को बाद में भुगतान किया गया है? यदि हां, तो भुगतान की धनराशि कितनी थी और यह किस आधार पर की गयी? क्या भुगतान हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। बाढ़ सहायक अभियंता डी0 आर0 डी0 ए0 सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण कराया गया और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार गण्डक—15 को माप पुस्तिका के आधार पर 33,816 रुपया का भुगतान किया गया। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

44—श्री मित्र सेन—

[दिनांक 21-7-87 को अता0 प्र0 स0 127 द्वारा उत्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र के भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्रामों को पेयजल की सुविधा

45—श्री मित्रसेन—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83, 1983-84 में पर्वतीय क्षेत्र में भूगर्भ जल द्वारा कितने ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी तथा इसमें कुल कितना व्यय वर्षवार हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1982-83 व 1983-84 में क्रमशः 10 व 6 ग्रामों को भूगर्भ जल द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी और उस पर क्रमशः 7.539 लाख तथा 6.997 लाख रुपये वार्षिक व्यय हुआ।

श्री कृष्णा नन्द आत्मज श्री भगवान निवासी खजांची टोला-हरदोई के वन विभाग में अवैध नियुक्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

46—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे श्री कृष्णानन्द आत्मज श्री भगवान निवासी खजांची टोला हरदोई का पत्र जो वन विभाग में अनियमित रूप से की गयी नियुक्तियों के संबंध में है, सितम्बर/अक्टूबर, 87 में मा0 वन मंत्री को दिया गया और उन्होंने उस पर सचिव को जांच करने हेतु आदेश भी दिया है? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

उक्त प्रार्थना पत्र पर जांच करायी गयी।

जांच में कोई अनियमितता नही पायी गयी अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री होरी लाल वर्मा ग्राम विकास अधिकारी विकास क्षेत्र एका, मैनपुरी का स्थानान्तरण

47–श्री बलबीर सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री होरी लाल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी विकास क्षेत्र एका जनपद मैनपुरी का सन् 86 में जिला विकास अधिकारी मैनपुरी ने विकास क्षेत्र घिरोर के लिए तथा सन् 1987 में डी0डी0सी0 आगरा ने जनपद आगरा को स्थानान्तरण किया था और दोनों बार उक्त होरी लाल वर्मा का स्थानान्तरण डी0 डी0 सी0 आगरा ने रोक दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या यह सही है कि होरी लाल वर्मा ग्राम विकास अधिकारी क्षेत्र में अधिक समय हो जाने के कारण और अपनी सर्किल के नजदीकी होने की वजह से वह क्षेत्र की राजनैतिक तथा सामाजिक पार्टी बन्दी में पड़ गया है? ऐसी स्थिति को देखते हुए श्री होरीलाल वर्मा को शीघ्र से शीघ्र जनपद मैनपुरी से हटाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

श्री होरी लाल वर्मा ग्राम विकास अधिकारी का वर्ष 1986 का स्थानान्तरण जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर प्रशासनिक आधार पर जिला विकास अधिकारी मैनपुरी द्वारा निरस्त किया गया और वर्ष 1987 का स्थानान्तरण उप विकास आयुक्त, आगरा द्वारा उनकी पारिवारिक समस्याओं के कारण निरस्त किया गया।

ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय श्री वर्मा को मैनपुरी से अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

48–श्री राज किशोर सिंह–

[8वें सोम में अता0 प्र0 सं0 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नियोजन एवं विकास कर्मिक संघ की रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर पद नाम एवं पदोन्नति का आश्वासन

49–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन एवं विकास कर्मिक संघ की रजत जयंती के अवसर पर 10, 11, 12 दिसम्बर, 1987 को पदनाम परिवर्तन तथा पदोन्नति प्रशासनिक पदों के लिए राजाज्ञा जारी करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो राजाज्ञा क्यों नहीं जारी हुई तथा कब तक जारी होने की सम्भावना है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 10, 11 एवं 12 दिसम्बर, 1987 को आयोजित नियोजन एवं विकास कर्मिक संघ की रजत जयन्ती के अवसर पर पदनाम परिवर्तन तथा प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति संबंधी मांगों को मानते हुए राजाज्ञा जारी करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, किन्तु संघ की इन मांगों पर विचार करने के लिए कहा गया था। विचारोपरान्त पदनाम संबंधी मांग का कोई औचित्य नहीं पाया गया। मुख्यालय पर प्रशासनिक पदों के सृजन का मामला विचाराधीन है।

उ0 प्र0 में तहसील स्तर पर चल रहे माध्यमिक बालिका विद्यालय

50–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत तहसील केन्द्रों पर माध्यमिक बालिका विद्यालय चल रहे हैं? किसी भी तहसील केन्द्र पर माध्यमिक बालिका विद्यालय खोलने के लिए किन आधारभूत परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है? क्या बस्ती जिले के बांसी तहसील केन्द्र उनकी पूर्ति करता है? यदि हां, तो बांसी में अभी तक माध्यमिक विद्यालय न खोलने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

माध्यमिक बालिका विद्यालय लगभग 93 प्रतिशत तहसील स्तर पर संचालित हैं।

तहसील स्तर पर राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये निम्नांकित आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है:–

1–तहसील क्षेत्र में कोई भी बालिका हाईस्कूल/इण्टर कालेज का न होना।

2–विद्यालय के संचालनार्थ उपयुक्त भवन तथा भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता।

3–प्रत्येक कक्षा में प्रवेशार्थ छात्राओं की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता।

आंशिक रूप से।

भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है।

51–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[6वें गुरूवार में अता0 प्र0 सं0 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

52–श्री सुखपाल पाण्डे–

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

53–श्री सुखपाल पाण्डे–

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 88 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड कटरा बाजार जनपद गोण्डा के विकास हेतु प्रस्तावित योजना

54–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार के त्वरित विकास हेतु (माडल कम्प्रीहेन्सिव ब्लाक डेवलपमेन्ट ब्लाक) योजना का शुभारम्भ वर्ष 1987-88 से होना था? यदि हां, तो योजना की प्रगति के हित में 87-88 में कितना धन अब तक भेजा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार के त्वरित विकास हेतु (माडल कम्प्रीहेन्सिव ब्लाक डेवलपमेंट) योजना कृषि वित्त निगम, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा भारत सरकार के निर्देशन में तैयार की गयी थी। योजना पर इलाहाबाद बैंक को आख्या देने हेतु भेजा गया था जिस पर कार्यवाही की जा रही है। योजना की प्रगति हेतु 1987-88 में कोई धन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि योजना विचाराधीन है।

जनपद हरदोई के मृत सहायक अध्यापक श्री ओम प्रकाश बाजपेयी के पुत्र को सेवा में लेने की मांग

55–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश बाजपेयी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल रामपुर हृदय, ब्लाक शाहाबाद हरदोई का सेवाकाल में (1 फरवरी, 1985 को) स्वर्गवास हो गया? यदि हां, तो क्या उनके आश्रित पुत्र श्री सुभाष चन्द्र बाजपेयी को सेवा में लेने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन (शिक्षा अनुभाग–5) ने अपने अ0 शा0 पत्रांक 1267/वी0 55(2)/85 दिनांक 26-5-85 द्वारा स्पष्ट आदेश दिये हैं? यदि हां, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का पालन न किये जाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

वर्णित पत्र दिनांक 26-5-85 में श्री सुभाष चन्द्र बाजपेयी को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने के आदेश दिये गये थे। सम्प्रति रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी।

मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर द्वारा सरकारी गाड़ी से लखनऊ का दौरा

56–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर दिनांक 24-2-88 को सरकारी वाहन से लखनऊ आये थे? यदि हां, तो सरकारी वाहन पर कितनी धनराशि का पेट्रोल खर्च हुआ? इनके द्वारा किन परिस्थितियों में रेल से यात्रा नहीं की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर दिनांक 21-2-88 को सरकारी वाहन से लखनऊ आए थे।

उक्त यात्रा के दौरान पेट्रोल पर रु0 567 खर्च हुआ।

आरक्षण सुविधा उपलब्ध न हो पाने के फलस्वरूप कार्यहित में उक्त यात्रा सरकारी वाहन से की गयी।

फर्रुखाबाद के जू0 हा0 स्कूलों में कृषि फार्म

57—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कितने और कौन-कौन जू0 हा0 स्कूलों में कृषि फार्म हैं? उन स्कूलों में सन् 80 से 87 तक कितनी-कितनी उपज हुई? क्या कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी खेती पर दूसरे लोगों का कब्जा है? यदि हां, तो उस पर कब्जा छोड़ने के लिए कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या?

श्री सिब्ते रजी—

सूची संलग्न है।

जी हां एक ऐसा विद्यालय है।

अनाधिकृत कब्जा हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 151-152 पर)

उ0 प्र0 में श्रमदान द्वारा बनाये गये सम्पर्क मार्गों को पक्का करने की मांग

58—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान करके बनाये गये कच्चे सम्पर्क मार्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पक्का कराया जाना शासन द्वारा स्वीकार किया गया है? यदि हां, तो तहसील छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद के अंतर्गत सम्पर्क मार्ग कब तक पक्के हो जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पक्का कराये जाने के संबंध में शासन ने निर्णय किया है कि इस कार्य हेतु आवश्यक सामग्री अंश की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत किया जाना उचित नहीं है। स्थानीय सम्पर्क मार्गों को पक्का किये जाने के संबंध में उपलब्ध संसाधनों तथा स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार जिला स्तर पर निर्णय लिया जाता है।

59—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

60—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

श्री अमरेश नन्दन राय तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारी द्वारा शासकीय धनराशि का हड़पा जाना

61—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि वर्ष 86-87 में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर जिला गोरखपुर (श्री अमरेश नन्दन राय) द्वारा ग्राम रउतीनिया

सरदार में श्रीमती सिताबी पत्नी राम चन्दर, लालमती पत्नी राम गुलाम तथा श्रीमती भोला देवी पत्नी भगन के नाम इंदिरा आवास बनाया जाना दिखाकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्रत्येक के नाम धनराशि भुगतान करना दिखाकर शासकीय धन का लगभग 20,000 रुपये का गबन किया गया है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मामले की जानकारी शासन तथा प्रदेश स्तर अधिकारियों को कराये जाने के पश्चात् गबन किये गये धन को शासकीय खजाने में जमा कर मामले को दबा दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त गबन के मामले में उक्त बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ विभागीय या अपराधिक कार्यवाही सरकार द्वारा करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1986-87 में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड सरदार नगर श्री अमरेश नन्दन राय द्वारा ग्राम रउतनिया सरदार में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कोई आवास नहीं बनवाया गया। अतः शासकीय धन के गबन करने का प्रश्न नहीं उठता।

62–डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सम्राट अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहना, बस्ती के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

63–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्राट अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करहना, जिला बस्ती जो कि सरकारी अनुदान प्राप्त एक विद्यालय है, से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला (बालक) के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब से शेष है ?भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

सम्राट अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहना जिला बस्ती के सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण इकाई शारदा सहायक सैदपुर गाजीपुर में गबन

64–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण इकाई शारदा सहायक, सैदपुर जिला गाजीपुर के किसी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 57,910 रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो गबन करने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभाग/सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूमि संरक्षण इकाई शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, सैदपुर जिला गाजीपुर में वर्ष 1986 में रु0 57,910.00 के गबन का प्रकरण प्रकाश में आया। प्रकरण से सम्बद्ध कैशियर, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लेखाकार एवं 2

प्राविधिक सहायकों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही क्रमिक है ।

चांदा क्षेत्र सुल्तानपुर में विकास खण्डों तथा ग्राम सभाओं की संख्या

65—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चांदा क्षेत्र सुल्तानपुर के अंतर्गत कितने ब्लाक हैं ? संबंधित ब्लाकों के अंतर्गत कितनी ग्राम सभायें हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विधान सभा क्षेत्र चांदा जनपद-सुल्तानपुर के अंतर्गत प्रतापपुर कमैचा, लम्भुआ तथा भदैयां तीन विकास खण्ड आते हैं । विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा में 72, लम्भुआ में 105 ग्राम सभायें हैं तथा भदैयां की 96 ग्राम सभाओं में से 86 ग्राम सभायें चांदा क्षेत्र में आती हैं । उक्त ग्राम सभाओं के नामों की सूची मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

श्री अभिलाषा प्रसाद हरिजन वर्क चार्ज कर्मचारी ग्रामीण अभियन्ता सेवा को नियमित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

66—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-2-88 जिसके साथ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा वाराणसी के दैनिक वेतन भोगी (वर्कचार्ज) कर्मचारी श्री अभिलाष प्रसाद हरिजन का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-2-88 संलग्न है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री अभिलाष प्रसाद को नियमित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा खेरी, जनपद बस्ती के शीतल प्रसाद की भूमि में वृक्षारोपण कराने विषयक शासन से प्राप्त अधिकार पत्र

67—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में तहसील नौगढ़ की ग्राम सभा खेरी शीतल प्रसाद में वन विभाग की ओर से पेड़ लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो वह भूमि किसकी है? क्या भू-स्वामी से वन विभाग को कोई अधिकार पत्र प्राप्त है और क्या संबंधित भूमि की राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो किस अधिकार से वृक्षारोपण कराया जा रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

भूमि ग्राम सभा खेरी शीतल प्रसाद की है।

जी हां । वृक्षारोपण हेतु ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित है।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

68–श्री कुशल पाल सिंह–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

वन निगम डिपो लालकुवां से सागौन की लकड़ी की नीलामी

69–श्री कौशिक रमा शंकर–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम के लालकुवां डिपो में 12 मार्च, 87 को डिपो नं0–4 में सागौन की लकड़ी के नीलाम डिपो नं0-3 में दिखाया गया है ? क्या यह सही है कि नीलाम जलावनी लकड़ी का दिखाया गया, पर डिपो से सागौन की लकड़ी उठाई गई ? इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

दिनांक 12-3-87 को लालकुवां डिपो में हुए नीलाम के विषय में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन निगम के डिपोज में लगी आग की घटना से नुकसान

70–श्री कौशिक रमा शंकर–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में वन निगम के कितने डिपोज में आग लगी तथा उनमें कितना नुकसान हुआ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश वन निगम के 7 डिपुओं में अग्नि दुर्घटनायें हुई, जिनमें हुई क्षति का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत है :–

वर्ष (निगम वर्ष)	डिपुओं की संख्या जिनमें अग्नि दुर्घटना हुई	अग्नि से उन क्षति का मूल्यांकन (रुपए में)
1984–85	6	5,49,333.65
1985–86	..	..
1986–87	1	88,200.00
	योग ..	6,37,533.65

वन निगम के टनकपुर डिपो से कुकाठ की लकड़ी के बदले में शीशम की लकड़ी का उठाया जाना

71—श्री कौशिक रमा शंकर—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन निगम के टनकपुर डिपो के लाट नं0—390 और 399 में कुकाठ को लकड़ी दिखा कर शीशम की लकड़ी उठायी गयी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वन निगम टनकपुर विक्रय प्रभाग के लाट संख्या-390 व 399 शीशम प्रकोष्ठ की लाटें थीं तथा उन्हें शीशम के ही रूप में सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा गया एवं निकासी दी गयी । कोई भी शीशम की लकड़ी को काट दिखाकर नहीं उठाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्ड विकास अधिकारी, हिलौली, उन्नाव को सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु दिया गया धन

72—श्री देव कुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 86-87 एवं 87-88 के दौरान खण्ड विकास अधिकारी, हिलौली, जनपद उन्नाव को सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु किस-किस मद से कितना अनाज एवं धनराशि दी गयी है और उन्होंने किस-किस सम्पर्क मार्ग में कितने-कितने मजदूरों को कितने दिनों तक काम और किस दर से नगद धनराशि एवं अनाज दिया है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध श्रमिकों की मजदूरी देने में घपले एवं धांधली करने की बाबत जनप्रतिनिधियों के शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रश्नगत अधिकारी को दण्डित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 86-87 व 87-88 के दौरान खण्ड विकास अधिकारी, हिलौली को सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु योजनावार अवमुक्त नकद धनराशि व खाद्यान्न एवं कार्य पर लगाये गये मजदूरों तथा कार्य दिवस की संख्या का विवरण संलग्न है। 30-10-87 तक दैनिक मजदूरी दर रु0 11.50 थी जिसमें 4 किलोग्राम तक खाद्यान्न का मूल्य सम्मिलित है। दिनांक 1-11-87 से इसी दर के अन्तर्गत 4 किलो के स्थान पर 2.5 किलो खाद्यान्न का मूल्य सम्मिलित था । 1-12-87 से दैनिक मजदूरी दर 13.50 रु0 प्रतिदिन थी जिसके अन्तर्गत 2.5 किलोग्राम तक खाद्यान्न का मूल्य सम्मिलित था । प्रचलित दैनिक दर के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नकद धनराशि एवं खाद्यान्न का अनुपात विभिन्न प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। सम्पर्क मार्गवार विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है। प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 153 पर)

खण्ड विकास अधिकारी, हिलौली, जनपद उन्नाव द्वारा सरकारी जीप से अवैध यात्रा

73–श्री देव कुमार यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारी, हिलौली, जनपद उन्नाव का निवास स्थान हिलौली से 15 किलोमीटर के अन्दर है जिसके कारण वह मुख्यालय में न रहकर प्रतिदिन रात को सरकारी जीप द्वारा घर चले जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार सरकारी जीप के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत आरोप की जांच से पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत फतेहपुर जनपद में बनी सड़कें

75–श्री अचल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में सूखा राहत के अन्तर्गत कितने किलोमीटर ऐसी सड़कें बनी हैं जिसकी स्वीकृति गवर्निंग बाडी या जिलाधिकारी से नहीं ली गयी है ? क्या उक्त सड़कों में कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर में निर्मित 36–39 कि0मी0 सड़कों की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है। इस पर निर्णय के पश्चात अवशेष मजदूरी 1–757 लाख रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जनपद फतेहपुर में कतिपय वर्षों में बनाये गये सम्पर्क मार्ग

76–श्री अचल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में सन् 1985-86, 1986-87 व 1987-88 में जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आर0 ई0 एस0) द्वारा कितने किलोमीटर सड़क बनायी गयी और कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या उक्त विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों में जिन मजदूरों ने कार्य किया था उन सभी का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो अब तक कितना पैसा भुगतान का शेष है ? भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, जनपद फतेहपुर द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 में क्रमशः 102.60 कि0मी0, 49.07 कि0मी0 तथा 171.82 कि0मी0 लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया गया, जिसमें क्रमशः 2,25,492, 1,31,497 एवं 3,98,749 मानव दिवस सृजित हुए। उपरोक्त कार्यों पर किये गये भुगतान एवं अवशेष की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

रमेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय, चमकरी, जिला एटा में श्री रमेश चन्द्र शर्मा की प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति

77–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय, चमकरी, जिला एटा में श्री रमेश चन्द्र शर्मा की नियुक्ति वर्ष 1984 में प्रधानाचार्य के पद पर उस समय की गयी जब श्री शर्मा की पत्नी श्रीमती जगरानी शर्मा उक्त विद्यालय की प्रबन्धक थी ? यदि हां, तो क्या शिक्षा अधिनियम में ऐसा प्राविधान है कि प्रबन्धतंत्र में कार्यरत किसी सदस्य के निकट संबंधी को विद्यालय में किसी भी पद पर नहीं नियुक्त किया जा सका ? यदि हां, तो क्या श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रधानाचार्य की नियमों के विरुद्ध की गयी अवैधानिक नियुक्ति को तत्वतः निरस्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जी हां।

प्रकरण उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

एत्मादपुर, जनपद आगरा में प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालय के भवनों के निर्माण में खर्च धनराशि

78–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र एत्मादपुर, आगरा में वर्ष 1986-87 व वर्ष 1987-88 में कितनी प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण किए गये हैं तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है? क्या यह सच है कि उक्त भवनों के निर्माण में घटिया किस्म का माल लगाकर बड़े पैमाने पर सरकारी धन में घोटाला किया गया है तथा कुछ भवनों का अभी तक निर्माण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

5 प्राइमरी स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया। जिन पर रु0 3,20,000 खर्च हुआ। उपरोक्त भवन, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आगरा द्वारा निर्मित कराये गए हैं। शिक्षा विभाग का भवन में घटिया किस्म का माल लगाकर सरकारी धन में घोटाला किये जाने की जानकारी नहीं है।

वर्ष 1986-87 व 87-88 में स्वीकृत 5 प्राइमरी एवं 2 जूनियर हाईस्कूलों के भवन निर्माण हेतु नजरी नक्शे एवं धन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आगरा को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

ग्राम चकौंध, विकास खण्ड पहाड़ी, जिला बांदा में विगत वर्षों में लगे धूम्र रहित चूल्हे

79—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्रशेखर सिंह, अध्यक्ष, युवक मंगल दल, ग्राम चकौंध, विकास खण्ड पहाड़ी, जिला बांदा ने 30-7-87 को आयुक्त, झांसी को एक प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि उनके ग्राम चकौंध में सौ धुवां रहित चूल्हे लगाने की पूरी कार्यवाही फर्जी है तथा गांव में एक भी चूल्हा नहीं लगाया गया ? क्या यह भी शिकायत की गयी है कि ब्लाक अधिकारियों और ग्राम प्रधान ने सांठ-गांठ करके सत्तर हजार रुपए की धनराशि गबन कर ली है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? दोषी व्यक्तियों को दण्डित न करने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद बांदा के ग्राम चकौंध, विकास खण्ड पहाड़ी में विगत वर्षों में 1985-86 से एक भी धूम्र रहित चूल्हा विकास खण्ड के माध्यम से नहीं लगाया गया है। फिर भी इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करने के निर्देश दे दिए गये हैं।

इलाहाबाद मण्डलीय निगम द्वारा फर्रुखाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों में लगाया जाने वाला मिनी नलकूप

80—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में इलाहाबाद मण्डलीय निगम द्वारा ग्राम—नसरापुर तथा सरायशाह मोहम्मद, विकास खण्ड कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद मिनी नलकूप का निर्माण पूरा हो गया है ? यदि हां, तो अब तक इनसे कितनी सिंचाई हुई और उससे क्या आय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कब तक चालू हो जायेगा ? इस कार्य को समय से पूर्ण न कराने में दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम—नसरापुर तथा सरायशाह मोहम्मद, विकास खण्ड कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में मिनी नलकूप की बोरिंग एवं निर्माण कार्य वर्ष 1985-86 में कराया गया परन्तु विद्युत कनेक्शन प्राप्त न होने के कारण इन नलकूपों को चालू नहीं कराया जा सका। अतः सिंचाई और आय का प्रश्न नहीं उठता।

निगमों की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण विद्युत कनेक्शन प्राप्त न हो सका जिसके कारण नलकूप चालू नहीं किए जा सके। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित 20 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

81—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन और सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम भगतपुर, तह0 टांडा व जिला मुरादाबाद में हमीरपुर सक्टूनगला मार्ग का कार्य तथा "रझेड़ा नाला" पर बनी पुलिया की मरम्मत के संबंध में ग्रामवासियों की प्रार्थना पर कार्यवाही

82—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र भगतपुर टांडा, तहसील व जिला मुरादाबाद में "हमीरपुर-सक्टूनगला" मार्ग का कार्य कितने वर्ष से स्वीकृत होने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है और उसी मार्ग पर "रझेड़ा नाला" पर विभाग द्वारा बनायी गयी पुलिया कितने वर्ष से टूटी पड़ी है और उसको ठीक करने के क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

हमीरपुर—सक्टूनगला मार्ग पर पंचायत राज विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 में कार्य किया गया था तथा पूर्ण है। रझेड़ा नाले पर बनाई गई ह्यूम पाइप की पुलिया यथास्थित है।

83—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र वासियों की तरफ से सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार इस सम्बन्ध में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर आज तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला स्तर के अभिलेखों से प्रश्नगत प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती।

राजकीय इण्टर कालेज, थल, पिथौरागढ़ में कतिपय वर्षों में छात्राओं द्वारा संस्थागत रूप से उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहबाद से गृह विज्ञान के विषय में परीक्षा दिए जाने पर परीक्षाफल में पड़ने वाला प्रभाव

84—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 200 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित विद्यालय से विगत पांच शैक्षिक वर्षों में वर्षवार क्रमशः कितनी-कितनी छात्राओं ने संस्थागत रूप से उ0 प्र0 बोर्ड इलाहाबाद से गृह विज्ञान को एक विषय के रूप में चयन कर

हाईस्कूल की परीक्षा दी थी ? प्रशिक्षित अध्यापिका के अभाव में संस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में पड़ने वाले प्रभाव हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

राजकीय इण्टर कालेज, थल, पिथौरागढ़ से वर्ष 1983 में 26, वर्ष 1984 में 25, वर्ष 1985 में 23, वर्ष 1986 में 32 तथा वर्ष 1987 में 11 छात्राओं ने संस्थागत रूप से उत्तर प्रदेश बोर्ड, इलाहाबाद से गृह विज्ञान को एक विषय के रूप में चयन कर हाई स्कूल की परीक्षा दी थी ।

प्रशिक्षित अध्यापिका के अभाव में संस्थागत परीक्षार्थियों के गृह विज्ञान विषय से सम्बन्धित परीक्षाफल पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड धानी, जनपद गोरखपुर में सम्पर्क मार्ग निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

85–श्री हर्ष वर्धन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी अध्यक्ष डी0 आर0 डी0 ए0, गोरखपुर को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1-10-86 को घोषित पत्र जो विकास खण्ड धानी में सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर 31-3-87 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । प्रश्नगत पत्र में पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग के दशवन्त नगर चौक होते हुए बरडाड़ मार्ग एवं झागपार महदेवा होते हुए बरजी मार्ग के निर्माण में अनियमितता के आरोप हैं। दशवन्त नगर चौक होते हुए बरडाड़ मार्ग के सम्बन्ध में छानबीन की गई तथा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । दूसरे मार्ग का संयुक्त निरीक्षण प्रश्नकर्ता के साथ करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर को निर्देशित किया जा चुका है।

विकास खण्ड अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के कड़लीताल की जल निकासी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे–

माध्यवर माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनके खिलाफ विशेषाधिकार सूचना देने की इजाजत मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

301 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं, जिसमें श्री बलराम यादव, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री विजय सिंह राणा, श्री नरेन्द्र पाल सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्री अकबर हुसैन बाबर की सूचना है, शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया । स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से ये सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

श्री बलराम यादव–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अतरौलिया के ग्राम–चिस्तीपुर दहेला--परमेश्वरपुर, चमैता, बाड़रा, लछिराम तथा भवानीपुर इटापल के बीच में एक बहुत ही बड़ा ताल (कइली) है। उक्त ताल के जल भराव से उपरोक्त ग्रामों के अतिरिक्त लगभग 10 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि किसानों की प्रभावित होती रहती है। सम्बन्धित विभाग का बार-बार ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद भी आज तक जल निकासी की कोई योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई है। जनता में भयंकर रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतएव जनहित के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मा0 सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला बाराबंकी के भानमऊ--सलेमपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[महोदय, बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड हरख भानमऊ–सलेमपुर मार्ग पिछले दस वर्षों से अधूरा पड़ा है। यह मार्ग राज्य सरकार द्वारा वर्ष 78-79 में स्वीकृत हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी का कार्य तथा 2 कि0मी0 तक खड़ंजा लगवाया था और पुलियों का निर्माण हुआ। इस मार्ग की कुल लम्बाई 7 कि0मी0 है।

उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूरा न होने से लाखों लोगों को आवागमन की असुविधा है।

मेरी मांग है कि उक्त मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल पूरा करवाया जाय।]

जिला अलीगढ़ में गंगा नहर के कार्यक्षेत्र के माचुआ राजबहा की पटरी पर खड़ंजा लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

महोदय, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ के कार्य क्षेत्र में, माचुआ राजबहा की दायीं पटरी पर मल 22 से 24 तक, खड़ंजा लगाकर सड़क निर्माण करने की स्थानीय जनता व पुलिस विभाग के अधिकारियों की प्रबल मांग है। अलीगढ़ व एटा जनपदों के सीमा क्षेत्र में स्थित माचुआ राजबहा का यह भाग अपराधी तत्वों की गतिविधियों का केन्द्र बन गया है। एटा जनपद की ओर से आने वाले अपराधी इसी स्थान से अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश कर डकैती, लूट राहजनी करके सुरक्षित वापस चले जाते हैं। क्योंकि इस भाग में राजबहा की पटरी में कई स्थानों पर अवैध कटान होने के कारण पुलिस के वाहन न निकल पाने से अपराधियों पर पुलिस नियंत्रण नहीं कर पाती है। दूसरी क्षति अवैध कटान से नहरी पानी के नष्ट होने से होती है। कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित रह जाते हैं। उक्त कारणों से माचुआ राजबहा की पटरी पर खड़ंजा लाकर सड़क निर्माण की विशेष आवश्यकता है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूं]

जिला आगरा के बरौली अहीर क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा–

[मान्यवर, जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली, बिचपुरी और अकोला के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या बहुत गम्भीर और भयावह हो गयी है। जमीन के नीचे का जलस्तर 20 फुट तक नीचे उतर गया है। अब कुंए पूरी तरह सूख गये हैं। हर सम्भव प्रयास करने के बाद भी उनसे पानी नहीं मिल पा रहा है और जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। अतः आवश्यक है कि विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम बुढ़ाना, महुआ खेड़ा, हिगोट, खेडिया, कबीस, नौबरी, सलेमाबाद, पर विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम-सुनारी व सुतेड़ी पर तथा अकोला में ग्राम-सिरौली पर पानी की टंकियां बनाई जाय। साथ ही श्यामों गांव पर बनी पानी की टंकी को अभी तक बमरौली कटारा की टंकी से जोड़ रखा है इसलिए न तो बमरौली कटारा की टंकी पूरा पानी देती है और न श्यामों की टंकी की पूर्ति हो पाती है अतः श्यामों में पृथक से नलकूप लगाकर उस टंकी को पृथक से नलकूप दिया जाय हर ग्राम सभा को कम से कम 10 हैण्ड पम्प दिए जायं।

यह अति अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या है आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाकर शासन से तुरन्त समाधान की माग करता हूं।]

जिला बरेली की फरीदपुर तहसील के रामपुर ग्राम में बिजली के तारों से हुई मौतों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद बरेली की त0 फरीदपुर के ग्राम रामपुर हंस के नलकूप के तार बिगत 20 दिन से टूट हुए पड़े थे जिसमें कभी-कभी बिजली आ जाती थी जिसे ठीक करने की सूचना ग्राम प्रधान ने कई बार विद्युत विभाग से की लेकिन उक्त लाइन ठीक करने की सूचना ग्राम प्रधान ने कई बार विद्युत विभाग से की लेकिन उक्त लाइन श्री फूल सिंह की भैंस ट्यूलवेल की तारों में उलझ गयी जिसे छुड़ाने वह जैसे ही भैंस के पास गया बिजली ने उसे पकड़ लिया फूलसिंह की चीख सुनकर उसका लड़का हरपाल सिंह 28 वर्ष पिता को बचाने गया तो वह बिजली के शिकंजे में आ गया हरपाल सिंह की गोद में उसका ढाई साल का लड़का भी था लिहाजा वह भी इस हादसे का शिकार हो गया तीनों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी भैंस तो इस दौरान दम तोड़ ही चुकी थी विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण चार जाने चली गयी जिससे आस-पास के क्षेत्र में रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि दोषी विद्युत कर्मचारियों को दण्डित किया जाये तथा उक्त परिवार की क्षति पूर्ति करायी जाये।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जल भराव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, जनपद-आजमगढ़, ब्लाक तहबरपुर के ग्राम धनियाकुड़ी, बसही, बन्दे-दासपुर, ग्रामों में तालाब गड्ढों में नहरें गिराई गयीं हैं और कटाव भी होता है जिसकी वजह से भारी मात्रा में नहरों का पानी और विशेषकर बरसात का पानी जमा होकर पूरा जल-जमाव हो जाता है और उसके निकासी के वास्ते कोई नाला आदि नहीं है जिसकी वजह से किसानों की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। और भूखमरी की स्थिति में हो जाते हैं। बाढ़ और नहर विभाग का ध्यान कई मर्तबा दिलाया गया कि यदि इन गांवों से एक नाला निकालकर नदी में मिला दिया जाय तो पानी का जो जल-जमाव होता है और जिससे फसलें नष्ट और नाना प्रकार की बीमारियां मनुष्य और जानवरों की पैदा होती हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वहां की जनता के अन्दर काफी असन्तोष और आक्रोश पैदा है, स्थिति काफी विस्फोटक है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि ग्राम धनियाकुंटी, बसही, बन्ददेासपुर ब्लाक तहबरपुर जिला आजमगढ़ के तालाबों आदि में जो नहरों और बरसात का पानी आकर जल-जमाव करता है उससे एक नाला निकालकर नदी में गिरा दिया जाय ताकि किसानों की फसल नष्ट होने से और मनुष्य तथा जानवर बीमारी से बच सके।]

जिला फैजाबाद के ग्राम ताराखुर्द की भूमि विवाद के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर–

[महोदय, ग्राम ताराखुर्द जनपद-फैजाबाद में चकबन्दी के पूर्व भूमि नं0-238 वर्तमान में भूमि नं0 317 हो गयी है, उक्त गांव में बाबा अनुरागी दास चेला राम केवलदास के नाम 9 बीघे का खाता था, भारी जाल साजी करके फर्जी आदेश बनवाकर और चकबन्दी की पत्रावलियों में फर्जी हेर-फेर करके 9 के अंक के बायीं ओर एक बढ़ाकर रकबे को 19 बीघे कर दिया गया, इस प्रकार गांव सभा के 10 बीघे भूमि हड़प ली गयी। 317 के विभिन्न बढ़ा जाता को कब्जा मौका के विरुद्ध नक्शे में गलत तरमीम करा दिया गया और गांव सभा की बहुत सी भूमि जाल करके हड़प ली गयी। वर्ष 1983 में इसी प्रकार गांव सभा की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में कुछ लोगों ने घातक अस्त्रों से हमला करके नारायण प्रधान व दर्जनों लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया और खदेरू यादव की मौके पर ही हत्या कर दी। पिछले 5 वर्षों से इस भूमि के विवाद को लेकर जनता और सुफलदास के बीच भारी तनाव उत्पन्न है? हर वर्ष सरकार को पुलिस भेजकर पचासों, हजार रुपये का अपव्यय करना पड़ता है।

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि जाल-साजी द्वारा ग्राम पंचायत ताराखुर्द की हड़पी हुई भूमि ग्राम पंचायत को दिलाने के लिए और पत्रावलियों को दुरुस्त कराने के लिए उच्च स्तरीय जांच नियुक्त की जाय जो पत्रावलियों का गहन अध्ययन करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करें।]

नोटः–[xxx] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ललितपुर के एस0 एस0 पी0 द्वारा अध्यक्ष, लोकदल, ललितपुर की हत्या कराये जाने की साजिश के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, ये सारी सूचनायें अस्वीकार की गई क्योंकि ये सभी आश्वासनों से संबंधित हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उस पर बोलने दीजिए । सारे नियमों को निलम्बित करके, जिस नियम में मेरी यह सूचना आती है, उसी नियम में ले लें । किन्तु मुझे मेरी बात आप कहने दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी मेरी बात को गम्भीरता से सुनें । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने औचित्य के प्रश्न में जो सूचना दी है, उसकी ग्राह्यता के संबंध में मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा । श्री तिलक यादव, अध्यक्ष, लोकदल, ललितपुर, जिनके संबंध में 6 मार्च को जब यहां पर श्री कत्याल की हत्या के संबंध में चर्चा हो रही थी उस समय मैंने यह सवाल उठाया था । एस0 एस0 पी0 ललितपुर श्री तिलक यादव की हत्या करवाना चाहते हैं । इसके संबंध में माननीय श्री राम शरण दास जी ने भी नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी थी, जिसे आपने बयान के लिये स्वीकार कर लिया था । जब यह बात एस0 एस0 पी0 ललितपुर को पता चला तो उसने तिलक यादव से कहा कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई लखनऊ तक शिकायत करने की और उन्होंने कई पुलिस के लोगों को बुलाकर यह कहा कि तिलक यादव की हत्या चाहे गुण्डों से या जैसे भी हो करा दो । उसी एस0 एस0 पी0 ने डिस्ट्रिक्ट जज को भी धमकी दी, जिसके बारे में मैंने मौखिक रूप से भी बताया, मुख्य मंत्री जी को भी बताया और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बताया और लिखकर भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज ने भी कहा है कि एस0 एस0 पी0 ने उनको धमकी दी है । टेलीफोन करके डिस्ट्रिक्ट जज से कहा गया कि "तुम्हारा दिमाग ठीक कर दिया जायगा । थाने बुलाकर जेल में बन्द कर दिया जायगा तब तुम्हें पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज होता क्या है" ।

इसी प्रकार के एक नहीं अनेक आरोप हैं एस0 एस0 पी0 पर । अगर उनमें से तीन भी आरोप सही हैं तब भी ललितपुर का एस0 एस0 पी0 मुअत्तल होने योग्य है । वहां पर जितने थाने हैं, रुपया लेकर जूनियर लोगों को थानाध्यक्ष बनाया गया है ।

ग्राम मोंगरा में डकैती पड़ी, उसमें पुलिस कर्मी शामिल थे । पहचान लिये गये क्योंकि जी0 डी0 के अनुसार उन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी उसी गांव में थी। शिकायत करने पर भी एस0 एस0 पी0 ने पुलिस का ही पक्ष लिया ।

भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की पुलिस की मिलीभगत से काफी क्षति की गयी है । इसी प्रकार तमाम उदाहरण हैं ।

ग्राम अण्डेला में मूर्ति की चोरी हुई, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल है । जिस एम्बेसेडर कार के द्वारा चोरी हुई उसका नम्बर भी पुलिस को बतलाया गया, लेकिन एस0 एस0 पी0 ने जानबूझकर मामले में विलम्ब किया और कोई कार्यवाही नहीं की ।

ग्राम बमराना में दो लाख रुपये की डकैती पड़ी । माल बरामद हुआ, मुल्जिमान को छोड़ दिया गया केवल एक को पकड़ा गया और बरामदशुदा सामान एस0 एस0 पी0 ने और पुलिस ने मिलकर बांट लिया । इन बातों को लेकर लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और तमाम दलों ने विरोध किया । 7 अप्रैल को जब तिलक यादव ललितपुर पहुंचे तो उनको धमकी दी गयी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम लखनऊ शिकायत करने गये ? दिनांक 29/30 मार्च की रात्रि में तिलक यादव के घर जाकर पुलिस ने इनकाउण्टर की धमकी दी । दिनांक 31-3-88 को दिन के 12-30 बजे तिलक यादव को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । जमानतीय केस होने के बावजूद भी जमानत नहीं ली गई । अनेकों राजनीतिक कार्यकर्ता इस सिलसिले में जिलाधिकारी से मिले । उन्होंने भी आदेश कर दिया कि यदि अपराध जमानतीय है तो जमानत ले ली जाय और यदि गैर जमानतीय है तो तत्काल मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाय लेकिन जमानत नहीं ली गयी बल्कि फर्जी तौर पर रवानगी दिखा दी गयी । अभी पता नहीं है कि श्री तिलक यादव कहां है । उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है । तिलक यादव की हत्या कभी भी एस0 एस0 पी0 करा सकता है । आज मेरी मांग है कि तिलक यादव जहां भी हों उनका पता लगाया जाय और एस0 एस0 पी0 को मुअत्तल किया जाय । वहां से तत्काल हटाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । मैंने वक्तव्य स्वीकार कर लिया था ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अभी राम सेवक यादव बदायूं के युवा लोकदल के महामंत्री हैं. उनको जेल में डाल दिया गया, श्री अक्षयवर मल्ल को विधान सभा के सामने मार दिया गया । लोकदल (ब) के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार किया जा रहा है । इस पुलिस व्यवस्था में जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने के लिये पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है । इसलिये मान्यवर, यह हमारा औचित्य का सवाल आप स्वीकार कीजिये और मेरी मांग है कि एस0 एस0 पी0 ललितपुर के विरुद्ध कार्यवाही करवाइये और तिलक यादव को जेल से रिहा किया जाय और पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं इसी सिलसिले में थोड़ा सा कहना चाहता हूं । आप मान्यवर, व्यक्तिगत तौर पर भी इस एस0 एस0 पी0 को जानते हैं । पिछली बार भी इसी सदन में इसके विरुद्ध मामला उठाया गया था । बाराबंकी में भी इसने इसी प्रकार का हड़कम्प किया है । सभी सदस्यगण जानते हैं और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और आपका एस0 एस0 पी0 इतना उधम मचाये हुए है । उसने जज को धमकी दी है तो मान्यवर, यदि आप निर्णय नहीं करेंगे तो सब मारे जायेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न पर आप ध्यान दें और कोई न कोई कार्यवाही उस एस0 एस0 पी0 के खिलाफ जरूर करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मामला पहले भी आया था आज भी जैसा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है और आपने उन्हें बताया है कि इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है। आज सुबह भी मेरी इस संबंध में माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई थी, मैंने गृह सचिव को भी बुलाया था और उनसे भी बात हुई, इसमें पूरे बिन्दु आ जांय और दोषी व्यक्ति के खिलाफ देखा जाय कि क्या कार्यवाही हो सकती है, जब इसमें वक्तव्य लगा हुआ है तो जब वह आयेगा तो बहुत से तथ्य अपने आप ही इसमें सामने आ जायेंगे। लिहाजा आपके माध्यम से माननीय मुलायम सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि इसमें वक्तव्य के आने तक के लिए थोड़ा इन्तजार कर लें और किसी के खिलाफ कोई उत्पीडन की कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

वक्तव्य के लिये ही तो जब सूचना मांगी गयी है ललितपुर से, तभी से उत्पीड़न की कार्यवाही शुरू हुई है क्योंकि जो सूचना मांगी गयी तो इसके कारण वह एस0 एस0 पी0 बोखला गया है। मैंने सारी बातें आपसे आपके चैम्बर में समझायी थीं, इस समय यहां पर माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित हैं, आप उनसे कुछ कहलवाइये, इस पर ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, जैसा कि कहा गया है, इस संबंध में वक्तव्य आना है। वक्तव्य के पूर्व सूचना एकत्र की जा रही है। जब वक्तव्य आयेगा तो जितने बिन्दु आपने उठाये हैं उसकी पूरी जानकारी करके वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्या जो बिन्दु मैंने आज अभी कहे हैं, उनको भी आप अपने वक्तव्य में शामिल करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

इन बिन्दुओं की भी जानकारी कर ली जायेगी।

आगरा की पेयजल समस्या के संदर्भ में शासन द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को पूरा न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या को औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह लोक हित के साथ ही साथ वैधानिक चिन्ता का भी विषय है इसलिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्रीमन् 11 मार्च को नियम 56 के अंतर्गत हमारे मित्र माननीय रघुवर दयाल वर्मा, मा0 विजय सिंह राणा तथा मा0 बदन सिंह जी ने आगरा के पेयजल की समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया था जिसमें कृपा पूर्वक आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया था। आपने विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस पर दो घण्टे की चर्चा को भी

स्वीकार किया था और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर यह आश्वासन दिया था कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए 14 मार्च को ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि इस ओर कुछ हल निकल सके । फिर मान्यवर यह बैठक कैबिनेट रूप में 14 तारीख को हुयी, जिसमें मा0 संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती पद्मा सेठ, नगर विकास विभाग मंत्री, सचिव, नगर विकास विभाग, मैं स्वयं व मा0 राणा जी, वर्मा जी तथा अन्य लोगों ने भाग लिया जिसमें तीन तरह के निर्णय लिये गये एक तो तत्कालिक दूसरा अल्पकालिक और तीसरा दीर्घ कालिक ताकि आगरे की इस गम्भीर पेयजल संकट को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, उसका कुछ निदान निकल सके । तो श्रीमन् तत्कालिक में यह निर्णय लिये गये कि 1000 हैण्ड पम्प (मार्क 2) लगाएं जांए साथ ही वहां पर जो शाही कुयें आदि थे उसकी तत्काल सफाई की जायें दीर्घकालिक व्यवस्था में गंगा कैनाल से आगरा जल संस्थान को पानी की आपूर्ति की जाए और दीर्घकालिक व्यवस्था में यमुना बैराज के बनने की बात थी । यह बैठक श्रीमन् लगभग 2 ढ़ाई घंटे तक चली, यह सारी बातें जो 14 तारीख की बैठक में हुयी और जो निर्णय लिये गये, उसकी सारी कार्यवाही मेरे पास है यदि आप आदेश दें तो मैं उसे पढ़कर सुना दूं, वैसे हमने अपने औचित्य के प्रश्न के साथ इसको नत्थी किया है । तो श्रीमन् 14 तारीख को यह निर्णय लिये गये और इस ओर यह आश्वासन भी दिए गये कि इसे क्रियान्वित किया जायेगा और इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी, सरकार उनका प्रबन्ध करेगी ।

इन सारी बातों से मान्यवर, हम लोग संतुष्ट हो गये और 22 तारीख को जो इस पर चर्चा हुई दो घंटे की उसमें भी यह सारे आश्वासन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा पुनः दोहराये गये , लेकिन मान्यवर, 4 अप्रैल को अभी जब मा0 मुख्य मंत्री जी आगरा गये एक डिग्री कालेज के समारोह में भाग लेने हेतु तो वहां पर कुछ आगरा के समाचार - पत्र बन्धुओं ने पूछा कि जो 22 तारीख को निर्णय लिये गये हैं 1000 हैण्ड पम्प दिए जाने के, वह कब तक लगा दिए जायेंगे । तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कौन से हैण्ड पम्प, कौन सी बैठक, कोई निर्णय और किसी प्रकार के कोई आश्वासन शासन की ओर से नहीं दिये गये हैं । तो मान्यवर, यह तो बहुत ही गम्भीर विषय उठ खड़ा हुआ जो मुद्दा सदन से भी जुड़ा हुआ है । आज दो माह से विधान सभा चल रही है और श्रीमन् आपकी पीठ से बराबर इस आशय के निर्देश दिए गये हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी या अन्य कोई भी मा0 मंत्रीगण आश्वासन देंगे तो वह मान्य होगा और उस पर यथाशीघ्र कार्यवाही होगी, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी के उस दिन के बयान से हम लोग बहुत ही चिंतित हैं कि पिछले दो माह में सदन में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिये हैं उनका आखिर क्या हश्र होगा, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ है । फिर श्रीमन् मैं आपका और मा0 अध्यक्ष जी का, मा0 संसदीय कार्य मंत्री अम्मार साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यह विसंगति जो उत्पन्न हुयी, इस पर गम्भीरता से पुनः विचार हुआ अला समय में यह सारे निर्णय हुए और आश्वासन दिए गये, जिसकी सूचना मा0 मुख्य मंत्री जी को नहीं हो सकी, इस वजह से यह स्थिति विसंगति उत्पन्न हुयी । तदुपरांत मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से पुनः अखबारों के माध्यम से यह निर्देश दिए गये कि

आगरे में जो पेयजल समस्या के निदान के लिए 1000 हैण्ड पम्प दिये गये हैं, वह अवश्य दिए जायेंगे और इस ओर जो भी धन की आवश्यकता होगी, उन सब को सरकार देगी। इसलिए श्रीमन्, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं (घोर व्यवधान) तथा अपने औचित्य के प्रश्न पर बल नहीं देता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह तो लगता है कि कांग्रेस से मिल गये ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

होस्टाइल हो गये यह तो मान्यवर. . .

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

इस विषय पर दो घंटे की चर्चा तहले हो चुकी है, कृपया शांति बनाएं रखें. .'

(घोर व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, गवाह होस्टाइल हो गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा में पेय जल का इतना संकट है और आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी के लिये पूरा सदन परेशान नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राणा, रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री बदन सिंह सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह मामला आगरा के पेय जल का है और इस पर इस सदन में बराबर चर्चा हो चुकी है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था और डाक्टर कौशल ने भी इस बारे में कहा । एक बार बाहर बयान आया कि धन नहीं दिया गया है और एक बार बयान आया कि धन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप इस संबंध में सरकार से स्पष्ट आश्वासन दिला दें, मामला शान्त हो जायेगा ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न है, जो नोटिस दिया है, वैसे तो आपको अधिकार है और उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है और यह आपका फैसला है तो नोटिस पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, उनको आप एक-एक मिनट सुन लें आप अपने निर्णय पर विचार कर लें, वैसे आप का जो आदेश होगा वह शिरोधार्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री बदन सिंह अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री और आपका आभारी हूं कि आपने इस मसले पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय नेता सदन को सदन की कार्यवाही से परिचित मान जाने की परम्परा रही है। 11 तारीख को और 23 तारीख को विधान सभा में संसदीय कार्य मंत्री जी ने सत्ता पक्ष की ओर से आश्वासन दिया था कि 14 तारीख की अधिकारियों की बैठक में आगरा के पेयजल के लिए जो निर्णय लिये गये हैं, उनके लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी और उसी आधार पर डा0 कौशल ने आगरा में समाचार-पत्रों को बताया कि आगरा के लिए पेयजल के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। 4 तारीख को माननीय नेता सदन, श्री वीर बहादुर सिंह, आगरा गये और वहां पर जब समाचार पत्र वालों ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है और कोई इस तरह की बैठक नहीं हुई है। तो इस प्रकार की घोषणा विधान सभा की कार्यवाही की अवमानना है, यह गम्भीर मसला है। नेता सदन को यह अधिकार नहीं है कि सदन से ऊपर उठकर वह उसकी कार्यवाही की अवमानना करे और सार्वजनिक रूप से उसका प्रकाशन करें। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। यह ऐसा मामला है जिस पर मंत्रि-परिषद् अपने संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है।

जब हम यहां पर खड़े होकर यह कहते हैं कि सम्बन्धित मंत्री को बुलाया जाय तो श्रीमन्, आपकी तरफ से यह फैसला होता है कि मंत्री परिषद् का कोई भी सदस्य उत्तर दे सकता है क्योंकि यह मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन ने आगरा में एक हजार हैण्ड पम्प लगाने के बारे में पेयजल की व्यवस्था के बारे में बांध बने या न बने इसके बारे में, सदन की कार्यवाही के खिलाफ जाकर जो बात कही है वह इस सदन की अवमानना है, यहां की कार्यवाही का अपमान किया है। माननीय सदस्य डाक्टर कौशल जो हैं वे मंत्रि-परिषद् को देखकर हड़बड़ा गये, उनका पानी निकल गया। उस दिन से वे परेशान थे लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री की हसमुख मुद्रा को देखकर उनका पानी निकल गया। इसलिए मान्यवर, जब तक मुख्य मंत्री इस विषय में खेद प्रकट न करें कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसके लिए उन्हें खेद है और भविष्य में इस तरह की कार्यवाही नहीं करेंगे, यह औचित्य का प्रश्न बनता है। श्रीमन्, यह ऐसा मसला है जिस पर डाक्टर कौशल भी नतमस्तक हो गये। उनको भी खेद प्रकट करना चाहिए। इस संयुक्त उत्तरदायित्व पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

बदन सिंह जी, आपका इसमें नाम नहीं है। राणा जी बोलेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, हम डाक्टर कौशल से यह उम्मीद करते थे कि जनता और पार्टी में जब चुनाव करने का सवाल आये तो वे जनता को चुनेंगे पार्टी को नहीं देखेंगे। उन्होंने इसमें पार्टी को चुना, जनता को नहीं चुना । अतः उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। मान्यवर, स्पष्ट बात यह है कि जो 14 तारीख को मंत्रि-परिषद् कक्ष में बैठक हुई थी, उसमें जो निर्णय लिये गये वह विधान सभा में नियम 56 के अन्तर्गत जो हमने चर्चा मांगी थी उसके संदर्भ में वह बैठक हुई थी जिसमें विभागीय अधिकारी तथा सभी सदस्य भी उपस्थित थे। श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि विधान सभा की कार्यवाही की पुष्टि के रूप में, पूरक के रूप में वह बैठक की गई थी और वह सदन की कार्यवाही का एक अंग थी । वह उससे अलग नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो 14 तारीख की बैठक में निर्णय लिये गये थे उनके बारे में जब पूछा गया तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 14 तारीख की बैठक में जो निर्णय लिये गये हैं, वे मान्य हैं और उनके लिए सरकार धन की व्यवस्था करेगी । 14 तारीख को मंत्रि-परिषद् कक्ष में जो निर्णय लिये गये थे उसने सदन में उठाये गये प्रश्न पर मोहर लगा दी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सामूहिक उत्तर-दायित्व की भावना है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही, वह निर्णय माना जायेगा। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री का यह कहना कि उन्हें सदन के निर्णय की जानकारी नहीं थी। पत्रकारों के पूछने पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने यह सम्भावना भी नहीं छोड़ी और यह स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है और अगर डाक्टर कौशल ने प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा कि 1 हजार हैण्ड पम्प और पेयजल व्यवस्था और बांध से नल जोड़ने और अन्य मांगें रखी हैं, तो यह डाक्टर कौशल ही जानें, वही व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है और अगर इस तरह से कार्य होंगे तो सदन की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । मान्यवर, हम रोज देख रहे हैं जो यहां पर प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं उन पर जब कार्यवाही करने की बात आती है, स्पष्ट रूप से जब कोई आश्वासन दिया जाता है या निर्णय दिया जाता है तो उन निर्णयों को स्वीकार करने का सम्पूर्ण मंत्रि-परिषद् का दायित्व है । मेरा कहना यह है कि आगरे के बारे में यह घोषणा करने के बाद कि ऐसा निर्णय लिया गया है, मुख्य मंत्री का यह कहना कि उनको जानकारी नहीं है कि इस तरह का फैसला लिया गया है। डाक्टर कौशल ही जानें, यह कहना इस विधान सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही के लिये एक प्रश्न चिह्न हो गया है । इस संबंध में हमें आगे सोचना पड़ेगा कि सदन में दिये गये आश्वासनों का क्रियान्वयन किस तरह से होगा ।इस प्रकार जो गंभीर स्थिति होगी उसका सबसे ज्यादा फायदा नौकरशाही उठायेंगे और आज भी उठा रहे हैं । जब सदन की इस प्रकार अवमानना होगी तो क्या हालत होगी, इसका मुझे खेद है। माननीय मुख्य मंत्री जी को खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, उस दिन कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

दिया होगा, जिन सदस्यों का नाम आज सूचना में था मैंने उनको सुन लिया है। अब आप बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने औचित्य के प्रश्न पर निवेदन किया था कि जिन माननीय सदस्यों ने इस औचित्य के प्रश्न पर दस्तखत किये हैं उन्हें आप एक-एक मिनट सुन लें और आपने सुन लिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । मैं माननीय कौशल जी के बारे में समझता था कि इतने दिनों से इस तरह हमारे साथ बैठे हैं इसलिए उन पर माननीय राणा जी का, माननीय वर्मा जी का और माननीय बदन सिंह जी का कुछ न कुछ हद तक कम असर होगा लेकिन "मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की तो इनका असर इन पर ज्यादा हुआ । हालांकि माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने कहा इनका पानी उतर गया (व्यवधान) या पानी निकल गया जो भी हो पानी उधर आ गया । मैं इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता ।

मान्यवर, यहां पर एक चर्चा हुई और इस संबंध में मीटिंग भी हुई कि आगरा की इस गम्भीर समस्या को कैसे दूर किया जाय । तो उसके लिये कुछ उपाय किये जांय इस पर बात हुई । मैं उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने अखबार का हवाला दिया । अखबारों में कहीं पर कोई समाचार निकले और माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रतिक्रिया निकले तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों के आधार पर यहां पर चर्चा करना उचित नहीं है । जिन अखबारों का उन्होंने हवाला दिया है उसके आगे उन्होंने पढ़ा नहीं । उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे कहा कि मैं इस सारे मामले पर लखनऊ जाकर देखूंगा कि क्या स्थिति है और उसके बाद ही कुछ कह सकूंगा । तो जहां इस प्रकार की बात आती है तो यही बात कही जाती है कि देख कर कार्यवाही करेंगे ।

मान्यवर कौशल जी तथा माननीय सदस्य भी जानते हैं कि एक हजार पम्प लगाने के आदेश नगर विकास मंत्रालय से जा चुके हैं । तो यह निर्णय चाहे मंत्रि-परिषद् से कहिये, या माननीय सदन का प्रस्ताव जो निर्णय कमेटी में हुआ उनका कार्यान्वयन किया जायेगा । जहां तक ज्वाइंट रिस्पोंसिबिलिटी की बात है उसमें कहीं पर भी कोताही नहीं हुई है । जो आश्वासन यहां पर दिया गया उससे हटने की कोई बात नहीं है । माननीय कौशल जी ने स्वयं स्वीकार किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका खण्डन भी किया । आगरा में एक हजार पम्प लगाने की बात हो गयी है जो मीटिंग हुई उसके बाद आदेश जाने में थोड़ा बहुत समय लग ही जाता है, उसके कार्यान्वयन में थोड़ा विलम्ब होता ही है लेकिन उसके माने यह नहीं है कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया उसकी डिस-रिस्पैक्ट हुई है । मंत्रि-परिषद् का जो भी सदस्य कोई बात कहता है उसे वह पूरी जिम्मेदारी से कहता है । आगरा में पानी की व्यवस्था के बारे में मीटिंग में जो निर्णय हुआ वह तीन फेजेज में पूरी तरह से कार्यान्वित होगा । यह कोई औचित्य का प्रश्न तो नहीं बनता है लेकिन माननीय सदस्यों को एक बात सामने लानी थी वह ले आये उसके लिये मैं आभारी हूं । अगर यहां पर स्पष्टीकरण का अवसर नहीं होता तो सारी बात साफ भी नहीं होती ।

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन में प्रबंध निदेशक न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो सूचना है वह आश्वासन के कार्यान्वयन के बाद की है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आश्वासन तो आश्वासन समिति को जायेगा ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

एक स्पष्ट घोषणा की गयी थी कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये इलैक्ट्रानिक्स का विकास किया जायेगा और उसके लिये हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की स्थापना 1985 में की गयी थी उसमें 51 परसेंट शेयर अपट्रान का होना और 49 परसेंट शेयर पर्वतीय विकास का होगा। मान्यवर, उस व्यवस्था में जो अपट्रान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन का था उसका शेयर 51 प्रतिशत का था, इसको देखते हुए सारा मैनेजमेंट, प्रबंध मंडल, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स अपट्रान का था । इसके बाद 25 मार्च को यहां मंत्री जी ने घोषणा किया कि इसको अलग से हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन बना दिया गया है, उसका कार्यान्वयन हुआ, जिसका उल्लेख औचित्य की सूचना में दिया है, लेकिन उसका कार्यान्वयन कैसे हुआ, उसमें दिखाया गया है कि अपट्रान का अब कोई शेयर हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन में नहीं होगा और 100 प्रतिशत अंश पूंजी पर्वतीय विकास विभाग की होगी । मान्यवर, मुझे निवेदन करना है कि इस सबके बावजूद जो प्रबंध मंडल है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स, अपट्रान का है। मान्यवर, दूसरी विसंगति यह है कि हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन का वित्तीय लेखा जोखा लखनऊ में संयुक्त निदेशक उद्योग देखेंगे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक के विकास के लिये अलग कारपोरेशन बनाया गया है, उसका सारा इस्टेब्लिशमेंट पर्वतीय क्षेत्र में है, इसलिये एक तो इसके लिये अलग से प्रबंध मंडल बनाया जाये और इसका कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाये । इस पर आप व्यवस्था दे दें ।

बजट सत्र के दौरान मुख्य मंत्री व अन्य मंत्री गणों के संबंध में अनुपस्थित होने के संबन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है वह सदन की अपनी व्यवस्था के संबंध में है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद् इस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रि परिषद् के सदस्यों और मुख्य मंत्री जी को जब विधान सभा की कार्यवाही चले तो सामान्यतः विधान सभा के अंदर रहने की व्यवस्था संविधान में की गयी है । मान्यवर, इस बार 30 दिन सत्र चला और इसमें सामान्यतः 26 दिन मुख्य मंत्री जी सदन के अंदर नहीं आये । यही कारण है कि विधान सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में जो निर्णय हुए, जो आश्वासन यहां दिये गये उनकी जानकारी न तो मुख्य मंत्री जी को और न शासन की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में ही उनको एवं मंत्रि परिषद के सदस्यों को जानकारी है जिससे सदस्यों को शासन की नीतियों की जानकारी नहीं हो पाती इसलिए निवेदन है कि जैसे उद्योग बजट, सिंचाई बजट, वित्त विभाग के बजट जिसके प्रभारी मुख्य मंत्री हैं किन्तु इन विभागों के बजट प्रस्तुत करने के दिन भी वे नहीं रहे । फलत: ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में यह औचित्य का प्रश्न आया है, जिसकी ग्राह्यता है और इसीलिए आपकी पीठ से मंत्रि परिषद् के सदस्यों और मुख्य मंत्री से आशा की जाती है कि वह यहां रहें लेकिन इस परिपाटी को मुख्य मंत्री जी ने तोड़ दिया है... मुख्य मंत्री सदन के नेता हैं और सदन के चलते हुये इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता । उनकी अनुपस्थिति सदन की अवज्ञा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जांय, अब समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मुख्य मंत्री पूरे सदन का नेता होता है, इसलिये उन्हें सदन की हर गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जैसा श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है उसके अनुसार अभी मार्शल द्वारा मुख्य मंत्री को यहां बुलाया जाये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, वह (श्री राम शरण दास) जिस तरह से यहां आना पसन्द करते हैं उसी तरह से सोचते हैं कि दूसरे भी यहां आयें और जांय ।

मान्यवर, इस मामले, ज्वाइंट रिस्पान्सिबिलिटी पर एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है और आपकी तरफ से निर्णय हो चुका है। मैं समझता हूं कि इस मामले पर, सामूहिक उत्तरदायित्व पर, जितनी आपकी व्यवस्थायें हो चुकी हैं उतनी अन्य मामलों पर नहीं ।यहां पर यही नहीं यहां से लेकर हाउस आफ कामन्स तक का आप देखें तो यह बात बिल्कुल तय कर दी गयी है कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में ज्वायेन्ट रिस्पोन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी होती है । उसको बार-बार दोहराना आप स्वयं समझ सकते हैं कि कहां तक उचित हो सकता है । यह औचित्य के प्रश्न में तो आता नहीं । सरकार के सारे सदस्य और संबंधित सदस्य तो उपस्थित रहते ही हैं और मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित रहते हैं और यदि वह नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वह किसी आवश्यक कार्य से, जनहित के कार्य से ही कहीं व्यस्त होंगे । इससे यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और मैं समझता हूं कि उस पर काफी चर्चा हो चुकी है, पिछली बार ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है आप सुन लीजिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शाही जी ने जो प्रश्न उठाया है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नियमों में व्यवस्था है कि जो यह उत्तर देने खड़े होंगे तो उसका संगत उत्तर होगा । शाही जी ने अपने प्रश्न के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व का मामला ही नहीं उठाया था, यह कहा था कि जो मुख्य मंत्री हैं, उनको इस सदन में उपस्थित रहना चाहिए और यदि कोई ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति पैदा हो जिससे वह उपस्थित न रह सकें तो, उस संबंध में परम्परा यह है कि उन्हें आपकी–माननीय अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए । शाही जी ने जो सामूहिक उत्तरदायित्व का मामला उठाया है, उसका तो उन्होंने उत्तर दे दिया, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की बात कह कर, किन्तु शाही जी ने जो संसदीय मान्यताओं की बात कही है, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है मंत्री जी ने । मुख्य मंत्री जी आज भी सदन में अनुपस्थित हैं, तो क्या मान्यवर, आपको उसकी जानकारी है कि किस आवश्यक कार्य को लेकर वह आज सदन से बाहर हैं । सदन को इस बात का स्पष्टीकरण मालूम होना चाहिए कि कौन कार्य है जिसकी वजह से वह अनुपस्थित हैं और क्या वह कार्य सदन की इस बैठक से भी ज्यादा आवश्यक है ?

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और उसमें मामला यह है कि मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति के मामले में संयुक्त उत्तरदायित्व में वह आ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री सदन के नेता भी हैं और यह आवश्यक नहीं है कि जो मुख्य मंत्री हों वह सदन का नेता भी हो । वीर बहादुर सिंह यहां पर मुख्य मंत्री हैं और सदन के नेता भी हैं । संयुक्त उत्तरदायित्व का मामला तो इसमें जुड़ सकता है, लेकिन सदन के नेता की बात है । सदन का कोई मंत्री उससे सम्बद्ध नहीं है । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुख्य मंत्री जी सदन चलने के 30 दिन में 26 दिन इस सदन से बाहर रहे हैं, गायब रहे हैं । यह संयुक्त उत्तरदायित्व का ही विषय नहीं, यह नेता सदन का मामला है और यह संसदीय परम्पराओं और उसकी मान्यताओं का गम्भीर मामला है । श्री अम्मार रिजवी खड़े हो जाएं तो यह उचित नहीं हो जाता है, यह प्रवृत्ति बराबर बढ़ रही है । वैसे हर गलत मुकदमें की पैरवी करना अम्मार रिजवी की आदत बन गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने मेरी बात पर कोई व्यवस्था नहीं दी ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उसे दे दूंगा ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं 79 प्वाइन्ट पर खड़ा हो गया हूं, मैं उस पर बोलना चाहता हूं, उस पर व्यवस्था चाहिए । आज इस सदन में तय होना चाहिए कि कितने दिनों सदन चले और कितने दिन नेता सदन और नेता विरोधी दल उपस्थित रहें । यह मखौल की बात नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें नियमों की कोई बात नहीं है । वह आवश्यक कार्य में जाते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

हाईस्कूल तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरा प्रश्न बहुत अहम है और औचित्य का प्रश्न बनता है । संविधान में जो चीजें दी गई हैं, उनका अनुपालन यह सरकार नहीं करती है, तो यह सदन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि 14 वर्ष की आयु की समाप्ति तक सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु प्राविधान किया गया है । मान्यवर, कक्षा–1 से कक्षा 6 तक पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा निःशुल्क थी, अब पूरे प्रदेश में विकास शुल्क के नाम पर इस छूट को समाप्त कर दिया गया है । विकास शुल्क के नाम पर फीस बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से सात हजार बच्चों की संख्या प्राइमरी स्कूलों में घट गई है । संविधान के अनुच्छेद 45 में जो दिया गया है उसका यह सरकार अनुपालन नहीं कर रही है जिसकी वजह से प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 30 लाख से अधिक छात्र संख्या घट रही है, जिससे आप भावी भविष्य की कल्पना कर सकते हैं । सरकार तत्काल संविधान के अनुच्छेद–45 के अनुसार हाईस्कूल तक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की व्यवस्था करे । जो यह संविधान की भावना के विपरीत कार्य हो रहा है उसमें मान्यवर आप ही सरकार को निर्देशित कर सकते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, दो बिन्दु रह गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर दो बातें रह गई हैं इसलिए हम उसको कहना चाहते हैं । माननीय वर्मा जी ने निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में सवाल उठाए । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 1990 तक प्रदेश में एक भी निरक्षर नहीं रह जाएगा । सरकार के आंकड़ों के अनुसार 27 सैकड़ा साक्षर हैं और 73 सैकड़ा निरक्षर लोग हैं । देश के स्तर पर 36 सैकड़ा लोग साक्षर हैं । दूसरी तरफ मान्यवर, इन्होंने नयी शिक्षा नीति चलाने की घोषणा कर दी है । मान्यवर, सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1990 तक 20 लाख विद्यार्थी बढ़ जायेंगे । जिनके लिये पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं है और निरक्षरता बढ़ जायेगी । विकास शुल्क के नाम पर सरकार फीस बढ़ा रही है। उसमें गरीब विद्यार्थी पिछड़े विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, और जो मजदूर काम करते हैं उनके बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या स्कूलों में घट रही है, इनका संकल्प था कि दस साल के अन्दर सारे लोगों को साक्षर करेंगे और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान करेंगे, तो यह सरकार का संकल्प है। हम तो कहते हैं कि निःशुल्क शिक्षा आपको हाईस्कूल तक नहीं इण्टरमीडिएट तक करनी चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर माननीय वर्मा जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो औचित्य के प्रश्न को उठाया है कि हाईस्कूल तक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि बालिकाओं की शिक्षा 12वीं तक निःशुल्क है और बालकों के लिए 6ठीं तक शिक्षा निःशुल्क है । अनुच्छेद-45 के बारे में माननीय वर्मा जी ने कहा उसको मान्यवर, आप स्वंय देख लें, इसमें लिखा है कि –"राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।" तो मान्यवर, इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को हम शिक्षा दे सकें । इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई तो अगर हमारे साधन इतने होते तो हम पूरी की पूरी शिक्षा निःशुल्क कर देते । मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन पूरा प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिले और जो हमारे कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद हैं उसके अनुसार कार्य हो सके ।

मान्यवर, माननीय काशी सिंह एरी ने अपट्रान के बारे में और माननीय राज्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाया है । मैंने यह सभी देखा है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मैं कार्यवाही को और जो नोटिस में दिया है इन दोनों चीजों को संबंधित अधिकारी के पास भेजकर जांच कराऊंगा और उनसे परामर्श करके उचित कार्यवाही करूंगा ।

लखनऊ के चौक मोहल्ले में स्थित मकान में भीषण आग लगने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने जो मामला आपके सामने उठाया है यह जनहित की बहुत ही विषम समस्या है । चौक स्थित एक मकान में आग लगी । मान्यवर, आग 2-4-88 को लगी और आजतक उस घर की आग बुझी नहीं है । दमकलों द्वारा आग बुझाये जाने के बाद भी आज भी उसकी दीवालों में आग लगी हुयी है । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में शासन का ध्यान आकृष्ट किया है कि वहां पर तुरन्त कार्यवाही की जाय नहीं तो आसपास के रहने वाले लोगों के जनजीवन को कभी खतरा हो सकता है । लेकिन आजतक अध्यक्ष महोदय के कहने के बावजूद भी शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है । जिस व्यक्ति का वह गोदाम था जिसमें आग लगी उसमें मादक पदार्थ रखे जाते थे क्या उसका लाइसेंस था ? उसमें ज्वलनशील-विस्फोटक पदार्थ रखे जाते थे क्या उसका लाइसेंस था ? इन सब चीजों की ओर शासन का ध्यान नहीं जा रहा है । स्थिति यह है कि अगल बगल के लोग रात भर जाग रहे हैं कि कब दीवाल गिरेगी कब किस घर के लोग मरने लगेंगे । ऐसी स्थिति में मैं आपका ध्यान इस औचित्य के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि इसको स्वीकार करें और शासन द्वारा इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने लखनऊ स्थित चौक मोहल्ले में दिलचस्पी दिखायी है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि उस एरिया से उनको काफी हमदर्दी है। मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न कहां बनता है अगर किसी मकान में आग लग गयी या वह गिर रहा है। आपने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। इस पर हम नगर पालिका को लिखेंगे कि इसको देखा जाय और इन बातों पर तुरन्त कार्यवाही की जाय। लेकिन सदन की कार्यवाही से इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन एक बात जरूर मालूम हो गयी कि माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी की यहां के कुछ इलाकों में खास दिलचस्पी है।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 की सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राम शरण दास–

अम्मार साहब को और राजा साहब को चौक से दिलचस्पी हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

राम शरण दास जी का भी दौरा करा दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण †

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अप्रैल, 1988 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1988 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अप्रैल, 1988 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1988 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील मुख्यालय में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाने विषयक याचिका†

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बांदा जनपद की नरैनी तहसील मुख्यालय में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाने विषयक श्री काली चरण साहू, श्री राम लाल यादव तथा श्री केदार नाथ मिश्र निवासीगण ग्राम व पोस्ट–अतर्रा, बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राम प्यारे सिंह ग्राम गजियापुर, दिवाकरपुर को नियमानुसार राजकीय सेवा में न लिए जाने संबंधी याचिका†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राम प्यारे सिंह, ग्राम गजियापुर, दिवाकरपुर, पो0 गजियापुर को उनके पिता की राजकीय सेवा में मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार उन्हें सेवा में न लिए जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 11-4-88 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पिछली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, प्रदेश में दहेज न मिलने से बहुओं की की जा रही हत्या के संबंध में है । दूसरी सूचना, श्री शारदा प्रताप की इसी बारे में है । तीसरी सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की, थाना बिलासपुर जिला रामपुर में पुलिस द्वारा दी गयी यातना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री यदुनाथ सिंह की, वाराणसी के भाईपुर बिकली बैरियर पर हुए नरसंहार के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित की, श्री हृदय नरायन दीक्षित विधायक व उनके अंगरक्षक के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में है । छठी सूचना श्री मित्रसेन व श्री राज किशोर सिंह की, श्री देव कुमार यादव विधायक को कुख्यात दस्यु गिरोह द्वारा धमकी दिए जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री देव कुमार यादव की भी इसी के बारे में है। आठवीं सूचना श्री राम शरण दास की, जनपद सहारनपुर में पुलिस द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है । नवीं सूचना श्री मैनेजर सिंह व श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की जनपद बलिया में प्राइवेट बस, टैक्सी आदि की अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में है । दसवीं सूचना श्री गौरी शंकर भइया की भी इसी के बारे में है । ग्यारहवीं सूचना श्री बलराम यादव व श्री गयाप्रसाद वर्मा की, जनपद आजमगढ़ के थाना चिरैयाकोट में लूट एवं पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के संबंध में है । बारहवीं सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, कम्पिल फर्रुखाबाद कताई मिल की विस्फोटक स्थिति के संबंध में है । तेरहवीं सूचना श्री देवतादीन की, जनपद बहराइच में गन्ना किसानों का गन्ना खेतों में सूख जाने के संबंध में है । चौदहवीं सूचना श्री फजलुल बारी की, तस्करी के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति की पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के संबंध में है ।

पन्द्रहवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में है । सोलहवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की, जनपद इलाहाबाद में मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा की गयी पद यात्रा के संबंध में है । सत्रहवीं सूचना श्री रणजीत सिंह, शासन के सहकारिता विभाग के अपर निबंधक द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में है । अट्ठारहवीं सूचना श्री बदन सिंह की, आगरा स्थित पुरातत्व विभाग द्वारा वहां की ऐतिहासिकता को नष्ट किए जाने के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की, बांदा जनपद की नरैनी तहसील में अर्द्धनिर्मित मसौनी कैनाल में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिए जाने के संबंध में है । बीसवीं सूचना श्री मोहम्मद मसूद खां की, लखनऊ शहर की चौक क्षेत्र में हुए अग्निकांड के संबंध में है । इक्कीसवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह, श्री कनक सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री जगवीर सिंह, श्री भोपाल सिंह की, जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद एवं अलीगढ़ में विद्युत आपूर्ति के संबंध में है । बाईसवीं सूचना श्री विष्णुदेव की, ललितपुर में नवनिर्मित सजनम बांध से किसानों को हो रही बरबादी के संबंध में है । तेईसवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की, जिला फैजाबाद में मुख्य मंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं के संबंध में

है । चौबीसवीं सूचना श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुवर दयाल वर्मा की, आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है । पचीसवीं सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा व श्री कौशिक रमा शंकर की, नशीली दवाओं के अनियमित खरीद-फरोख्त के संबंध में है । छब्बीसवीं सूचना श्री काशी सिंह एरी व श्री राम आसरे वर्मा की, जनपद पिथौरागढ़ में उत्पन्न पेयजल की समस्या के संबंध में है। सत्ताईसवी सूचना श्री सरदार सिंह की, मथुरा जनपद में उत्पन्न पेयजल की समस्या के संबंध में है। अट्ठाईसवीं सूचना श्री मनोहर लाल की, उन्नाव जनपद में उत्पन्न पेयजल की समस्या के संबंध में है । उन्तीसवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की, सम्पूर्ण प्रदेश में उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमारी सूचना पर हमको सुना जाय, तो हम बैठें, अन्यथा हम चले जायं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, पैंतीसवीं सूचना किस भाग्यशाली व्यक्ति की है, कृपा करके मान्यवर, बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिए ।

तीसवीं सूचना श्री भगौती सिंह की, लखनऊ जनपद में उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में है। इकत्तीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी की लखनऊ जनपद में उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं श्री सूरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री जगवीर सिंह की अलीगढ़ जनपद में उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में, तैंतीसवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, गोरखपुर द्वारा पूर्व विधायक एवं सांसद की रिवाल्वर आदि जमा कराये जाने के संबंध में, चौंतीसवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में ठेकेदारों द्वारा की जा रही खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के संबंध में, पैंतीसवीं श्री अकबर हुसैन बाबर की है, जिसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज जो कुरीतियां हमारे समाज को खोखला बना रही हैं सरकार उनके उन्मूलन की बाबत तो करेगी लेकिन उसमें स्थिति बिल्कुल शून्य है। हम सब जानते हैं कि आज हमारे अपने प्रदेश में दहेज की मौतों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। अभी लोक सभा में एक प्रश्न के जवाब में गृहमंत्री ने बताया था कि इस संबंध में सर्वाधिक मौतें हमारे उत्तर प्रदेश में होती हैं। इसको रोकने के लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो यह है कि सरकार इस प्रकार की कुरीति के खिलाफ एक जनमत जागरण करे और दूसरा यह है कि कानून का प्रभावी कार्यान्वयन करे, लेकिन दोनों ही मोर्चे पर सरकार विफल है । मान्यवर, इस तरह की घटनाएं तो बहुत हुई हैं लेकिन यहां पर मैं एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। महानगर थाने के अंतर्गत

अंजू अग्रवाल नाम की एक लड़की की, एक विवाहिता की उसके सास ससुर ने मिलकर जघन्य हत्या कर दी। जिस समय वह हास्पिटलाइज थी तो उसके सास ससुर उसको देखने गये थे तो उसने चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि इसी ने उनकी हत्या की है। मान्यवर, शादी में ढाई लाख का दहेज लाने के बाद भी उसे प्रताड़ित किया जाता था और दहेज लाने के लिए और इसी दहेज के लिए उसकी एक दिन हत्या कर दी गयी।

मान्यवर, जिस खास बिन्दु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि हम यह अपेक्षा करते थे कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी लेकिन सरकार ने, 302 का अपराध सिद्ध होने के बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा उस चार्ज को चेंज कर धारा 306 हत्याकांड के लिए प्रेरित करने के अपराध में उनके सास ससुर को पकड़ा गया है। मान्यवर, सती प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ जो धर्माचार्य फतवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। हिन्दू धर्म में किसी भी धर्माचार्य को फतवा देने का अधिकार नहीं है। प्रमिला दण्डवते और अग्निवेश के खिलाफ कार्यवाही करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उसकी मंशा इन कुरीतियों का उन्मूलन करने की नहीं है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं इसके ऊपर आप चर्चा करायें, मैं भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस कुरीति का कैसे उन्मूलन किया जाय। आज दहेज न मिलने के कारण एक अंजू नहीं सैकड़ों अंजू इस तरह से मारी जा रही हैं, इसको कैसे रोकेंगे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे कार्यस्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इनका सैंतिसवें नम्बर पर है।

श्री उपाध्यक्ष–

इनका सैंतिस नम्बर नहीं है, 35 ही सूचनाएं हैं।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज कानून के जो पालक हैं...मान्यवर, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। रक्षक ही भक्षक बन गये हैं। मान्यवर, 27 मार्च, 1988 की शाम को महानगर थाने के महानगर मुहल्ले में राम गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा अग्रवाल ने अपनी नव-विवाहिता वधू जो कि गर्भवती भी थी, उसको जलाकर मार डाला। मान्यवर, अभी दहेज विरोधी अभियान समिति ने 6-4-88 को विधान भवन के सामने धरना दिया। मान्यवर, जो 302 का मुकदमा बनना चाहिए था, मान्यवर, जिस समय उन लोगों को गिरफ्तार होकर जेल जाना चाहिए था, महानगर थाने की पुलिस ने उन लोगों की जमानत कराने के लिये मेरे पुलिस पर सीधा और साफ आरोप है कि पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है और उनकी जमानत कराने के लिये 306 आई0 पी0 सी0 के तहत मुकदमा कायम किया और जो अंजू अग्रवाल का भाई है, डा0 सुधीर चन्द्र गुप्ता, जिसने एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई है, उसको बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के और गवाही के महानगर पुलिस ने उस धारा को बदल दिया ताकि उनकी जमानत

हो जाय। मान्यवर, चूंकि अंजू अग्रवाल के पिता जय नारायण डिग्री कालेज में अध्यापक हैं, यहां के तमाम अध्यापक, और शैक्षणिक कर्मचारी और छात्र आन्दोलित हैं और सबको इस बात की चिंता है कि क्या इसी तरह से मृत्यु होती रहेगी। ऐसे कैसे काम चलेगा। सरकार कैसे इन दरिन्दों से निपटेगी? मैं चाहता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करावें, जिससे कि सारे लोग अपने सुझाव दे सकें।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, या तो आप एक-एक मसले पर जवाब दिलवा दें या फिर सारे मसलों पर एक साथ जवाब दिलवा दें। हमारे यहां पत्रकारों को बहुत पीड़ित किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

एक-एक मसला लेंगे, आप सब बैठें।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, दहेज के सम्बन्ध में जिस घटना का उल्लेख मा0 शारदा प्रताप और मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त ने किया है, दहेज की समस्या हमारे समाज की बहुत ही शोचनीय समस्या है। इस सम्बन्ध में हमारे मा0 सदस्य विपक्ष के हों और चाहे पक्ष के हों, सब समान रूप से चिंतित हैं। दहेज की समस्या को हल करने के लिए मा0 गुप्तजी ने ठीक ही कहा, उसमें समाज के वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन को और अधिक चुस्त करने की ओर इंगित किया है, मैं सूचित करना चाहूंगा कि इस घटना विशेष के बारे में जो 28 मार्च, 1988 को हुई थी, उसकी रिपोर्ट धारा 302 में ही अंकित है और मृतक के भाई सुधीर कुमार गुप्ता की प्रार्थना पर इसको सी0 आई0 डी0 को संदर्भित कर दिया गया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, 6 अप्रैल को हम लोग विधान सभा से उठकर जाते हैं और 7 अप्रैल को रामपुर जिला कचेहरी से पुलिस एक आदमी, जिसका नाम गुरचरन सिंह था जो मशरफ-गंज थाना बिलासपुर का निवासी था, वह एक जमीन के मुकदमे के लिए कचेहरी गया था कि पुलिस ने दूसरी पार्टी से धन लेकर उसकी हत्या का षडयंत्र बनाया और दोपहर को 12 बजे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जिला कचहरी से पुलिस उसको पकड़ कर जीप में डाल कर थाना बिलासपुर ले आई। मान्यवर, सैकड़ों लोगों के सामने यह घटना हुई।

गुरुचरन सिंह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, भूमि विवाद तथा 107/16 की कार्यवाही चल रही थी, उनके लड़कों ने जिला प्रशासन को टेलीग्राम दिया, टेलीफोन से सूचना दी कि पुलिस के द्वारा उनके बाप को मारने की साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ बिलासपुर थाने में छापा मारकर उसे बरामद करने की कार्यवाही की जाय। मान्यवर, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती। उसको 4 घंटे तक लगातार अमानवीय प्रताड़नायें थाने पर दी जाती रहीं, शहर में वह थाना है, बाद में थाने में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी सूचना मिलते ही सभी समुदायों के लोगों ने, वहां पर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख सभी समुदाय के लोग हैं, उस थाने को घेर लिया। वहां से उसकी खून से लथपथ लाश बरामद हुई।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी बैठें। माननीय बरार जी समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। लेकिन, उसके बावजूद आज तक दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। दो दिन वह पूरा कस्बा बन्द रहा। रामपुर से नैनीताल तक जो राजमार्ग जाता है आगे दिल्ली तक, वहां की स्थिति को देखते हुए, वहां के प्रशासन ने ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके भेजा। इतनी बड़ी घटना हो गयी, लेकिन सरकार ने दोषी कर्मियों में से एक भी आदमी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। 9 अप्रैल को पोस्टमार्टम हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन को बताना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए कि अन्यथा कहेंगे कि राजनीति से प्रेरित है, वहां सभी पार्टियों के लोग मौजूद थे, कांग्रेस के विधायक माननीय दलजीत सिंह जी भी वहां मौजूद थे, सभी लोगों ने इस घटना की निन्दा करते हुए मांग की कि दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय उनकी गिरफ्तारी की जाये। लेकिन पुलिस प्रशासन यह कहता है कि अभी हम जांच करेंगे। मान्यवर, लाश मिल गयी, थाने में मिल गयी, सैकड़ों लोगों के सामने मिल गयी, अब उसके बाद क्या बात रह गयी। जब सारी चीजें स्पष्ट हो गयी, सभी समुदाय के लोग, सारे जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि दोषी लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन यही कहता है कि अभी जांच करेंगे। मान्यवर, आप इसमें सरकार से कहें कि जब इस मामले में हर चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गये हैं, वहां पर तो तत्काल कार्यवाही करें तत्काल गिरफ्तारी करें। मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार के परिपेक्ष्य में, उसकी इस तरह की अमानवीय घटनाओं पर, सदन के शेष कार्य को रोककर अविलम्ब चर्चा करायी जाय।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख माननीय बरार जी ने किया है, इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है। इंस्पेक्टर बिलासपुर जयनारायण यादव तथा एस0 आई0 श्री त्यागी व चार सिपाहियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा कायम कर दिया गया है। निरीक्षक, उप निरीक्षक को निलम्बित किया गया है। साथ ही इसकी जांच राजपत्रित अधिकारी को सौंप दी गयी है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अभियोग दर्ज हो गया, तो उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी से कहलवा दें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह घटना 7 अप्रैल की है और इस सम्बन्ध में जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई थी वह मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। धारा 302 का मुकदमा कायम है और उससे संबंधित व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है। इसकी जांच राजपत्रित अधिकारी को सौंप दी गयी है। इनकी गिरफ्तारी और दूसरी कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं जानकारी करूंगा। किसी प्रकार से किसी को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी दोषी लोगों की गिरफ्तारी का आश्वासन तो सदन को दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जिस तरह से आज आपने सदन की कार्यवाही का संचालन किया है, उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन, सरकार यहां किस तरह का असंसदीय रुख अपनाये हुए है, उसको देखें। शून्य प्रहर में सदन में सबसे महत्वपूर्ण विषय उठते हैं, यहां गृह मंत्री के अलावा कोई मंत्री मौजूद नहीं है और न कोई राज्य मंत्री ही है। यह गम्भीर बात है। आप मुख्य मंत्री और सभी मंत्रियों को यहां बुलायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप निर्देश दें और सभी मंत्रियों को यहां उपस्थित होने के लिए कहें।

*श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने कई बार रामपुर की पुलिस के बारे में औचित्य के रूप में, नियम–56 के रूप में और प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न लाने चाहे कि रामपुर की पुलिस ने कैसा आतंक मचा रखा है। माननीय गृह मंत्री जी पंडित हैं, वहां का एस0 पी0 पंडित है, एस0 ओ0 पंडित है और सी0 ओ0 पंडित है, इसलिए हमारे प्रश्नों को नहीं सुना जा रहा है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। माननीय श्री बरार जी ने जो मामला उठाया है, यह कोई पहली हत्या वहां नहीं है,, इससे पहले भी बिलासपुर की पुलिस 3 हत्यायें कर चुकी है। दो राईफलें गायब हो गई कान्स-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टोलियों की, इसका बहाना लेकर पुलिस ने वहां आतंक मचा रखा है । लोगों को थाने लाया जाता है और वहां मार दिया जाता है या जंगलों में फूक दिया जाता है। जिस तरह से पुलिस वहां कर रही है, उससे आतंकवाद समाप्त होने वाला नहीं है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है। जिन 6 पुलिस कर्मियों के बारे में माननीय मंत्री जी ने यहां पर कहा है, वे आज भी उसी पुलिस थाने पर हैं। मैं कल रात ही बिलासपुर थाने गया था, वे सब वहीं मौजूद थे । या तो मेरी सूचना को गलत माना जाय और या फिर मंत्री जी की सूचना को गलत माना जाय । मेरा कहना यह भी है कि यदि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया गया तो उन्हें फिर गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा गया । एस0 पी0 ने यह कहा था कि मन-डे तक इन सारे मुल्जिमों को अदालत में हाजिर कर दिया जायेगा । इसलिए सरकार आज शाम तक इसके बारे में बता दे कि क्या हुआ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पहले पंडित की बात उठायी है, मैं ऐसा समझता हूं कि यदि उन्होंने पंडित का अर्थ योग्य व्यक्ति से समझा हो तो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि उन्होंने पंडित का अर्थ ब्राह्मण से लिया है तो प्रदेश के शासन में बिरादरी की बात उठाना उचित नहीं है। जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, अभी तक जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, उसकी सूचना मैंने आदरणीय सदन में दे दी है । इसके आगे माननीय सदस्य जो कार्यवाही बता रहे हैं, उसकी मैं जांच करवाऊंगा और जो लोग इसमें दोषी पाए जायेंगे, उनको बख्शा नहीं जायगा ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, सिंचाई विभाग का आक्सन श्री बी0 पी0 श्रीवास्तव के कारण बैरियर की मनमानी तरीके से नीलामी की जा रही है। स्वयं अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि सचिव को यहां आकर एक लाख रुपए दिया गया है। बैरियर की 35 हजार रुपए में नीलामी श्री राजा राम जैसवाल को दे दिया गया और दूसरे पक्ष के 4 लोगों का कत्ल हो गया। यह सिंचाई विभाग का आक्शन अपने ठेकेदारों को नीलामी पर देता है और दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ 147, 148, 149, 150, 307, 364, 201 आई0 पी0 सी0 व 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया लेकिन जो वास्तव में बदमाश हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । मिर्जापुर जनपद में 3–4 लोगों की नृशंस हत्या हो गयी । जहां पर बैरियर है, जिला परिषद् का बैरियर है, मिर्जापुर जनपद में जिलाधिकारी व पुलिस की देख-रेख में तथा बी0 पी0 श्रीवास्तव की देखरेख में जो बैरियर के आधार पर काम हो रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क है उस पर बैरियर नहीं होना चाहिए । इसके अलावा दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए । एक तरफा मुकदमा दर्ज होने से जनता में दहशत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

माननीय सदस्य ने मिर्जापुर के भाईपुर विकली बैरियर के बारे में जो चर्चा की है, उसमें मुकदमा दोनों तरफ से कायम हो गया है। दो ठेकेदारों का आपस में झगड़ा था। एक ठेकेदार के गिरोह के 14–15 लोगों ने इकट्ठे होकर कुछ लोगों पर हमला कर दिया। अवधेश सिंह और रत्नाकर पाण्डेय की मृत्यु हो गयी, धारा 302 का मुकदमा कायम हुआ। 7 लोगों के विरुद्ध जो मुकदमा कायम हुआ था, विशाल सिंह की भी मृत्यु हो गयी। इसलिए उस तरफ से भी 302 का मुकदमा कायम हो गया है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

विशाल सिंह को लोगों ने मारा, उसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई ही नहीं। जानबूझकर कह रहे हैं कि उन लोगों की गोली से विशाल भी मर गया होगा।

(मंत्री द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, पुलिस अत्याचार की घटनायें सदैव सदन की कार्यवाही में छायी रहती हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब पुलिस अत्याचार की घटना यहां न आती हो। जैसा कि मा0 बरार साहब ने भी जिक्र किया। थोड़े दिन पहले माननीय विधायक उस पक्ष के थे, उनकी मां की हड्डियां तोड़ दी गयीं। इस तरह की घटनायें रोजमर्रा की जिन्दगी का अंग हो गयी हैं।

मेरे साथ जो घटना हुई है उस पर किसी कार्यवाही की मांग नहीं करूंगा क्योंकि पहले सरकारी पक्ष के लोग उसे निलम्बित कर देंगे, उसके बाद फिर इनका कोई आदमी राजनीतिक संरक्षण वाला घुस ले लेगा और वह फिर बहाल हो जायगा। इसलिए आज मैं पुलिस की मानसिकता पर आदरणीय सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

इसी लखनऊ का एक थाना है बन्थरा। उस थाने के सामने से 5 अप्रैल को मैं कार द्वारा आ रहा था। देखा कि सामने जो पुलिसकर्मी खड़े थे, उन्होंने कहा कि "रोकिये", मेरे ड्राईवर ने कार रोक दी। बांयी तरफ से एक थानेदार, जिनकी नेम प्लेट पर "जयसिंह" या कुछ लिखा हुआ था, कार की ओर रिवाल्वर लेकर दौड़े। मेरे अंगरक्षक ने कहा कि यह विधायक जी हैं। उन्होंने कहा कि "किसी के माथे पर थोड़े ही लिखा रहता है कि वह विधायक है, ऐसे साले तमाम विधायक आया करते हैं।" अंगरक्षक से कहा कि "तुम शैडो हो या गनर हो? क्या हो?" इसके बाद उन्होंने ऐसी भाषा में बात की, जिसका जिक्र करना यहां ठीक नहीं समझता, पुलिस का जो व्याकरण है, तमाम माननीय सदस्य उससे अवगत हैं। इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई। मान्यवर, मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं और न यह चाहता हूं कि इस पर वक्तव्य ही दें। मेरा अनुरोध इस बात पर है कि सरकार की नीति पुलिस के सम्बन्ध में और पुलिस की क्रिया के सम्बन्ध में क्या है इस पर ठीक से विचार-विमर्श हो सके इसलिए मैं चाहता

हूं कि इस सदन की कार्यवाही को रोक करके वैसे मैं व्यवहारिक रूप से जानता हूं कि अभी चर्चा सम्भव नहीं इसलिए किसी भी दिन एक या डेढ़ घण्टे की इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य हृदय नरायन दीक्षित जी ने जिस घटना के सम्बन्ध में अभी उल्लेख किया है, श्री कत्याल जी के निधन के संबंध में सभी गाड़ियों को रोक कर चेकिंग की जा रही थी उसी सिलसिले में इनकी गाड़ी की भी चेकिंग की गयी होगी और पूछताछ की गयी होगी । इसके कारण यदि माननीय सदस्य को कोई क्षोभ हुआ है तो मैं इसकी पूरी जानकारी करा लूंगा ।

(व्यवधान)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में जो जवाब दिया, यह कोई जवाब नहीं था । मा0 हृदय नरायन दीक्षित जी बतला रहे हैं कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक कर उनसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और जब डंडों ने उनको बतलाया कि ये विधायक हैं तब भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, डंडों से भी पुलिस ने अपशब्द कहे और उसे मारने पर उतारू हो गये । मा0 मंत्री जी कहते हैं कि आतंकवादियों के लिए जांच हो रही थी तो जहां आतंकवादी हैं, वहां तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं और जो लोग संभ्रान्त हैं, विधायक हैं उनको पुलिस परेशान कर रही है, यह गम्भीर मामला है, इस पर आप चर्चा करा दीजिये ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मा0 मंत्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे, ये तो स्वयं ही दया के पात्र हैं ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आप मुझे सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, आप बैठिये ।

श्री मनोहर लाल–

मैं मा0 विलायती राम कत्याल की हत्या के संबंध में बतलाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर चर्चा लगी हुई है। मैंने आपको नहीं बुलाया है, आप विराजें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने जो अभी बात कही है, उस पर क्या निर्णय हुआ है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, इसी सदन में माननीय बरार जी ने कहा था और पुलिस की शिकायत की थी कि पुलिस की नाकेबन्दी हो गयी है लेकिन हमारी बस में चेकिंग नहीं हुई । मान्यवर, अब सम्मानित सदस्य दीक्षित जी कार से आ रहे थे, पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए रोक लिया । इसकी हम जांच करा लेंगे और माननीय सदस्य से भी बात कर लेंगे और यदि कोई ऐसी बात हुई होगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, हमें मा0 मंत्री जी का जवाब नहीं चाहिए, मैं पुलिस की मानसिकता पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री शारदा प्रताप–

हम लोग पुलिस की मानसिकता पर यहां चर्चा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में आये दिन माननीय सदस्यों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, यह बात सभी के संज्ञान में आ रही है। सभी के संज्ञान में आ रही है, मैं यह तो नहीं कहता कि जो मा0 सदस्य ने बातें कही हैं या जो घटना उनके साथ घटी इसमें मा0 गृह मंत्री जी का कोई हाथ है या अन्य किसी का, लेकिन मा0 गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया कि मैं जांच करा लूंगा इस पर एक बात अवश्य कहूंगा कि मा0 मंत्री जी मात्र इस विषय को टालने के लिए कह रहे हैं कि मैं इसकी जांच करा लूंगा, सीरियसली इस बात को नहीं ले रहे हैं, जिस गम्भीरता से मा0 सदस्य की बात को लेना चाहिए था उस गम्भीरता से न लेकर केवल टालने वाली बात ही कही है कि जांच करा लूंगा तो इस जांच का आधार वह क्या बनायेंगे जबकि उन्होंने मा0 सदस्य की बात को ध्यान से न तो सुना और न ही उसको गम्भीरता से लिया, आपकी इसी प्रवृत्ति के कारण आज रोज ऐसी घटनायें बढ़ रही हैं, यह घटनाएं सत्ता पक्ष वालों के साथ ही अधिक हो रही हैं तो पुलिस को इतना निरंकुश और बेलगाम न बनाइये, यह पक्ष और विपक्ष तो सब बदलता रहता है। मा0 सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हरेक की बात को गम्भीरता से लेना चाहिए और जो मा0 दीक्षित जी ने जो कहा है उस पर तत्परता से एक्शन लिया जाना चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी कोई सूचना किसी मा0 सदस्य द्वारा इस सदन के अन्दर आयी है तो उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया है, कई महान मुख्य मंत्री इस प्रदेश में हुए हैं जैसे पन्त जी, सम्पूर्णानन्द जी और मा0 गुप्ता जी. . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मा0 वीर बहादुर सिंह जी कोई कम महान मुख्य मंत्री हैं?

(हंसी)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं कह रहा था कि इन महानुभूतियों के दौर में जब भी कोई ऐसी बात सामने आती तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती रही है इस परम्परा को आज भी कायम रखना चाहिए मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 गृह मंत्री जी को, लेकिन यहां यह परम्परा तो दूर रही यदि कोई मा0 सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या उसकी मां हो, हरिजन हो या मां न हो तो महिला तो है ही लेकिन यहां रोये और फूट-फूटकर रोये तब भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, मा0 हृदय नरायन दीक्षित जी ने जो यहां पर अपने बारे में बातें कहीं उसे सच मानकर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए थी। दूसरी बात मैंने भी और मा0 राम शरण दास जी ने भी बराबर आतंकवाद के बारे में कहा, यहां कोई आतंकवाद नहीं है, परन्तु केन्द्र सरकार में जो एक नियम संशोधित किया गया है, उसी के तहत यह सरकार जान-बूझकर आतंकवाद को हवा दे रही है और इसी को बहाना बताकर इमरजेन्सी लागू करना चाहती है मैं कहता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर जितना इसका प्रचार करोगे, उतना ही यह और बढ़ेगा और हम लोग इसको बराबर रोकने का सुझाव दे रहे हैं, जगह-जगह पर आपने पुलिस बैठा रखी है और राजभवन के सामने और अपनी कोठी के सामने तमाम बल्लियां लगवा रखी हैं तो क्या यहीं पर ही ज्यादा आतंकवाद है, इन बल्लियों से आपकी सुरक्षा हो जायेगी, 10-10 कारों को रोजाना चेन्ज करते हो बदल-बदल कर कार का प्रयोग कर रहे हो तो जब आपकी सुरक्षा में इतना खतरा है तो मा0 सदस्यों के साथ जो घटना हो जाये उसे ऐसे ही सरसरी-तौर पर लिया जाता है अभी परसों ही हरियाणा में एक विधायक पर हमला हुआ, तुरन्त कार्यवाही उस पर की गयी और यही नहीं पूरे विधायकों को सरकार ने एक-एक जीप भी दे दी क्योंकि स्कूटर से उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है. . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

आप लोगों के लिए भी एक-एक लाख रुपया कार के लिए दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपके सुझाव क्या हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आज विधायकों के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं और इधर दो सालों से जब से मा0 वीर बहादुर सिंह जी का जमाना आया है क्योंकि इन्होंने आज हर चीज के रिकार्ड तोड़ दिए हैं, धमकियों के रिकार्ड, घोषणाओं के रिकार्ड. . . (व्यवधान) झूठ के रिकार्ड घोषणाओं के रिकार्ड तोड़े और विधायकों के पिटवाने का रिकार्ड आपने तोड़ा, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आज अपनी ओर से कोशिश करें कि विधायकों को सुरक्षा मिले और अपमान से बचें ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने और कई माननीय सदस्यों ने सवाल पैदा किया है कि जो विधायक हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उस तरह का नहीं हो रहा है। जहां तक गाड़ी चेक करने की बात है, जो आज की परिस्थिति है, मुलायम सिंह जी को अच्छी तरह से मालूम है कि यहां उग्रवादी आ गये हैं, तो समस्या गम्भीर है और हमारी जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों से सतर्क रहें और अपने प्रदेश में कहीं पर भी आतंकवाद को बढ़ने न दें और ऐसी ताकतों को जितना दबाया जा सके, यह सरकार के लिए जरूरी है। जब कभी कोई सूचना आती है तो उसको देखते हुए वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। आपने कहा कि कई जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है, उसकी आवश्यकता पड़ती है और यह उचित भी समझा गया है, राष्ट्रीय सम्पत्ति है और भी तमाम बातें हैं, मैं उन सबको यहां पर कहना नहीं चाहता हूं। अगर कोई गाड़ी लेकर जाता है और जो पुलिस को ड्यूटी दी गयी है और वह गाड़ी को चेक करता है, तो किसी का अपमान नहीं होता है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या रिवाल्वर दिखाकर गाड़ी चेक की जाती है?

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

सुन तो लीजिये। मेरी कोई अपमान करने की नीयत नहीं है, अगर कोई काम सही मंशा से किया जाता है और उसमें किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जानबूझकर वह कार्य किया है, तो वह अच्छी बात नहीं है। अगर उस अधिकारी ने ऐसा किया है जिससे अपमान हुआ है, तो मैं उसके खिलाफ जांच कराऊंगा और उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। आप जानते हैं कि कत्याल की हत्या हो गयी, इसी कारण सारी गाड़ियों चेक की गयीं और देखा जाये कि हत्यारे भागने न पायें और आपने देखा है कि वह पकड़े गये हैं और अगर चेक न किया गया होता तो वह पकड़े न जाते। जो हमारे साथी उन्नाव के हैं, जो उन्होंने कहा है उसकी जांच कर ली जायेगी और मैं उसको दिखवा लूंगा। कोई इरादा नहीं है कि किसी का अपमान हो, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था की बात है, जब तक आप सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जांच करा लेंगे, तो क्या इन्सपेक्टर से पूछा जायेगा, जिसने अपमान किया है। उसी से पूछा जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय देव कुमार यादव जी हमारे सदन के सदस्य हैं, उनको उनके जिले के कुछ दस्युओं ने जिनको बुद्धा गिरोह का कहा जाता है, मारने की धमकी दी है। उनका भांजा ट्रैक्टर पर फसल काट कर ला रहा था, उस पर उन लोगों ने राइफलों से हमला किया और किसी प्रकार से उसकी जान बच पायी । उनके भाई और प्रधान पर हमला करके राइफलें छीन ली हैं। आज भी उस गिरोह को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिये वह दस्यु गिरोह निरंकुश होकर वर्तमान विधायक जो कई बार सदस्य रह चुके हैं, उनके ऊपर हमला करना चाहता है । उनके पूरे परिवार को खतरा पैदा हो गया है । इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस पर कि एक विधायक के सामने उनके जीवन को खतरा पैदा हो गया है, मैं चाहूंगा कि इस बांदा की घटना को देखते हुये, उनकी सुरक्षा के सवाल को देखते हुये, आप आज की सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, बांदा के विधायक श्री देव कुमार यादव के जीवन को बहुत खतरा पैदा हो गया है। दिनांक 28-3-88 को जब देव कुमार यादव के भांजे बेनी यादव अपने ट्रैक्टर में गेहूं लादकर ले जा रहे थे तो कुख्यात बुद्धा गिरोह ने हमला करके उसके ट्रैक्टर पर आग लगा दी और उनका सारा गेहूं जला दिया । बेनी यादव के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी । वे बाल-बाल बच गये। 29-3-88 को विधायक के भाई के ऊपर हमला हुआ । उनकी रायफल छीन ली। यह दस्यु गिरोह उनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। किसी भी दिन देव कुमार यादव, विधायक की हत्या हो सकती है । यह गिरोह वहां पर बहुत सक्रिय है और किसी भी दिन अप्रिय घटना घट सकती है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आज सदन का कार्य रोककर इस विषय पर चर्चा करा ली जाय. . . . ।

(व्यवधान)

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को एक विडम्बनापूर्ण स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। यह बुद्धा गैंग हमारा गांव में बहुत सक्रिय है। बदमाशी की शुरुवात यहां से हुई कि हमारे भाई वहां पर गांव के प्रधान हैं। उस दिन उनके पास पुलिस का एक सिपाही आया और मेरे भाई के पास बैठकर उन्होंने चाय पी । वह गांव में टहलता रहता है । पता नहीं गांव के किसी व्यक्ति से उसे सुराग मिली कि फलां व्यक्ति के पास रिवाल्वर है। पुलिस के सिपाही ने उन्हें पकड़कर मारा पीटा और उन्हें थाने में ले गया। दो हजार रुपये रिश्वत देकर उसे छोड़ दिया। जब वह लौटकर आया तो पुलिस के सिपाही ने उससे कहा कि गांव के प्रधान ने उनकी बन्दूक छिनवाई । इस पर उसने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा । मान्यवर 29 मार्च, 1988 को मेरे भाई खेत में काम करवा रहे थे, इस गिरोह ने मेरे भाई की लाइसेन्सी बन्दूक छीन ली । मैं उनको तब से बांदा ले आया और तब से उनका परिवार मेरे साथ बांदा में रहने लगा । वहां का खेती का कार्य मैंने अपने भानजे को दे दिया । मान्यवर, पिछली जून में वहां के थानेदार मेरे गांव में आये और मेरे भानजे से जो वहां पर खेती का काम करवाते हैं उससे कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि तुम मेरे साथ दक्षिण में चलो । वह लड़का चला गया और भाग गया तब से यह गिरोह उसकी हत्या के पीछे लगा हुआ है। जब गांव में मेरा भानजा उन्हें नहीं मिला तो दो मासूम व्यक्ति जिनसे कोई इसका मतलब नहीं था उनको पकड़ लिया और 28 मार्च को पुनः इस गैंग ने मेरे भान्जे की हत्या करने की कोशिश की। वह ट्रैक्टर से आ रहा था उस पर गोलियों की बौछार की गई।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि बांदा में केवल यही गिरोह नहीं है बल्कि 14-15 गिरोह डाकुओं के सक्रिय हैं।

वहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है । वहां एक थानेदार की रिवाल्वर छीन ली गयी और एक थानेदार की हत्या कर दी गयी; आज वहा गांव के गांव लूट रहे हैं। पूरे बांदा में डाकुओं का राज्य हो गया है जिनको कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वहां की पुलिस भी भ्रष्ट हो गयी है जिसके कारण वह काबू में नहीं हो रहे हैं। मेरे को तथा मेरे परिवार को तो खतरा है ही लेकिन उनकी डर से पूरा जनपद त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से तथा गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां कोई बहुत बड़ा हादसा होने से पहले आप हमारे जनपद को अशांत क्षेत्र घोषित कर दें और उसे सेना के हवाले कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री देव कुमार यादव–

जो राजनीतिक दल उनको संरक्षण दे रहे हैं उनका नाम भी आना चाहिये । मेरे साथियों ने चूंकि यह मामला उठाया है इसलिये मेरा कर्तव्य हो जाता है कि जो सूचना मेरे पास है उसे मैं शासन की नोटिस में ला दूं अब हमारी सुरक्षा का काम शासन का है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री देव कुमार यादव–

इस पर चर्चा करा दें ताकि सारे तथ्य सामने आ सके ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय देव कुमार जी ने जिस घटना का जिक्र किया और कहा कि उनका परिवार और उनके भांजे सुरक्षित नहीं हैं । तो उनकी सुरक्षा की हम पूरी व्यवस्था करेंगे। साथ ही जिस घटना की उन्होंने चर्चा की ट्रैक्टर पर हमला करने की तो इस पूरे प्रकरण की जांच हम सी0 आई0 डी0 से करायेंगे ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यहां पर आये दिन घटनाओं की चर्चा होती है कभी विधायकों के साथ दुर्व्यवहार की कभी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की तथा कभी हत्या की, कितनी ही घटनायें होती रहती हैं माननीय मुख्य मंत्री भी स्वयं इनमें फंस गये हैं । यहां पर आतंकवादियों का जिक्र आया मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक आपकी पुलिस हो रही है। पिछले साल 15 अप्रैल को मेरे जनपद में, मेरी कांस्टीट्यूएंसी के दो पत्रकारों को राकेश गोयल और राकेश गर्ग को गिरफ्तार किया गया और उनको रासुका में बंद कर दिया। जब मामला गृह मंत्री जी की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने रासुका हटा दिया लेकिन उनको विभिन्न दफाओं में बन्द कर दिया । इस पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने एजिटेशन किया कलैक्टर के दफ्तर का घेराव किया और धरना दिया और जब गृह मंत्री गाजियाबाद गये थे तो वहां के पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया तब उन्होंने एलान किया था कि इन दो पत्रकारों को बिना शर्त रिहा कर दिया जाय । वह रिहा भी हो गये लेकिन इन पत्रकारों पर कोई न कोई मुकदमा चलता रहता है जिससे पुलिस वाले उनको तंग करते रहते हैं उनके घरों की रोज छानबीन होती रहती है। पता नहीं उन पर कोई मुकदमा है या नहीं लेकिन वहां की पुलिस उनको तंग कर रही है। मैं चाहता हूं कि इन पत्रकारों का पुलिस से पिंड छुड़वाईये । यह बहुत गंभीर घटना है। मैं इन दोनों पत्रकारों को जानता हूं, बड़े इमानदार लोग हैं, मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें, राम शरण दास जी ।

श्री राम शरण दास–

पता नहीं कौन सी धारा इनके पीछे लगा रखी है। माननीय मंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं और मैं भी अवगत हूं, इनकी पुलिस उनको परेशान कर रही है, उनको जेल भेजना चाहती है इनकी पुलिस । तो यही सम्मान यह सरकार पत्रकारों का कर रही है। अगर वह कोई क्रिमिनल है तो वह बात भी सामने आनी चाहिए। तो जो भी हो इस पर चर्चा कराईये और माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री आश्वासन दें कि पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जिन पत्रकार बंधुओं के बारे में श्री रामशरण दास ने कहा है, उनके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि पत्रकारों की सुरक्षा का उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गयी है। व्यवस्था यह की गयी है कि प्रत्येक जनपद में पत्रकारों से संपर्क स्थापित करने के लिये जिलास्तरीय और प्रदेश स्तर पर कमेटियां बनाई गयी हैं। इसके बावजूद जिस घटना विशेष का उन्होंने उल्लेख किया है उन पत्रकारों के विरुद्ध कुछ मुकदमें हैं जिनके सम्मन लेकर पुलिस कर्मी गये थे । किसी प्रकार के उनको धमकाने और डराने की बात नहीं है। इस संबंध में कहीं और कोई सूचना यदि वह देंगे तो पत्रकारों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जायेगी ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बलिया जिले की एक आम समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां, बलिया जनपद में आज दिनांक 11-4-88 से समस्त प्राइवेट बस मालिकों, टैक्सी चालकों, टैम्पो चालकों ने अनिश्चित कालीन हड़ताल कर दिया है। अपने-अपने वाहनों को ले जाकर जिलाधिकारी के आवास और कार्यालय के सामने खड़ा कर दिया है और चाभियां उनको सौंप दिया है। इससे संपूर्ण जनपद का आवागमन प्रभावित हुआ है । नागरिकों ने प्रदर्शन का आवाहन किया है। हमारे जिले के पांच विधायक आज जिलाधिकारी, बलिया के कार्यालय का घिराव करके वहां बैठे हैं। मान्यवर, हड़ताल का प्रमुख कारण जिलाधिकारी बलिया द्वारा बस एवं टैक्सी स्टैण्ड को जिले के विभिन्न सड़कों पर मुख्य स्थान से दो-दो किलोमीटर एवं कई स्थान पर कर दिये जाने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि जनपद में आने वाले प्रत्येक यात्री पर तीन रुपया अतिरिक्त व्यय भार बढ़ गया है। इस संबंध में मैं कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

नं0 1–वर्ष 1970 में वाराणसी आयुक्त ने मंडल में बैरिया बलिया रोड पर 550 फीट तथा बलिया मनियर रोड पर 270 फीट, क्रमशः माल गोदाम एवं भिड्डी मोहल्ले के पास बंदोबस्त किया था, जिसका उल्लेख नगर पालिका बलिया के मैनुवल में भी है।

नं0 2–टैक्सी, टैम्पो स्टैंड जो बस स्टैण्ड के सामने था, को भी उठाकर अपने मुख्य स्थान से दो-दो किलोमीटर दूर जिले के विभिन्न सड़कों पर कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 7-4-88 को स्थगन आदेश दिया है।

नं0 3–इन अड्डों का नीलाम वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 से नगर पालिका द्वारा एक लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से किया जाता रहा है। इस नगर पालिका सीमा से बाहर कर देने से प्रति वर्ष नगर पालिका को भारी हानि होगी ।

मान्यवर, हाई कोर्ट में परमानेन्ट स्टे है जिसको लागू नहीं किया जा रहा है। मुख्य मंत्री अभी बैठे थे, आपने निर्देश दिया था इस मामले पर इसलिये वह इसको व्यक्तिगत रूप से देखें । हम और सभी आठ विधायक मुख्य मंत्री जी के कार्यालय गये थे और मुख्य मंत्री जी से मिले तो उन्होंने जिलाधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया कि इस संबंध में नगरपालिका को एक लाख रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि स्टैण्ड नगर-पालिका सीमा से बाहर कर दिये गये हैं इसको रोकें ।

मान्यवर, विधान सभा के अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश एवं मार्च महीने में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्ट आदेश के बावजूद भी इन अड्डों को इनके पूर्व स्थान या शहर के नजदीक किसी उचित स्थान पर ले आने की कार्यवाही अब तक निश्चित नहीं की गयी है। उपरोक्त के अनुसार शासकीय आदेशों माननीय उच्च न्यायालय के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थगन आदेश एवं विधान सभा पीठ के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं अवमानना करके जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन बलिया ने घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्य की अवहेलना एवं निरंकुशता का परिचय दिया है। मान्यवर, इस तरह उन्होंने कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका तीनों को चुनौती दे दी है। उनके इन कार्यों से बलिया के नागरिकों में रोष उत्पन्न हो गया है। आज बलिया में हड़ताल है और वहां के नागरिकों ने जिले में प्रदर्शन किया है तथा बलिया के 5 विधायक जिलाधिकारी कार्यालय में सबेरे से डटे हुए हैं। कोई अप्रिय घटना वहां न हो जाए, इसलिए मैं आपसे भी मिला था आपके कार्यालय में कि आप इस मामले में संरक्षण दें। एक बार इसमें आपने सरकार को निर्देश दिये और फिर मुख्य मंत्री ने निर्देश दिये कि इसको जिलाधिकारी देखें, दिखलायें और ठीक करायें ..... (व्यवधान) श्री हरदेव भी इस में बोलना चाहते हैं, आप उसको भी सुन लें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... (व्यवधान) 16 अप्रैल की घटना है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैनेजर सिंह को बुलाया है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, जैसा कि गौरी शंकर भइया ने कहा आज बलिया में बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई है। बलिया नगरपालिका के स्वीकृत बाईलाज के अनुसार माल गोदाम रोड के पास प्राइवेट बस अड्डा निर्धारित है। वह बाई लाज आयुक्त वाराणसी द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित है तथा वर्षों से वह लागू है। इससे एक लाख रुपया की नगर-पालिका की आय होती है। आयुक्त के अनुमोदन के बाद स्वीकृत बाईलाज के अनुसार निर्धारित बस अड्डे को हटाने का कोई वैधानिक अधिकार किसी जिलाधिकारी को नहीं है। किन्तु बलिया के कलेक्टर ने नाजायज तरीके से शहर के बाहर बस अड्डा करके जनता को कष्ट में डाला है। टैक्सी एवं बस मालिकों ने इस बारे में हाईकोर्ट में रिट दायर किया है, जो 401 नम्बर पर रिट है और जिसमें 7-4-88 को स्थगन आदेश हुआ है, उसके बारे में गौरी भइया ने बताया है जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय ने रोडवेज और जिलाधिकारी को बस टैक्सी के संचालन में बाधा डालने से रोका है और उसने टैक्सी चालकों और दूसरों को वहीं गाड़ी खड़ी करने से कतई नहीं रोका है। लेकिन आज पुलिस डण्डे के बल पर हमारे गुण्डा जिलाधिकारी बसों को रोके हुए हैं। हमारे पांच-पांच विधायक बलिया में पड़े हैं, कलेक्टर की गुण्डा-गर्दी से कोई विस्फोटक स्थिति न पैदा हो जाए। हमारे विधायक श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, रामगोविन्द चौधरी, विजय लक्ष्मी और शारदानन्द अंचल जी ये लोग वहां पड़े हुए हैं। हमारे सत्तापक्ष के माननीय हरदेव जी हैं, उनके भी प्रतिनिधि आज वहां डटे हुए हैं, उस आन्दोलन के समर्थन में। मुख्य मंत्री जी ने जो स्पष्ट आदेश दिया है, उस आदेश की खुली अवहेलना जिलाधिकारी बलिया कर रहा है। हमारे मुख्य मंत्री के आदेश की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। वह अनियमित रूप से खुली गुण्डागर्दी पर अमादा है। इसलिए आप सदन की कार्यवाही रोक कर, इस पर चर्चा करावें और मेरा निवेदन है कि हरदेव जी की बात सुन लें।

श्री हरदेव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में कई बार यह चर्चा आ चुकी है । जिलाधिकारी बलिया–अशोक कुमार ने इतने दिनों में बलिया को नरक कर दिया है । जितना विकास का पैसा है सब बर्बाद और लूट में जा रहा है । बलिया में 70-80 वर्ष के बूढ़ों की नसबन्दी कराकर उसने शासन की छवि को बिगाड़ दिया है । मुझे अफसोस है कि अब तक इतने गलत और भ्रष्ट अधिकारी को माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं हटाया । मान्यवर, वहां पर एस0 डी0 एम0 रसड़ा प्रभाकर दुबे है, वे 56 वर्ष के हैं, उसने चौथी बार साढ़े चौदह वर्ष की लड़की को भगाकर बनारस, कोर्ट में शादी की है, यह उसकी चौथी शादी है । विकास का काम नहीं हो रहा है । ऐसे गलत अधिकारियों को मुख्य मंत्री जी के आदेश के बावजूद हटाया नहीं जा रहा है । मान्यवर, गन्ना मिल की गाड़ी का इस्तेमाल वह डी0 एम0 अपनी पत्नी के लिए करता है, उस गाड़ी पर 20 हजार रुपये का खर्च आया है जिसको कि गन्ना विभाग को देना पड़ा है ।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा शेम-शेम कहा गया)

मान्यवर, इसी तरह से राजस्व विभाग से असहाय और निराश्रित लोगों के लिए 10 किलो गेहूं प्रतिमाह और 50 रुपया सालाना, 1992 तक देने के लिए जो कहा गया है वह नहीं दिया गया है उसको अल्प बचत में डाल दिया गया । 45 लाख 52 हजार रुपया अहेतुक सहायता के लिए दिया गया वह भी अल्प बचत में डाल दिया गया है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 करोड़ 66 लाख रुपया बलिया के विकास के लिए दिलवाया इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, लेकिन उस पैसे को भी अल्प बचत में डाल दिया गया । 2 लाख 50 हजार रुपया जो आगजनी से पीड़ित लोग थे उनके लिए दिया गया लेकिन उसका भी सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया । 10 लाख रुपया रसड़ा तहसील को, पेयजल के लिए, जल निगम द्वारा हैण्डपाइप लगाने के लिए दिया गया । इसको भी अल्पबचत में डाल दिया गया, यह पैसा 698 ग्राम सभाओं के लिए भेजा गया था, वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है लेकिन कोई काम नहीं हुआ है । पी0 डब्लू0 डी0 के लिए एक करोड़ 9 लाख रुपया दिया गया था यह दैनिक मजदूरों के लिए दिया गया था, लेकिन इसको भी अल्प बचत में डाल दिया गया। मान्यवर, ऐसे भ्रष्ट लोगों को इस राज्य से निकाला जाना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे प्रदेश की गरिमा को नष्ट करते हैं उनको इस राज्य में रहने का कोई हक नहीं है । उनको तुरन्त राज्य से बाहर निकाला जाना चाहिये ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, जिलाधिकारी बलिया के संबंध में इस माननीय सदन में कई बार प्रकरण उठाया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

जिलाधिकारी बलिया के अन्दर तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं, सत्ता पक्ष और सभी पक्षों के लोगों ने इस बात को कहा है कि जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, इसलिए भी कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि जिलाधिकारी शासनादेशों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उल्लंघन कर रहे हैं। विकास कार्यों को ठप्प कर रखा है। मुख्य मंत्री जी के आदेशों की परवाह नहीं कर रहे हैं । हमारे शासन और मुख्य मंत्री जी कौन सी नस उससे दब रही है, कौन सी ऐसी कमजोरी है कि वर्तमान शासन कोई भी कार्यवाही करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहा है । गृहमंत्री जी खड़े हुए वह बात का जवाब बात से देने की कोशिश करते हैं, तो मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह बात का जवाब बात से न देकर उस जिलाधिकारी को दण्डित करें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, अभी सदन में जिलाधिकारी बलिया के बारे में सम्मानित सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं । वास्तव में विकास और निर्माण के कार्यों में सभी अधिकारियों को दत्त चित्त होकर निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए । यदि कोई अधिकारी इस प्रकार का कार्य नहीं करता है तो उसके संबंध में, जैसी कि सूचना मिली है उसकी पूरी जांच कराई जाएगी और उस अधिकारी के विषय में चाहे वह जितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो जितने बड़े पद पर क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, उसको वहां से हटाकर जांच करायी जायेगी तो निष्पक्ष जांच हो सकेगी ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आपसे हमारा आग्रह है कि सदन के सभी सदस्य लगभग इससे सहमत हैं और आपकी पीठ से साफ-साफ निर्देश आना चाहिये क्योंकि वह बलिया में विकास कार्यक्रमों का पैसा खा रहा है । शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहा है । आपकी पीठ से निर्णय आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था क प्रश्न नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि तथ्यों पर जायें बात का जवाब बात से न दें । उन्होंने शासनादेशों का उल्लंघन किया, जाने दीजिये । आज मुख्य मंत्री के आदेशों को कोई अधिकारी नहीं मान रहा है, जाने दीजिये लेकिन कम से कम उच्च न्यायालय के आदेश जो टैक्सी स्टैंड के बारे में हैं और जिसे लेकर माननीय विधायक धरने पर बैठे हैं उस संबंध में मैं आश्वासन चाहूंगा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय क्या आप ऐसे निर्देश देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, सामान्यतः उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सभी को करना चाहिये । अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कन्टेम्प्ट आफ द कोर्ट करने का अधिकार. . . .

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि सामान्यतः हाईकोर्ट के आदेशों को मानना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जो परिस्थिति हो जिलाधिकारी को उस आदेश को मानना चाहिये ।

श्री हरदेव–

शासन की छवि खराब करने वाले किसी अधिकारी को एक दिन भी एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, हर अधिकारी को और हर जिलाधिकारी को उच्च न्यायालय के आदेशों को मानना चाहिये । कौन सी गैर सामान्य परिस्थिति पैदा हो गयी है जिसके कारण हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है । आपके दिमाग की कोई उपज हो तो बता दें अन्यथा जिलाधिकारी को सामान्य या असामान्य परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के आदेशों को मानना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकला कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का सामान्यतः पालन होना चाहिये । हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं वह सर्वोच्च संस्था है । उसके आदेशों का स्प्रिट और भावना दोनों के हिसाब से पालन करना चाहिये । यह कहकर गृहमंत्री जी ने सदन की अवमानना की है । आप जिस अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं तो आपको हमें संरक्षण देना चाहिये । आप शासन को निर्देश दे सकते हैं । आप शासन की चेरी नहीं हैं ।

मान्यवर, डी0 एम0, बलिया का मामला कई बार सदन में उठा और हर बार सरकार ने कहा कि जांच करायेंगे । आज भी माननीय गृह मंत्री ने कहा कि जांच करायेंगे और कितना भी चाहे कोई बड़ा अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन आज तक डी0 एम0, बलिया के खिलाफ जितने मामले उठे हैं, क्या उसके बारे में जांच कराई गयी है ? आज माननीय गृह मंत्री यह सदन में घोषणा कर दें कि जिलाधिकारी, बलिया को निलम्बित किया जायगा और उनके आरोपों की जांच की जायगी । मान्यवर, उन्होंने कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सामान्यतया पालन किया जाता है । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, आप सभी, इधर के और उधर के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए शासन को निर्देशित करने की कृपा कर कि वह जिलाधिकारी बलिया को निलंबित करें और मामले की जांच करा कर 25 तारीख को सदन पुनः जब बैठेगा, तो सदन में जांच आख्या रखी जाय । मान्यवर, जो बात माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय मैनेजर सिंह ने कही है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो जाय, यह आप सुनिश्चित कराने की कृपा करें ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरी पार्टी के एम0 एल0 ए0 श्री अंचल और अन्य एम0 एल0 ए0 भी धरने पर बैठे हैं । आपके हरदेव जी जो हमेशा हम लोगों को बोलने नहीं दिया करते थे, आज वह हमारे स्वर में स्वर मिला कर बोल रहे हैं, उनकी अपने जिले की पीड़ा है । जिलाधिकारी, बलिया सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहा है । माननीय मैनेजर सिंह ने कहा था कि वह लंगोटे का ढीला है, एक 56 साल के एस0डी0एम0 ने 16 साल की लड़की से शादी की है, उसका ट्रांसफर हो गया है, उसको रिलीव नहीं कर रहा है, वहीं रखना चाहता है [xxx] मान्यवर, वह हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मान रहा है, क्या वह खुदा है और माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सामान्यतया होना चाहिए । अगर वह पालन नहीं करता है, तो उसको सस्पेन्ड कीजिए, उसको वहां से हटाइये ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूं और मैं विस्तार में नहीं पड़ना चाहता हूं । लेकिन मैं एक रूल आफ ला की बात कहना चाहता हूं । अगर हाई कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन किसी व्यक्ति ने किया है, तो उसके खिलाफ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की कार्यवाही की जा सकती है । यह रूल आफ ला है, यही व्यवस्था है, यही सिस्टम है ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

एस0 डी0 एम0, रसड़ा प्रभाकर दुबे ने 56 साल की अवस्था में चौथी शादी बिना शासन की अनुमति के की है, जो अभी हाल ही में 14-15 वर्ष की लड़की को भगा कर बनारस में कोर्ट मैरेज की है और स्वयं 56 वर्ष का है और अपनी नसबन्दी नहीं करा रहा है और अनेकों शादी पर शादी करता जा रहा है और पिछली पत्नी की जान शादी की लालच में ले लेता है और राजस्व विभाग ने जितनी नसबन्दी 1986 से लेकर 1987-88 तक कराया है, वह विधवा, विधूर, बूढ़ा, माताओं की कराया है, जिसकी उम्र 55 से लेकर 70 साल की है । पुरुष एवं महिला, पति-पत्नी का एक साल का अन्तर देकर अपात्र लोगों की नसबन्दी कराया है । पूरे रसड़ा तहसील में जितनी नसबन्दियां जमीन की लालच देकर करायी गयी हैं, वे सब फर्जी व गलत हैं । इससे गांव-गांव के लोगों में जमीन के आवंटन की लालच में मुकदमेबाजी चल रही है । उदाहरण के लिए ग्राम चरऊंआ सीयर ब्लाक में 70 अपात्र, अइलख इमिलिया रहानपुरा तथा सीसैंड समसुद्दीनपुर में सैकड़ों नसबन्दियां फर्जी कराई गयी हैं और रंगीन टी0 वी0 और साढ़े 3-साढ़े 3 हजार रु0 इनाम डी0 एम0, एस0 डी0 एम0, रसड़ा और सी0 एम0 ओ0, डिप्टी सी0 एम0 ओ0, सी0 आर0 ओ0 आदि ने लिया है ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एस0 डी0 एम0 ने शादी किया है या नहीं किया है, यह यहां का मसला नहीं है । यह प्राइवेट मामला है ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, गृह मंत्री से बुलवा लीजिए, क्या कह रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक ही निवेदन है । माननीय लाल प्रताप सिंह ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मानता कोई कलेक्टर, तो हमें कंटेम्प्ट में जाने का अधिकार है । मान्यवर, इससे हम सभी सहमत हैं । लेकिन मैं आपके माध्यम से सत्तापक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें यह देखकर जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है कि आज नौकरशाही चाहे विधायिका हो, चाहे जुडीशियरी हो सब को जगह-जगह पर अपमानित करने पर तुली है । माननीय मुलायम सिंह ने एक प्रकरण उठाया था जिसमें सेशन जज ललितपुर की अवमानना की है एस0 एस0 पी0 ने, यह दूसरा मामला है । मान्यवर, कलेक्टर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा है, नहीं मान रहा है यह सरकार समझती है और माननीय गृह मंत्री ने कहा कि सामान्यत: हाईकोर्ट के आदेशों को माना जाना चाहिए । इसका मतलब यह हुआ कि सरकार हाईकोर्ट के उस आदेश से सहमत नहीं है । अगर नहीं सहमत है तो सरकार को उच्चतम न्यायालय में उस आर्डर के खिलाफ अपील में जाना चाहिए लेकिन सरकार को या किसी नौकरशाही को श्रीमन्, यह अधिकार नहीं मिलेगा कि वह जुडीशियरी या लेजिस्लेचर की अवमानना करे । अगर इस प्रक्रिया पर आपकी पीठ से अंकुश नहीं लगेगा तो जनतंत्र खतरे में पड़ेगा । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप यह आदेश दें कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन हो ।

(व्यवधान)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस मामले को गम्भीरता से लिया जाय । मान्यवर, मुझे तरस आता है माननीय लाल प्रताप सिंह जी के ऊपर, यह एक अच्छे वकील हैं और यहां पर विधान सभा के सदस्य के रूप में सत्तापक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए बहस कर रहे हैं और सत्तापक्ष का पक्ष लेते हुए कह रहे हैं कि अगर वह नहीं मानता है तो कटेम्प्ट में जाना चाहिए । यह किसे नहीं मालूम है, आपने कौन सी नई बात बता दी है । हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के आदेश को बड़े से बड़े आदमी को मानना पड़ता है । जैसा तिवारी जी ने अभी कहा कि अगर उसमें कोई दोष है तो दूसरी रेमिडी होती है स्टे लेने की या सीनियर कोर्ट में जाने की । वह कार्यवाही नहीं हुई है तो जो हाईकोर्ट का निर्णय है वह स्टैंड कर रहा है । माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि सामान्यता पालन हो इससे ज्यादा असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक दूसरी बात नहीं हो सकती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि गृह मंत्री खड़े होकर खेद व्यक्त करें और कहें कि हर स्थिति में न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च है उसको मानना चाहिए । जो अधिकारी नहीं मानता है उसको निर्देश दें कि अक्षरश: पालन किया जाय, अगर गृहमंत्री ऐसा बयान नहीं देते हैं तो आप सरकार को निर्देश दें कि हाईकोर्ट का जो निदेश हुआ है उसका पालन करायें ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, दो पक्ष इस बिन्दु के हैं जो उठाये गये । एक पक्ष की बात है। माननीय सदस्य मैनेजर सिंह और हरदेव जी ने शिकायत किया, जिलाधिकारी के बारे में ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, क्या यह गृह मंत्री से बड़े हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

और दूसरा पक्ष वह जो सम्मानित उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर है । अभी एक बात को लेकर काफी विवाद यहां पर हुआ कि सम्मानित गृहमंत्री ने कहा सामान्यतः आदेश का पालन करना चाहिए । वास्तव में बात यह थी कि अपेक्षा यह की जाती है हर अधिकारी से कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करेगा और यह सामान्यतः अपेक्षा है । अगर कोई अधिकारी पालन नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। इस बात को लेकर कि आदेश का पालन हुआ या नहीं हुआ, यह जो कापी आपने भेजी है, हमारे पास में, यह आप देख लें ।

अंग्रेजी में मान्यवर, यह है मैं आपकी अनुमति से उसका उद्धरण देना चाहता हूं:–

"द इन्टरिम आर्डर्स डेटेड फेबरूअरी 24, 1988 एण्ड मार्च 15, 1988 शैल स्टैण्ड मोडीफाइड एण्ड हियरआफ्टर शैल स्टैण्ड सब्स्टीट्यूटेड बाई द फालोइंग आर्डर ।"

तो मान्यवर, दो आदेश पहले हुए पहला 24 फरवरी को और उसके बाद 15 मार्च को और अब 7 अप्रैल के आदेश से उसको संशोधित किया गया। मान्यवर, चूंकि आदेश अभी आए हैं और अन्तिम आदेश 7 अप्रैल का है तो जब तक यह जानकारी में न आए कि कौन सा आदेश था जिसका पालन नहीं हुआ, किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, तब तक कैसे किसी मंत्री के लिये सम्भव होगा कि वह बताए कि उसका पालन हुआ या नहीं। इसीलिए गृह मंत्री जी चाहते थे कि कुछ समय मिल जाय ताकि देख सकें कि किस अधिकारी ने पालन किया या नहीं । कन्टेम्प्ट का प्रोसीजर अलग है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। लेकिन साथ ही सरकार की जिम्मेदारी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान को कायम रखे, विधायिका के सम्मान को कायम रखे। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही की जायगी। हरदेव जी ने जो बात कही, उनके मन में परेशानी है, उन्होंने उत्तेजना में कोई बात कही तो अवश्य ही कोई न कोई कमी वहां के प्रशासन में रही होगी । फिर भी मैं बहुत नम्रता के साथ मैनेजर सिंह, हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनसे कहूंगा कि कुछ समय दे दें तो जो आरोप लगे हैं सदन में हम किसी उच्च अधिकारी से उनकी जांच करा लेंगे । ऐसे मामले राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, पार्लियामेंट में बहुत से मामले उठते हैं तो सदैव यही निर्देशित किया गया है कि इसकी जांच कराई जाय और उसके बाद कार्यवाही की जाय। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो आरोप लगाए गये हैं उनकी उच्चस्तरीय जांच कराई जायगी और जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। जांच कोई एक महीने, 2 महीने या 3 महीने में नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इनसे कह दें कि 25 अप्रैल तक जांच आख्या आ जाय और यह भी बतावें कि जांच किस अधिकारी से कराई जायगी?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जांच वाराणसी मण्डल . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, मैं व्यवस्था दूंगा। सबको सुनने के बाद दूंगा।

श्री हरेन्द्र सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा जो आप बोल रहे हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरेन्द्र जी बैठें, मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय विद्युत मंत्री जी ने वहां की स्थिति में सुधार के लिये आश्वासन दिया था, परन्तु वहां आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। किसान वहां पर परेशान है, वहां हाहाकार मचा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप हमें बताइये कि यह किस कारण से नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मुझसे यह पूछने वाले कोई नहीं होते हैं। मैं जो निर्णय करूंगा, ठीक करूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं सुनेंगे, गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मेरे विवेक को चेलेंज नहीं कर सकते हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

कहीं सड़क पर बैरियर नहीं है, उसको तो आप सुन लेते हैं और जहां ट्रांस्फार-मरों के अभाव में किसान की दुर्दशा का सवाल है, उसको नहीं सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें। यह मेरा विवेक है कि किसे सुनूं किसे न सुनूं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

[xxx]

*श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह अत्यन्त ही लोक महत्व की अविलम्बनीय घटना है। मान्यवर, मेरे जनपद आजमगढ़ के थाना चिरैयाकोट के बाजार चिरैयाकोट में दिनांक 6-4-88 को सायं एक डकैती की घटना हुयी जहां डकैती पड़ी 500 गज की दूरी पर थाना है। मान्यवर, 6 तारीख को सायंकाल 6 बजे, पुलिस संरक्षण में, बाजार चिरैयाकोट में हीरालाल सर्राफ के यहां डकैतों ने डकैती डाली। जिस समय डकैती पड़ी, उससे कुछ समय पूर्व ही उक्त थाने के एस0 आई0 श्री राम मिलन पाण्डेय तथा सिपाही जमालुद्दीन ने सर्राफ से कहा था कि दुकान बंद करो, अभी डकैत आने वाले हैं। मान्यवर, उसके बाद डकैतों का गिरोह वहां आया और 5-6 लाख रु0 के लगभग की लूटमार की। जब उसका प्रतिरोध किया गया तो उसे बम मार कर भयंकर रूप से घायल कर दिया गया। मान्यवर, यह घटना लगभग 7 बजे हुई 6 तारीख को और उसी दिन रात को 10 बजे वहां से 500 गज की दूरी पर स्थित थाने पर यह योजना बनायी जा रही थी कि किस तरह से हिन्दू मुस्लिम दंगे का रूप दिया जाये। यह कहकर कि सर्राफ के यहां लूट मुसलमान ने की है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बलराम जी, अब समाप्त करें। आप ग्राह्यता पर बोल नहीं रहे हैं पूरी घटना बता रहे हैं।

नोट:–[xxx] यह अंश भी उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, सायंकाल यह घटना घटित हुई लेकिन रात्रि तक वहां कोई पुलिस का अधिकारी कर्मचारी नहीं आया । घटनास्थल पर जबकि घटना स्थल थाने के बहुत ही करीब है। पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए, श्री शाहजहां, प्रधान अपने कुछ साथियों के साथ लोकदल महामंत्री श्री रमाशंकर सिंह के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से उसी दिन रात्रि दस बजे के लगभग मिले और उन्हें घटना से अवगत कराया।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, उसकी ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। दूसरे दिन प्रातः 8 बजे तक किसी भी उच्चाधिकारी के घटना स्थल पर न पहुंचने के कारण और कोई कार्यवाही न होने के कारण, उससे जनता में काफी रोष उत्पन्न हो गया । परिणाम स्वरूप पूरा बाजार बंद कराके हजारों की तादाद में जनता सड़कों पर आ गयी और थाने पर गयी । उस शांतिमय जनता पर पुलिस ने अपनी निष्क्रियता छिपाने के लिये लाठी चार्ज किया और 18 राउंड गोलियां भी चलायीं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आपको काफी मौका दे दिया।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, उस लाठीचार्ज और गोली चालन से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। मान्यवर, आप इस मसले पर अविलम्ब चर्चा करायें सारी कार्यवाही रोककर।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय बलराम यादव जी ने जो विषय यहां पर उठाया है उसी के संबंध में बताना चाहता हूं, थाने से 500 मीटर की दूरी पर यह डकैती हुई है, पुलिस की इसमें साजिश रही है । मान्यवर, एक तरफ तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की दूसरी तरफ जनता ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, बाजार बंद रहा, तो पुलिस ने उस शांतिमय तरीके से विरोध व्यक्त कर रही जनता पर लाठी चार्ज किया और गोलियां चला दी । मान्यवर, इसी तरह से तो पुलिस राज कायम हो रहा है । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह से पुलिस को प्रोत्साहित न किया जाय। माननीय गृह मंत्री जी इसमें जांच करायें और तत्काल वहां के दोषी पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, आजमगढ़ के चिरैयाकोट थाने की जिस घटना को माननीय बलराम यादव जी ने यहां पर उठाया है, जिसकी उन्होंने यहां पर चर्चा की है इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका तो पेयजल से संबंधित है । जितने माननीय सदस्यों की पेयजल से संबंधित सूचनायें हैं, उन्हें चर्चा में शामिल कर लिया जायेगा।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, कार्य स्थगन के माध्यम से मैं जिस मामले को सदन के संज्ञान में ला रहा हूं, वह बहुत ही गंभीर मसला है । 5 अप्रैल की रात को 8 बजे पचपेड़वा थाना जिला गोंडा के एक पुलिस दरोगा श्री राम अवध ने, अपने मकान के सामने बैठे हुए श्री सईदुल रहमान की गोली मार कर हत्या कर दी। पचपेड़वा थाना नेपाल और भारत का इलाका है। वहां पर तस्करी का बाजार गर्म है और पुलिस के लोग उन तस्करों से मिले हुए हैं। श्री सईदुल रहमान ने तस्करी के खिलाफ मुस्तकिल आवाज उठाई है और उठाते रहे हैं, उन्होंने वहां पर एक शोषण व आतंकवादी विरोधी समिति जैसी संस्था बनाई है। 2-11-1987 को श्री सईदुल रहमान ने पुलिस की इस तस्करी के लिए लखनऊ के कुछ वरिष्ठ लोगों जैसे लोकायुक्त, गृह मंत्री व पुलिस के डी0 जी0 को एक शिकायती पत्र दिया है। रोजाना वहां से कोरिया से बना हुआ पौलिएस्टर फाइबर की तस्करी की जा रही है। वहां पर एक भूतपूर्व सदस्य जो इस विधान सभा के थे, की भी हत्या इसी तस्करी की वजह से कर दी गई थी। इसी प्रकार आज पुलिस ने श्री सईदुल रहमान की हत्या कर दी। 2-11-87 के शिकायती पत्र में उसने तस्करी का विस्तृत रूप में जिक्र किया है, जिसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को भी होगी। थाने के थानाध्यक्ष, सब इन्सपेक्टर व अन्य पुलिस कर्मचारी इस तस्करी के काम में मिले हुए हैं।

एस0 पी0 गोण्डा ने सब इन्सपेक्टर राम अवध का ट्रान्सफर करवा दिया था, किन्तु अपनी कुछ तकलीफ बताकर उसने उसे रुकवा लिया। चूंकि अब मामला लोकायुक्त के यहां था, उसने सोचा कि मैं अब फंस जाऊंगा, इसलिए उसने श्री सईदुल रहमान की हत्या कर दी । इससे दो बातें हुई। पहला, यह कि जो लोग तस्करी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी जुबान बन्द कर दी जाय। दूसरा, इससे देश की आर्थिक नीति बर्बाद हो जायेगी। इसलिए देश हित में यह एक अहम प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आप आज की सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवायें।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, 5/6 अप्रैल की रात की घटना की सूचना श्री फजलुल बारी जी ने सदन को दी। जिसकी विस्तृत सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। सदन में जो सूचना दी गई है वह गम्भीर है। यदि कोई पुलिस कर्मचारी तस्करी के काम में शामिल हो तो यह एक चौंकन्ना देने वाली घटना है। इसलिये हम इसकी पूरी जानकारी करेंगे और इसमें जांच करायेंगे। जो भी दोषी व्यक्ति होगा, उसका दण्डित किया जायगा।

(विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना पर मैं सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश देता हूं। श्री जयदीप सिंह बरार की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं। श्री हृदय नारायन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दीक्षित की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री मित्रसेन एवं श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम शरण दास की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री मैनेजर सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा श्री गौरी शंकर भइया की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं। श्री बलराम यादव, श्री गया प्रसाद वर्मा तथा श्री फजलुल बारी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री बदन सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह श्री विजय सिंह राणा एवं श्री रघुबर दयाल वर्मा की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री बेनी प्रसाद वर्मा एवं श्री कौशिक रमाशंकर के नाम इसी विषय से संबंधित चर्चा में जोड़ दिये जायेंगे। श्री काशी सिंह एरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री सूर्य प्रताप शाही, कु0 मानवेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री भगौती सिंह, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी तथा श्री जगवीर सिंह के नाम पेयजल से सम्बन्धित चर्चा में जोड़ दिये जायेंगे। कार्य-स्थगन के रूप में प्राप्त सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा और गरीबी को देखते हुए पूर्वान्चल विकास परिषद् के गठन की मांग के संबंध में संकल्प (क्रमागत) †

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह तो असरकारी संकल्प माननीय शाही जी ने रखा है मैंने उसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया था। मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया था कि पूर्वांचल विकास परिषद् के साथ रुहेलखण्ड विकास परिषद् का उल्लेख भी आवश्यक है। जब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं तो आम तौर से लखनऊ में बैठकर चर्चा करते हैं, इसका कारण चाहे यह हो कि सरकार लखनऊ में है या यह कहें कि सदन लखनऊ में है, लेकिन जब यहां बैठकर चर्चा करते हैं तो पश्चिम के जिले, ऐसे लगते हैं, जैसे बहुत विकसित हैं और पूर्वी क्षेत्रों के लोगों के मन में यह भावना रहती है कि पश्चिमी क्षेत्र विकसित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों–मेरठ, गाजियाबाद तथा सहारनपुर को अगर छोड़ दिया जाय और बाकी को देखा जाय तो आप पायेंगे कि बहुत से जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से भी पिछड़े हुए हैं। मा0 शाही जी ने कहा था कि जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोषण किया था मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि वारेन हेस्टिंग्ज, जो पहला गवर्नर जनरल था, 18वीं सदी में जब उसने रुहेलखण्ड पर कब्जा किया था तो अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि रुहेलखण्ड जैसी जरखेज और इतनी अच्छी खेती वाली जमीन और सम्पन्नता, हम लोग कलकत्ते से चले आ रहे हैं, वहां से लेकर यहां तक नहीं मिली है। इतिहासकारों का नहीं कहना है बल्कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में देखें तो वारेन हेस्टिंग्ज का जब इम्पीचमेन्ट हुआ और हाउस आफ कामन्स में उस पर महाभियोग का मुकदमा चला, सात साल तक चला, उसमें इसका उल्लेख किया गया कि रुहेलखण्ड में अंग्रेज फौज ने जो जुल्म किये थे, उसकी मिसाल सभ्य समाज में कहीं नहीं मिल सकती। उसका नतीजा यह हुआ कि रुहेलखण्ड से लाखों की तादाद में लोग पलायन करके देश के दूसरे भागों में जलकर बस गये थे, रुहेलखण्ड के बहुत से इलाके जंगल हो गये। वहां के लोगों ने इतना दुख उठाया है शुरुआत से ही उनका वर्णन

(इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

किया जाय तो समय लगेगा।

---

†दिनांक 6 अप्रैल, 1988 की कार्यवाही से।

मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गयी, संगठित तरीके से संग्राम लड़ा, तो उस समय बरेली आखिरी शहर था हिन्दुस्तान का जिस पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ । इससे पहले सारी जगहों पर वे अपना कब्जा कर चुके थे । उस लड़ाई का वर्णन करना तो यहां अधिक समय लेना हो जायेगा अन्यथा वह बड़ी लोमहर्षक घड़ी थी। यदि मैं उसकी याद दिलाऊं तो आज भी बरेली कमिश्नरी में जो बरगद का पेड़ था और अब सूख गया है उस पर करीब 250 लोगों की लाशें लटकी हुई थीं । इस तरह से अंग्रेज ने रुहेलखण्ड का दमन किया और इसलिये वह और भी पिछड़ गया ।

इस संबंध में मैं अधिक न कह कर केवल दो बातें कहना चाहूंगा कि जो रुहेलखण्ड को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग मान लिया जाता है, यह ठीक नहीं है। रुहेलखण्ड में सात जिले आते हैं-बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद । इस क्षेत्र से विधान सभा के लिये 52 विधायक चुन कर आते हैं और लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या वहां रहती है ।

यदि आप प्रगति के आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि पश्चिम के मुकाबिले में ये सारे जिले पिछड़े हुए हैं । सरकार की तरफ से जो राजकीय सिंचाई उपलब्ध करायी जाती है वहा पर जो कुल शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल है उसमें कितनी सिंचाई राजकीय साधनों से हो रही है, उस ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा । यह जो आपने सांख्यकी डायरी दी है इसी के आधार पर 4 लाख 56 हजार हेक्टेयर क्षेत्र बोया गया और 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है बरेली में यानी कि 16 प्रतिशत क्षेत्र में राजकीय सिंचाई उपलब्ध है । इसी तरह से कुल बोए गए क्षेत्रफल में बिजनौर में 5 प्रतिशत राजकीय सिंचाई उपलब्ध है, बदायूं में 3.5 प्रतिशत राजकीय सिंचाई की सुविधा है, मुरादाबाद में 51/2 प्रतिशत सिंचाई (राजकीय) उपलब्ध है शाहजहांपुर में 9% राजकीय सिंचाई तथा पीलीभीत में 14 प्रतिशत राजकीय सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है । यह स्थिति रुहेलखण्ड के इन जिलों की है जिसके लिये माननीय शाही जी तथा और भी अन्य विधायक गण मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा हुआ क्षेत्र है ।

मान्यवर, बाराबंकी में कुल बोये हुए क्षेत्र में से 25 प्रतिशत क्षेत्र में राजकीय सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं यह 1985-86 के आंकड़े बतला रहे हैं । कानपुर में कुल बोये गये क्षेत्र में 18 प्रतिशत में राजकीय सिंचाई के साधन उपलब्ध है, रायबरेली में 22 प्रतिशत तथा वाराणसी में 28 प्रतिशत, इलाहाबाद में 22 प्रतिशत, देवरिया में जो कि मा0 शाही जी का क्षेत्र है, 30 प्रतिशत क्षेत्र है कुल बोये गये क्षेत्र का जो कि राजकीय सिंचाई के साधन से सम्पन्न क्षेत्र है । मान्यवर माननीय शाही जी और भी बहुत से माननीय सदस्यगण स्वीकार करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो इस तरह से तो रुहेलखण्ड पिछड़े हुओं से भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा एक सिंचाई की ही बात नहीं कहना चाहता हूं बल्कि सामाजिक उन्नति के लिये बहुत सी बातें होती है जैसे कि आप साक्षरता को ही ले लीजिये कि बदायूं में साक्षरता 16 प्रतिशत है। आजमगढ़ में 25 प्रतिशत है, मुरादाबाद में 20 प्रतिशत साक्षरता है। इलाहाबाद में 28 प्रतिशत साक्षरता है। पीलीभीत में 20 प्रतिशत, बलिया में 28 प्रतिशत, रामपुर में 16 प्रतिशत तथा मा0 शाही जी के क्षेत्र देवरिया में भी 23 प्रतिशत ही साक्षरता है । इस तरह से सामाजिक प्रगति की दृष्टि से भी रुहेलखण्ड ही अभी भी पिछड़ा हुआ है ।

अब तीसरी चीज औद्योगिकीकरण के बारे में कहना चाहूंगा । अभी कृषि के बारे में, और सामाजिक स्थिति के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखीं अब औद्योगिकीकरण के बारे में भी आप देख लें तो पता चल जायेगा कि वहां इस ओर क्या स्थिति है । यह कारखाना अधिनियम, 1948 जो बना है उसके अनुसार उन औद्योगिक कुछ कर्मकारों का रजिस्ट्रेशन तो किया जाता है जो एक खास साइज से बड़े कारखाने में कार्यरत हैं । तो मान्यवर, अब मैं आपके सामने यह स्थिति रखना चाहता हूं कि किस जिले में कितने औद्योगिक कर्मकार रजिस्टर्ड थे । पीलीभीत में 4,458 कर्मकार इण्डस्ट्रियल संस्थानों में लगे, रायबरेली में 9,888, शाहजहांपुर में 8,573, गोरखपुर में 16,961, रामपुर में 7,256, लखनऊ में 30,120, इलाहाबाद में 25,321 इसी प्रकार से बदायूं में जो कर्मकार लगे हैं विभिन्न इण्डस्ट्रियल संस्थानों में, उनकी संख्या है 1810 इसी प्रकार से देवरिया में जिसको बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं वहां पर 8,527 लोग लगे हुए हैं, बनारस में 18,468 । तो मान्यवर, कतिपय उन आंकड़ों को मैंने आपके सामने रखा जो एक सरकारी विभाग द्वारा दिए गये हैं। इस प्रकार से रुहेलखण्ड को जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग मान लिया जाता है, आज कितना पिछड़ा हुआ है और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सिंचाई की, शिक्षा की, कृषि की और औद्योगीकरण आदि की । यह जितनी भी बड़ी-बड़ी वृहद योजनाएं चल रही हैं, इनका लाभ या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही मिलता है।

अभी एक गंगा नहर बनी, जिससे एक एकड़ भूमि की सिंचाई का लाभ बिजनौर को नहीं मिला, लेकिन न मालूम कितने हेक्टेयर (अर्थात् हजारों हेक्टेयर) भूमि वहां की खोद दी गयी और इसकी वजह से आज से एक बहुत बड़ा भाग वहां का बर्बाद पड़ा हुआ है। काफी हिस्से में जल भराव हो गया है। इस प्रकार के जबर्दस्त बोझ रुहेलखण्ड की धरती पर पड़ रहे हैं, जिसे बर्दाश्त किया जाना मुश्किल है और जिस धरती को वास्तविक रूप से लाभ मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है, मैंने यह संशोधन इसीलिए प्रस्तुत किया है, अब इसे कैसे सही किया जाए इस बारे में जैसा कि पहले मैंने कहा वैसे मैं शाही साहब से पूर्णतया सहमत हूं कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, चाहे वह सरकार की तरफ से नजरअंदाज किये गये हों या उनकी ऐसी ऐतिहासिक स्थिति हो, उसके कारण हुए हों, इनके उत्थान और विकास के लिए प्रदेश सरकार को कोई न कोई योजनाएं तो देनी ही पड़ेंगी, लेकिन इस ओर जो योजनाएं राज्य स्तर पर बनेंगी चाहे वह छोटी-छोटी योजनाएं हों या बड़ी, जिसके लिए जिला सेक्टर को निर्धारित कर उसका पैसा वहां भेज देंगे और वहां के लोग उस पैसे को खर्च करते हैं, लेकिन इस खर्च के आवंटन में एक बहुत बड़ी कमी सामने आयी। जो भी बड़ी कोई योजना हो सिंचाई की हो, कृषि की हो, वह सारी की सारी लखनऊ से ही तय होती हैं, लेकिन यहां पर जो निर्णय होते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में वहां के पिछड़ेपन को सामने रखकर नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको यह बराबर देखने को मिलेगा जिसे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका फायदा सिवाय केन्द्रीय उ0 प्र0, या पश्चिमी उ0 प्र0 अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश को होगा, रुहेलखण्ड को कदापि नहीं परन्तु नहर यदि खुदेगी कहीं और के लिए तो जमीन खुदेगी बिजनौर की तो इससे नतीजा जो सामने आ रहा है वह यह कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और पिछड़ रहे हैं और वहां के लोगों की यह भावना बनती जा रही है कि हमारे यहां के नुमाइन्दों की कोई सुनवाई नहीं है जिससे हमारा जिला दिन पर दिन पिछड़ता ही चला जा रहा है और उनके अन्दर यह भावना जड़ करती

जा रही है कि जैसा कि पहले अंग्रेजों ने हमारे साथ अन्याय किया परन्तु अब जब हम आजाद हुए, तो बहुत सपने संजोये थे कि हमारा हर प्रकार से विकास होगा, पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन आज मौजूद सरकार भी वही अन्याय हमारे साथ कर रही है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि रुहेलखण्ड के लोगों की जो भावना पनप रही है कि रुहेलखण्ड को छोड़कर सभी योजनाओं का पैसा या तो पश्चिमी उ0 प्र0 या तो पूर्वी उ0 प्र0 को ही जायेगा, रुहेलखण्ड को एक पैसा मिलने वाला नहीं है आज इसीलिये उत्तराखण्ड की मांग उठ रही है जब प्रजातांत्रिक ढांचे में सभी जगहों को बराबर का हिस्सा नहीं मिल पाता है, उनके साथ न्याय नहीं होता है, तो इस तरह की भावना पैदा होने लगती है और जब इस तरह की भावना पैदा हो जाती है और मांग होने लगती है, तो कहा जाता है कि विदेशी शक्तियों का इसके पीछे हाथ है और कहा जायेगा कि यह अलगाव की भावना है और कहेंगे कि प्रदेश के बंटवारे की बात मत करें।

अगर हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी हिस्से बराबर चलें, तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि रुहेलखंड विकास परिषद् का गठन किया जाये। मेरा निवेदन है कि इसी तरह से हम सोचते रहे और नियोजन की प्रक्रिया इसी तरह से चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि इस बात की मांग रुहेलखंड से आने लगेगी कि इसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाये । इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाये मेरा निवेदन है कि आज की परिस्थिति में आप सारे जिलों का अवलोकन करें तो यह पता चल जायेगा कि रुहेलखंड सबसे पिछड़ा है। इसकी पुष्टि में मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां की आय प्रति व्यक्ति क्या है, वहां पर प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद क्या है ? बदायूं में 880 रुपया है, इलाहाबाद में 1087 रुपया है, मुरादाबाद में 925 रुपया है, गाजियाबाद में 1987 रुपया है, रामपुर में 835 रुपया है, रायबरेली में 1041 रुपया है। तो यह आंकड़े मैं अपनी बात पर बल देने के लिए दे रहा था। सरकार को अपनी नीति की गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, सरकार की जो नीति है वह सर्वांगीण विकास की नहीं रही है, ऐसी भावना जनता में पनप रही है। इस बात को आप स्वीकार करें। जो रुहेलखण्ड है वह सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है इसलिये आवश्यकता इस बात की है यहां पर रुहेलखण्ड विकास परिषद् का गठन किया जाये और जब यहां के सारे जिले दूसरे जिलों के बराबर आ जायें तो चाहे आप इसको भंग कर दें, लेकिन तत्काल इसका गठन किया जाये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, शाही जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसका मैं इसलिए समर्थन नहीं कर रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, बल्कि मैं महसूस करता हूं कि योजना आयोग ने जो प्रदेशों को विकास योजनाओं के धन देने का सिद्धांत बनाया है। इस प्रदेश में जिलों को धन आवंटन करने में उन सिद्धान्तों की लगातार अवहेलना की जा रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय योजना आयोग जो धन आवंटन का आधार बनाता है, वह क्षेत्र के पिछड़ेपन को आधार बनाता है, वहां की आबादी के घनत्व को देखता है और जो वहां पर छोटी-छोटी डिपाजिट्स स्कीम्स हैं, जिनमें

रुपया जमा किया जाता है, उसको देखता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि जो भी मंत्री इस संकल्प का उत्तर देने के लिए आयें उनको कैटेगेरिकली बताना चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आबादी का घनत्व क्या है? क्योंकि जब उक्त आधारों का उदाहरण देकर योजना आयोग से धन लेने जाते हैं और उसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी को गिनाते हैं, इसके पिछड़ेपन को दिखाते हैं और वहां की कम्पलसरी डिपोजिट को दिखाते हैं और विकास योजनाओं के लिए धन देने में हमारे साथ अन्याय होता है। सबसे बड़ी ज्यादती पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ यह हुई है कि कम्पलसरी डिपोजिट में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने जितना धन जमा किया है उसके अनुपात में हमारी आबादी और पिछड़ेपन के अनुपात में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को योजनाओं के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए यह सरकार जानबूझकर हमारी उपेक्षा ही नहीं करती बल्कि अपनी उपेक्षा की जो हरकतें हैं उन पर पर्दा डालने के लिए एक सुनियोजित षडयंत्र भी करती है। इसका नतीजा यह है कि रीजनल इम्बैलेंसेज लगातार घटने के बजाय आज बढ़ते जा रहे हैं।

श्रीमन्, मेरा आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल से अनुरोध है कि वे स्पष्ट रूप से यह बतायें कि परकैपिटा प्लान्ड एक्सपेंडिचर पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है और पिछले चार-पांच साल में कितना था? यदि आप आगे नहीं बता पाये तो वीर बहादुर सिंह की सरकार के जमाने की ही बता दें कि इनके समय में परकैपिटा प्लान्ड एक्सपेंडिचर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में क्या है और दूसरे जिलों में क्या है? मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि आप उसमें माननीय मंत्रियों का क्षेत्र न गिना दें। अगर रिछारिया साहब जवाब देने खड़े हों और अमेठी संसदीय क्षेत्र में असेम्बली कांस्टीटुयेन्सी जो आती है जो राजकुमार का क्षेत्र है, उनके आंकड़े न दें क्योंकि उनको तो निश्चित रूप से ज्यादा मिल रहा है। यदि अमेठी का मानक मानकर सारे उत्तर प्रदेश के सारे विधान सभा क्षेत्रों की, सारे लोक सभा क्षेत्रों की योजनाओं के लिए धन आवंटित कर दें और उसको मानक लें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सुल्तानपुर जिले में ही जो दूसरे विधान सभा क्षेत्र हैं, माननीय लाल प्रताप सिंह जी बैठे हैं उनके क्षेत्र में पिछड़ापन और आबादी के हिसाब से, कंपलसरी डिपोजिट के हिसाब से जितना धन मिलना चाहिए, क्या उतना मिलता है? यह खुश करने के लिए तो कह देंगे लेकिन मैं जानता हूं कि वहां की जनता ऐसा करने पर इन्हें माफ नहीं करेगी। वे स्वयं भी इस बात की तसदीक करेंगे कि विकास योजनाओं के लिए धन के आवंटन में पूर्वी उत्तर प्रदेश की निरन्तर उपेक्षा की गई है और परकैपिटा प्लाण्ड एक्सपेंडिचर पर कम खर्च हुआ है। पिछले दो-तीन साल से यह रवैया हो गया है कि हम यहां पर सवाल भी लाते हैं मंत्री जी को एक्सपोज करने के लिये कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है तो यह जवाब आता है कि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परकैपिटा इन्कम क्या है, जिलों की पर कैपिटा इन्कम क्या है? आप यही नहीं बता पाते हैं, इसलिये यह परेशानी है।

माननीय बरार साहब ने रुहेलखण्ड की बात कही। रुहेलखण्ड ने आजादी में कितना योगदान दिया, उसका कितना हिस्सा रहा, उससे हमारी असहमति नहीं है

लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि आजादी की लड़ाई में ही नहीं कोई भी लड़ाई रही हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश ने न केवल हिन्दुस्तान का मार्ग दर्शन किया है बल्कि हर कुर्बानी देकर देश को नई दिशा दी है। आप हमारी बात न मानें लेकिन जवाहर लाल नेहरू ने अपनी किताब में किसान आन्दोलन इतिहास का जो वर्णन किया है, उसको अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद का क्या योगदान रहा है। फैजाबाद में अकबरपुर और टांडा तहसीलों का क्या योगदान रहा है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आयेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने क्या कुर्बानी दी है और उसके बदले उसे आज क्या मिला है। आज इलाहाबाद में लोग पदयात्रा का नाटक रचते हैं। आप अपने सीने पर हाथ रखें और तब बोलें तो असलियत सामने आ जाती है।

अभी कल परसों हमारे यहां टांडा में गये थे वहां पर लोगों ने खदेड़ दिया। जो भी गया उनसे पूछा कि टांडा थरमल पावर योजना 1984 में पूरी होनी थी तो क्या वजह है कि उसका पैसा दूसरी जगह आवंटित कर दिया गया, यह सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? सड़कों, पुलों आदि सभी विकास के कामों में उपेक्षा की जा रही है। उस क्षेत्र में आज भी यही लगता है कि हम आजाद भारत में रहते हैं। आज हमारी सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं ज्यादा न कह कर केवल इसलिए बल देना चाहता हूं, इस संकल्प पर कि आप क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करें। हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं। हम यह भी नहीं कहते हैं कि किसी हिस्से का पैसा काट कर हमें दीजिये। लेकिन जो मानक लेकर आप केन्द्रीय योजना आयोग से विकास योजनाओं के लिए पैसा लेते हो ईमानदारी से उसका पालन करें। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हक को हड़प कर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को दुल्हन की तरह सजाने संवारने का काम कर रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश को नंगा करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए पूर्वी अंचल के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि एक विकास परिषद् की स्थापना करें जो कम से कम इस बात पर निगाह रखें कि जिन आधारों पर योजनाओं के लिए पैसा आता है उन्हीं आधारों पर पूर्वी उत्तर वदेश को विकास योजनाओं के लिए धन मिल सके।

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करते हुए इस बात से सहमत नहीं हूं कि मात्र राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी अंचल के पिछड़ेपन को देखा जाय। मैं मिर्जापुर से आता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस इलाके से जहां लाखों की संख्या में लोग बड़ी-बड़ी योजनाओं के स्थापित होने से उजाड़े गये हैं, उन विस्थापितों की समस्या आज तक हल नहीं हो पाई है।

हमारे यहां प्राथमिक कक्षाओं में 2 लाख 12 हजार छात्र छात्रायें भर्ती होती हैं लेकिन डिग्री कालेजों तक जाते तक वह छात्रों की संख्या मात्र 3,800 रह जाती है। मेरे क्षेत्र में जहां बड़े-बड़े प्लान्ट लगे हैं हमारे लोगों ने देश और वदेश के विकास

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए कुर्बानियां दी हैं, अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे और वह पूर्वांचल विकास परिषद् की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने यह घोषणा की है कि योजना आयोग को क्षेत्रीय स्तर पर योजनायें बनानी चाहिए और जरूरत पड़े तो जनपदीय स्तर पर और उससे नीचे के स्तर पर भी जाना पड़े तो जाकर योजनायें बनानी चाहिए।

हमारे साथी तो पूर्वांचल विकास परिषद् में ही फंस गये हैं। हमारा कहना यह है कि मिर्जापुर जिले को यदि प्राइमरी स्कूलों से लेकर जिन शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है तो वह खोली जानी चाहिए। 250 कि0मी0 लम्बा जिला हरियाणा से बड़ा जिला है यदि उसे विभाजन की आवश्यकता है तो वह पूरी की जानी चाहिए, यदि उसमें तहसीलों की स्थापना की आवश्यकता हो तो वह किया जाना चाहिए, हम आज भी कहते हैं कि हमारे यहां सड़कें कम हैं इसलिए जिले की आवश्यकता को देखते हुए वहां सड़कें बनाई जानी चाहिए। हमारे जिले में यदि सौ-सौ कि0 मी0 चल कर कोई ग्रामीण तहसील पहुंचता है तो कहता है कि ऐसे मद्दूपुर स्वीकृत इलाके को 5 कि0 मी0 पर स्थित राबर्टसगंज तहसील से जोड़ दें। घोरावल को तहसील घोषित करें और तहसील तथा ब्लाकों की संख्या को बढ़ायें। मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलें चूंकि यह हमारा हक बनता है। हमने मिर्जापुर को, एक पूरे हिस्से को, 100 कि0 मी0 लम्बे हिस्से को, अपने गांवों और अपने खेतों को उजाड़कर जमीन दिया कि इस पूरे प्रदेश में, इस देश में बिजली आ सके। इस देश में एल्युम्युनियम का उत्पादन हो सके, देश में कोयले का उत्पादन और सीमेंट बन सके, इसलिए हमने अपनी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आज हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि मिर्जापुर जनपद में तहसील स्तर पर जो आवश्यकतायें हैं उनको देखते हुए योजनायें बनानी चाहिए और धन का आवंटन होना चाहिए।

मान्यवर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दिया है और उन्होंने इसको कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग को कहा भी है, यह संकल्प हमें बांध देता है। मान्यवर, पूर्वान्चल विकास परिषद् के नाम पर आज यह बात सही है कि पूरा उत्तर प्रदेश, जहां पर खनिज पदार्थों से, पूरे तरीके सम्पन्न है वहां कृषि में हम पिछड़े हैं, वहीं शिक्षा में पूरा उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, सिंचाई सुविधा के मामले में हम पिछड़े हैं। हम कभी भी यह नहीं कहते कि हमारे यहां यदि खनिज पदार्थ उपलब्ध है तो उससे भारत देश और पूरा प्रदेश लाभ न उठाये। हमारे यहां यदि नदियां हैं तो बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन करें। यदि हमारे यहां सीमेन्ट के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिसकी चार फैक्ट्रियां हैं, दो और डाल दें। लेकिन मेरा यह कहना है कि पूर्वान्चल विकास परिषद् या रुहेलखण्ड की सीमा बांध कर बनायेंगे तो सम्मानित तिवारी जी भी सहमत होंगे कि कोई भी योजना उस क्षेत्र की आवश्यकतानुसार बनानी चाहिए। जैसे फैजाबाद में जिस योजना की आवश्यकता है वह मिर्जापुर में लागू नहीं हो सकती और मिर्जापुर की आवश्यकता है वह फैजाबाद में लागू नहीं हो सकती। इसलिए आज जरूरत है कि माननीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी के उस निर्देश का पालन करें कि प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं

को देखते हुए योजनायें बनायी जायं और उन्हें कार्यान्वित किया जाय। इन शब्दों के साथ, इस संकल्प का विरोध करते हुए आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, श्री सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। इसके विषय में मैं कोई किताब, कागज या आंकड़ों के सहारे अपनी बात नहीं कहना चाहता । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक गांव होंगे जिनको मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और वहां क्या हालत है उसको देखा है। इसलिये इस अहम् सवाल पर मैं किसी किताब, कागज या किसी योजना के झूठे आंकड़ों का सहारा नहीं लेना चाहता। मान्यवर, मैंने एक किताब के पहले पन्ने पर देखा है जिसमें लिखा है कि उम्र की 4 अवस्थायें होती हैं। बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा । लिखा है कि बचपन खेलने के लिये है, लड़कपन पढ़ने के लिये है, जवानी काम करने के लिये मिली है और बुढ़ापा आराम करने के लिये मिला है । लेकिन मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों में यदि कोई मेरे साथ जाय तो प्रत्यक्ष देखेगा कि बच्चे पत्तियां बीनते हैं । लड़के-लकड़ियां चुनते हैं जवानी रोजी की तलाश में भटकती है और बुढ़ापा रिक्शा खींचता है। यह है पूरब के गांवों की जिंदगी जिसके बारे में मैं आंकड़े या नियोजन का सहारा नहीं लेना चाहता।

मैं गांव से चुनकर आता हूं। मैं बनारस, गोरखपुर शहरों के अनेक होटलों और बड़े आदमियों के घरों से रीजेक्टेड कपड़े इकट्ठा करवाता हूं। मिर्जापुर के विधायक जी चले गये। मैं जो कपड़े इकट्ठे करवाता हूं उनको बस्ती, गोरखपुर, बनारस, मिर्जापुर के गरीब लोगों को जो गांवों में रहते हैं उनमें बंटवा देता हूं। गांव के लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं कि कम से कम कुछ तो सहारा मिला। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग तो रोटी बांटकर खाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटी को छांटकर खाते हैं। जो सम्पन्न लोग हैं उनके घरों में रोटी छांटकर खायी जाती है। जो अच्छी रोटियां होती हैं उनको तो खा लेते हैं लेकिन जो खराब रोटियां हैं उनको कुत्तों, पशुओं को देते हैं अथवा फेंक दी जाती हैं। आज पूरब के गांवों में 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो रोटी को बांटकर खाते हैं उनको पूरी रोटियां नहीं मिल पाती हैं। उनके घर में 16 रोटियां यदि बनती हैं और 5-6 आदमी खाने वाले हैं तो प्रत्येक को 3-4 रोटी मिलने के बाद जो घर की औरत है उसके लिये एक रोटी या रोटी का टुकड़ा बचता है जिसको खाकर किसी तरह से वह जिंदा रहती है।

आज पूरब गांव के 50 फीसदी लोग इसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उनको पेट भर रोटी नहीं मिल पाती । दाल-सब्जी 50 फीसदी लोगों को नहीं मिल पाती । नमक, प्याज और मिर्च के सहारे किसी तरह से रोटी खायी जाती है और पानी पीकर लोग सो जाते हैं । यह हालत हमारे पूर्वान्चल की है । मान्यवर, आप आगरा से आते हैं और कभी-कभी मैं आगरा जाता हूं। मेरे यहां की हालत यह है, जाड़े में लोग रोटी खाना चाहते हैं और गरमी के मौसम में लोग चावल खाना चाहते हैं । लेकिन

पूर्व के 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को जाड़े के समय में मजबूरी में चावल खाना पड़ता है और गरमी के मौसम में रोटी खानी पड़ती है। यह कैसी विडंबना जीवन की है कि जाड़े में चावल और गरमी में रोटी खाने के लिये लोग मजबूर हैं और बहुत से लोगों को यह भी मयस्सर नहीं है। यह दुर्दशा पूर्वान्चल की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में शाही जी ने जो संकल्प पेश किया है कि पूर्वान्चल परिषद् बना दी जाय वह उचित ही है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संपदा और खनिज पदार्थ कम नहीं है। वहां की भूमि उर्वर है और जल का भंडार लिये नदियां बहती हैं। वहां श्रम शक्ति की कमी नहीं है। कलकत्ता, बंबई, रंगून आदि में जो उत्पादन बढ़ा है और उन्नति हुयी है वह पूर्व के लोगों की श्रम शक्ति के बल पर हुयी है। इन सारी चीजों के बावजूद अगर पूर्वान्चल पिछड़ा है तो यह शासन की उपेक्षा का परिणाम है। मिर्जापुर के विधायक जी चले गये हैं, उनका कहना है कि पूर्वान्चल परिषद् बनाने की क्या जरूरत है? आजादी के 40 साल बीत गये हैं, उत्तर प्रदेश के एक शासन के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पूर्वान्चल के विकास के लिए पूर्वान्चल विकास परिषद् बना दी जाए, वरना वह जमाने की ओर देखकर अलग होने की बात कहने लगेगा और यह चिल्लाहट मचेगी तो बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि वह पूर्वान्चल अलग होने की या अलग राज्य स्थापना की मांग करें। इसलिए पूर्वान्चल के घोर पिछड़ेपन, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिये यह उचित निर्णय होगा कि पूर्वान्चल विकास परिषद् शीघ्र बना दी जाए, इससे उसका भला होगा। वहां पर कृषि का उत्पादन भी कम है। वहां बिजली नहीं है और सिंचाई की सुविधा नहीं है। यदि बिजली और सिंचाई की सुविधा दी जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ जाता। कृषि में लागत लगाने के लिये उनकी क्रयशक्ति भी बढ़ाना होगा।

कांग्रेस की सरकार पूंजीपति परस्त नीति की परिचायक है। हिन्डाल्को आ गया तो लोगों को उजाड़ दिया गया और बाहर के लोगों को नौकरी देकर उनका तो विकास किया, किन्तु उस क्षेत्र के लोगों की वहां जन्मे और पले लोगों की घोर उपेक्षा कर डाली गयी, उनकी ओर विकास की दृष्टि से किसी भी रूप में नहीं देखा गया। उनके विकास के लिए कुछ भी उसमें नहीं किया गया है। हम तो महात्मा गांधी की नीतियों और उनके सिद्धांत में आस्था रखते हैं। उन्होंने कहा है हर गांव उत्पादन का केन्द्र बनेगा, विकास की इकाई बनेगी। बड़ी-बड़ी जगह से लोग गांव में माल खरीदने आयेंगे। गांवों की स्थिति सुधरेगी और बेरोजगारी दूर होगी तो पूरे देश और प्रदेश का विकास होगा। वहां से अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और पिछड़ापन दूर होगा तो पूरे प्रदेश से यह दूर होगा और सबका विकास होगा। इसलिए हम छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलाकर गांव में रोजी देने के पक्षधर हैं। मैं बांसगांव तहसील में जन्मा हूं। बस्ती जिला मेरा कार्यक्षेत्र है और बनारस में परिवार रहता है। मेरा आप एक निवेदन स्वीकार कर लें, बस्ती जिले में आज कोई भी सभा होगी, तो उसमें उपस्थित जन समूह में आपको 50 परसेंट भी जवान नहीं मिलेंगे। 50 परसेंट यदि जवान मिलेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपको उसमें बूढ़े मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, लेकिन नवजवान नहीं मिलेंगे। पूछोगे तो

मालूम होगा कि वह परदेश कमाने गये हैं। हरियाणा और पंजाब गेहूं की कटाई करने गये हैं। इसलिए पूर्वान्चल परिषद् बनेगी तो पूरा पैसा उसके लिए आबंटित होगा। वह जवान लोग जो आज रंगून, पंजाब और बैंकाक कमाने जाते हैं, वह वहां नहीं जाएंगे, वहीं उनको साधन उपलब्ध होंगे और वह अपनी कमाई का धन भी वहीं खर्च करेंगे, जिससे पूरब में काफी पैसा आएगा और उसका विकास हो पायेगा। इसी बात यह संकल्प पेश किया गया है, पूर्वान्चल की गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए। आशा है पूर्वान्चल परिषद् बनेगी और वहां का विकास होगा, अन्यथा पूर्वान्चल प्रदेश के विभाजन की बात खड़ी होने लगेगी। इससे पूर्वान्चल को बचाना है तो पूर्वान्चल परिषद् अवश्य बनाई जाए, ताकि वहां पर पूरा-पूरा विकास हो सके। इसके साथ मैं माननीय सूर्य प्रताप शाही के रखे संकल्प का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन इसका समर्थन करेगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय शाही जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बाद एक लाभ यह हुआ है कि हमारे लोगों का ध्यान उस ओर फोकस हुआ है कि पूर्वान्चल तथा दूसरे क्षेत्रों का विकास जोर होना चाहिए और इस तरह बहुत ही वेल्यूएबिल सुझाव भी माननीय तिवारी जी और शाही जी की तरफ से आए हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास की कोई सीमा नहीं है और खासकर इस विज्ञान के युग में, टेक्नोलाजी के युग में कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है। जितना हम आज विकास कर चुके हैं या कल करेंगे, उतना विकास, करना हमेशा बाकी रहेगा। जितना रास्ता हम आज चल चुके हैं या कल चलेंगे, उतना रास्ता हमेशा तय करना बाकी रहेगा। जितना इल्म, ज्ञान, नालेज आज हम प्राप्त कर चुके हैं या कल प्राप्त करेंगे उतना हमेशा प्राप्त करना बाकी रहेगा। माननीय तिवारी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, आंटन का स्टैन्डर्ड होना चाहिये। यह बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। जो कुछ हो वह सिद्धान्त के आधार पर हो, प्रिंसीपल के आधार पर तो किसी को एग्री होने में कोई आपत्ति नहीं है। रीजनल इम्बैलसेज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, इसमें किसी की दो ओपिनियन नहीं हो सकती है। (इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये) लेकिन यह कहना कि पूर्वान्चल विकास परिषद् गठित करके सब काम कर लेंगे यह समझ में नहीं आता है। सारे युग, सारे देश आधुनिक कम्यूनिटी, आप किसी एक इलाके को देखें। रीजनल बैलेन्सेज के आधार पर कोई पिछड़ा इलाका हो, उसको आगे करने की जरूरत है। ताकि उसका विकास हो सके। रीजनल लाइफ स्टैन्डर्ड हो सके, यह हमारा प्रयास होगा। जहां इस प्रकार की विकास परिषदें बनी हैं वहां तमाम एतराज आते हैं। जब पहाड़ का बजट चल रहा था, तो पहाड़ के माननीय सदस्यों ने जबर्दस्त एतराज किया था। एक चीज हम बना देते हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा के मुताबिक हमारी इच्छा के मुताबिक काम नहीं हो पाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है तो उसको मिलकर दूर करना चाहिए। चाहे वह पूर्वान्चल का हिस्सा हो, या कोई और हिस्सा हो उसको हम सबको मिलकर दूर करना चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्वान्चल में हमारा जिला भी आता है। फैजाबाद की मिशनरी से नजदीक है। इलाहाबाद से भी नजदीक है, रायबरेली से भी नजदीक है। वहां की पापुलेशन, वहां की जनसंख्या 18 लाख है। 1987 की जनगणना के बाद तो और बढ़ गई होगी। शहरों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि चार-पांच साल बाद कोई आदमी पैदल नहीं गुजर सकेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। 1947 से आज तक पूर्वान्चल में बहुत कुछ हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने जिले की बात करता हूं । 30 साल से पहले और आज बहुत फर्क हो गया है। सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हुई हैं। सरकारी ट्यूबवैल और प्राइवेट ट्यूबवैल के माध्यम से, खाने, पीने, रहने, सहने के स्टैन्डर्ड में काफी बेहतरी आई है। मैं व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं मैं जब मिडिल स्कूल पढ़ने जाता था, तो तीन मील पढ़ने जाता था। दूसरे दिन वाला भोजन खाकर जाता था। आज हमारे गांव से 25-30 लोग साइकिल से स्कूल जाते हैं। अब कोई पैदल नहीं जाता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

आप स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ते होंगे। आज पेड़ के नीचे पढ़ते हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

जब अंग्रेजी का तार आता था, तो लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले को ढूंढ़ते थे। पहले कैथी मुरिया में भी लोग लिखते थे, तो उसका हम तर्जुमा करते थे। तो ऐसा नहीं है, इस तरह के विकास परिषद् सेट-अप करने से कोई भी लाभ नहीं है। जो प्रिंसिपिल की बात कही है, वह सही है।

माननीय बरार जी ने जो रुहेलखण्ड के संशोधन की बात कही है, उनका ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसी पुरानी बात का याद दिलाना उचित नहीं है कि किसने कितना युद्ध किया, हम सब जुट करके अंग्रेजों से, इम्परलिस्ट पावर से लड़ाई किया और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी । तो यह कहना कि रुहेलखण्ड ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनके ऊपर जुल्म हुआ या ज्यादती हुई या पूर्वान्चल में हम लोगों ने बहुत युद्ध लड़ा, इसका विचार नहीं होना चाहिए। सब में एक आर्गनिक यूनिटी है। कोई डिग्री में एक सूत कम हो सकता है, कोई एक सूत ज्यादा हो सकता है। हम सब ने यूनाइटेड होकर लड़ाई लड़ी, जिस किसी ने योगदान दिया है, उसका महत्व है। इस तरह से डिवाइड करके कि पूर्व ने यह किया, पश्चिम ने यह किया, यह कहना ठीक नहीं है। जो ज्योग्राफिकली इकोनामिक कंसीडरेशन पर तकसीम है, वह ठीक है। हमें दूसरे तरीके से सोचने की आवश्यकता है।

रुहेलखण्ड, पूर्वान्चल अगर इस तरह से तकसीम किये जायेंगे, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। मान्यवर, बरार जी ने जो बात रखी है, वह अलगाववादी है, उसे उन्होंने तंग नजरी से रखी है, उनका जो संशोधन है, वह नाकाबिले गौर है और अन्त में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आइये सब मिल करके पूरे तरीके से विकास गति तेज करेंगे जो पोलिटिक्स क्वीबिलिंग है, उसे छोड़ कर सब लोग

एक साथ मिल कर जुट जायं, तब हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह रोज का धरना, प्रोसेशन, यह सब 5 साल के लिए बन्द कर दीजिए, तो हमारे विकास की गति तेज हो जायगी और हम लोग बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। इन शब्दों के साथ में माननीय शाही जी के संकल्प का विरोध करता हूं और बरार जी के रखे हुए संशोधन का विरोध करता हूं।

*डाक्टर बंगाली सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय शाही जी द्वारा रखे हुए पूर्वान्चल विकास परिषद् के गठन से संबंधित संकल्प के समर्थन में बोल रहा हूं। मान्यवर, पूर्वान्चल में आज भी गरीबी का यह हाल है कि लोग दोपहर के भोजन में रोटी भी नहीं खा सकते हैं। पूर्वान्चल में चाहे शहर हो, चाहे कस्बे हों, मुझे मौका मिला, उनके साथ जाने का होटलों में, तो वहां पर लोगों ने कहा कि यहां पर लोग रोटी शाम को खाते हैं, दोपहर में नहीं खाते हैं। मान्यवर, बड़ा दुःख हुआ, यह अभी 10 दिन पहले की बात है। इसलिए पूर्वान्चल परिषद् का गठन होना बहुत ही आवश्यक है, जब तक पूर्वान्चल परिषद् का गठन नहीं होगा, पूर्वान्चल का विकास किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं है।

शिक्षा के विषय में हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में शिक्षा की हालत यह है कि गरीब लोग, हरिजन लोग, पिछड़े लोगों के बच्चों को स्कूल में पढ़ने की बात तो अलग रही, उनके पेट भरने की समस्या इतनी जटिल है कि उन्हें पेट भरने की समस्या को हल करने के लिए अपने 10-10 साल, 6-6 साल के बच्चों को काम में लगा देते हैं। आप भदोही, बलिया, गोरखपुर के गांवों के लोगों को देखिये तो आपको मालूम हो जायगा कि वहां पर गरीबी की क्या हालत है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि वहां पर बेरोजगारी की हालत यह है कि चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आगरा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, वहां पर रिक्शा चालक पूर्वान्चल के मिलेंगे। मान्यवर, इतनी गरीबी को देखकर बड़ा कष्ट हुआ।

मान्यवर, पूर्वान्चल में आज महिलाओं को कपड़ा पहिनने को नहीं मिलता। मैं सत्तापक्ष के विधायकों से कहना चाहता हूं उन्होंने कहा कि खुद उस जगह के रहने वाले हैं, वहां की गरीबी की हालत इतनी है और वहां के लोग उस दशा में जीवित रहते हैं, मैं तो पश्चिम का विधायक हूं, अलीगढ़ का विधायक हूं हम लोग चाहते हैं कि वहां का विकास हो। आज 40 साल की आजादी के बाद भी वहां स्वतंत्रता की झलक नहीं दिखाई देती है वहां बंधुवा मजदूर हैं, बड़े-बड़े जमींदार गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि वहां की गरीबी, वहां की अशिक्षा, वहां की बेरोजगारी की समस्या तब तक हल नहीं होती जब तक पूर्वांचल विकास परिषद् का गठन न किया जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आप बस्ती की बात लीजिए हमारे यहां एक-एक खेत 10–10 एकड़ का होता है और बस्ती में एक खेत सिर्फ एक कच्चे बीघे का होता है, उस एक कच्चे बीघे में वहां का किसान क्या पैदा करता होगा। आप हमारे पश्चिम में जाइये, पश्चिम में देखिये, मैं उदाहरण देना चाहता हूं अपने अलीगढ़ का, अपने मेरठ का किस तरह से लोगों ने विकास किया है। यदि आपको इस प्रदेश को एक सूत्र में बांधना है तो पूर्वान्चल विकास परिषद् को बनाना होगा, उसके माध्यम से पूर्णतः विकास होगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि पश्चिम का पैसा, पश्चिम का अनाज पूर्व खा जाता है। यह 40 साल के उपरान्त वहां का सरकार विकास नहीं कर सकी है। अगर यह सरकार प्रतिज्ञा कर ले, हम विश्वास कर लें कि पूर्वान्चल का विकास करना है, सरकार प्लानिंग करे तो 10 साल में पूर्वान्चल में विकास होगा। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की एक कमेटी गठित की जाय। इस लखनऊ के जनपद में देहात के इलाकों की इतनी दयनीय दशा है जो हमारे यहां पश्चिम के गरीब से गरीब लोगों की आज हालत है, यहां अच्छे से अच्छे आदमी की हालत वह होगी तो जब तक पूर्वान्चल विकास परिषद् का गठन नहीं होगा तब तक सुधरेगा नहीं।

माननीय लाल प्रताप सिंह कह रहे थे कि हमारे पूर्वान्चल में नहरें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, मैं आपको बता दूं कि जनपद बस्ती में नौगढ़ नया जिला बनने जा रहा है, मैं रात में आ रहा था कहीं भी बिजली की लाइट नहीं मिली। मान्यवर, आप मथुरा अलीगढ़ जायं, रात में सफर करें तो आपको हर खेत में बल्ब जलते दिखाई देंगे। मैंने बस्ती जिले में देखा वहां 40 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे नेता हैं, उनके यहां भी गया था, मैंने देखा कि कोई पानी का साधन नहीं है, कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। हमारे सत्तापक्ष के लोग अधिकतर पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले हैं वह इसका समर्थन करें कि पूर्वान्चल विकास परिषद् बनाया जाय ताकि उसका विकास हो।

माननीय डा0 कौशल कह रहे थे, वह आगरा निवासी है हो सकता है कोई ब्लाक में गड़बड़ी हो। मैं अलीगढ़ की बात कहता हूं, मान्यवर, हमारे पश्चिम वाले कहते हैं कि सारा पैसा खर्च करने के बाद, पश्चिम का पैसा खर्च करने के बाद वहां का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक योजना बनाइये। पूर्वान्चल विकास परिषद् के माध्यम से बिजली की, पानी की, शिक्षा की, बेरोजगारी की एक योजना बनानी पड़ेगी जिससे इस पूर्वान्चल का विकास होगा। मान्यवर, इसी के साथ मा0 शाही जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से डा0 बंगाली सिंह से जानना चाहता हूं कि जब वे पूर्वान्चल के दौरे पर गये तो उनकी मानसिक दशा क्या थी। ऐसा तो नहीं कि वे बंधक बनाकर महल में रख दिये गये हों।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जब अ और ब में विभाजन हुआ था, उस समय की बात बता रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

हमसे ज्यादा नजदीक हैं, यह तो पता चल ही गया है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन तो नहीं करता लेकिन उसको बड़ा संक्षिप्त कर दिया, इसमें मुझे कुछ कहना है। अगर मा0 शाही जी ने उसको व्यापक कर दिया होता तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता । श्रीमन्, मैं सुन रहा था कि उस दिन भी और आज भी शाही जी ने जो आंकड़े दिये और अभी बरार साहब ने आंकड़े दिये कि राजकीय सिंचाई की क्या स्थिति है, कितने क्षेत्रफल में है, उन्होंने पूर्वान्चल के दिये और उन्होंने रुहेलखण्ड के आंकड़े दिये । पर अच्छा होता कि पूरे मण्डल के, आगरा मण्डल के पूरे आंकड़े दिये होते । अच्छा होता कि झांसी मण्डल में जितने जिले हैं, बताते कि उसमें राजकीय सिंचाई कितने क्षेत्रफल में होती है । यह देखते तो सही स्थिति का ज्ञान होता । यह तो एक तरफा कह रहे हैं जैसे वकील खड़ा होता है तो अपने मुवक्किल की बात करता है। तिवारी जी का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है ।

श्री अधिष्ठाता–

डाक्टर साहब, इलाहाबाद का क्या ख्याल है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, मैं डा0 बंगाली सिंह की बात पर थोड़ी चर्चा करूंगा । श्रीमन्, मैं आज आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहता, न ही आपका समय नष्ट करना चाहता हूं । लेकिन श्रीमन्, आज अगर आप सिंचित क्षेत्रफल को देखें, सड़कें कितनी बनी हैं, उद्योग कितने हैं, उनको देखें । आजादी के पहले जो बनी हैं उनको छोड़ दें, उनको न देखें । आजादी के पहले के स्कूल कालेजों को न देखें, आजादी के बाद के देखें । श्रीमन्, एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत और व्यक्तिगत प्रयास से उद्योग लगाया उसको न देखें, आजादी के बाद से आज तक आप देखें कि कितनी सड़कें बनी हैं उसमें कितनी पूर्वान्चल में बनी हैं और कितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में । आप देखें कि मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी नहरों का निर्माण हुआ है और कितनी पूर्वान्चल में बनी, कितनी पश्चिमी उत्तर में बनीं और कितनी बुन्देलखण्ड एरिया में बनी । श्रीमन्, अभी पिछले दिनों हाउस में चर्चा हुई थी, नीदरलैण्ड से 50 करोड़ का कर्ज लिया और उससे केवल पूर्वान्चल के 9 जिलों की सड़कों का निर्माण होना है और विश्व बैंक से जो 600 करोड़ रुपया मिला श्रीमन् जिसकी अदायगी पूरे उत्तर प्रदेश को करनी है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को अपने खून पसीने से उसकी अदायगी करनी है और उनका निर्माण पूर्वान्चल के 17 जिलों में होगा । जबकि अदायगी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले को करनी है ।

श्रीमन्, आप उद्योग की बात ले लें । जो निजी उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, जो छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग लगे हैं, अपने प्रयास से लगे हैं । मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता । लेकिन आजादी के बाद से आज तक आप देख लें उत्तर प्रदेश में कहां-कहां हेवी उद्योग लगे । पूर्वान्चल उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, सर्वोपरि स्थान प्राप्त करेगा । आगरा मण्डल, मेरठ मण्डल, मध्य उत्तर प्रदेश है, झांसी मण्डल है, राज्य में जितने भारी उद्योग लगे हैं, उनसे सर्वथा वंचित रखा गया है । डा0 बंगाली सिंह उस समय राजा साहब नहीं थे, राजा साहब की चकाचौंध में वे भूल गये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मूलभूत अन्तर है ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय डा0 साहब को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय बंगाली सिंह जी पूर्वी उत्तर प्रदेश घूमे हुए हैं, वह वहां की स्थिति का जिक्र कर रहे थे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

डा0 साहब माननीय बंगाली सिंह जी आप ही के बगल के जिले के हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों की स्थिति यह है कि गलियों के अन्दर, मुहल्लों के अन्दर, सड़कों पर सोडियम वेपर लैम्पस लगे हुए हैं, मरकरी लैम्पस लगे हुए हैं, वहां रोजाना रात्रि को बिल्कुल दीवाली सी स्थिति है । मान्यवर, आप झांसी मण्डल आगरा मण्डल की तरफ आ जाय, 100 वाट का बल्ब भी सड़क पर नहीं मिलेगा, गलियों मुहल्लों की बात तो छोड़ दीजिये । आप कहते हैं कि सिंचाई साधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आज ट्यूबवेल, आजादी हासिल करने के बाद, जितने लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा किस जिले में लगे हैं, किस अंचल में लगे ज्यादा ? मान्यवर, अगर इसकी गणना की जाय, तो ट्यूबवेल्स में सबसे ज्यादा स्थान पूर्वान्चल को मिलेगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां के, कर्मठ मेहनतकश किसान ने अपनी गाढ़ी कमाई से ट्यूबवेल लगाये हैं, उनकी बोरिंग करायी है, सिंचाई साधन जुटाये हैं, किसी के आसरे पर वे नहीं रहे, किसी के रहमोकरम पर वहां के किसान नहीं रहे ।

मान्यवर, यह एक मूलभूत अन्तर आपको देखना पड़ेगा । मेरे मित्र माननीय हरीश जी चले गये, वे अभी फरमा रहे थे कि पूर्वान्चल की जवानी, पूर्वी उ0 प्र0 की जवानी कहीं बैंकाक, सिंगापुर वहां चली गयी, कायम हो गयी, वहां इन्होंने खत्म कर दी, माननीय माता प्रसाद जी सुन लें, हम भी आपकी बात धैर्य से सुनते हैं । मान्य-

वर, सवाल जवानी और बुढ़ापे का नहीं है, उसके अन्दर मेहनत करने का कितना माद्दा है ? आगरा मण्डल का किसान चाहे गरीब हो या पैसे वाला हो, अपने हाथ से हल जोतता है खेत के अन्दर । वहाँ की महिलायें खेती बारी में अपना योगदान देती हैं, तब वह अनाज अन्न पैदा होकर किसान के घर में आता है । यह नहीं कि बड़े-बड़े लोग, जागीरदार सामने बैठे हुए हैं, उनके नौकर चाकर खेत पर काम करें और यह लोग बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते रहें, खैनी मलते रहें । यह जो कुछ मूलभूत अन्तर है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें । आपस में बात न करें । जो कुछ कहना है मुझे सम्बोधित करके कहें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, डा0 कौशल ने अपने भाषण में एक क्षेत्र विशेष के संदर्भ में वहां के श्रमिकों का उपहास करते हुए बात कही है । इसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय शाही जी सही बात को सुनने का धैर्य रखिए । यह उपहास नहीं है, जो वस्तुस्थिति है वह आपके सामने मैंने रखी है, उस वस्तुस्थिति को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं । पूर्वान्चल विकास परिषद् की बाबत यह बात उठी है कि परिषद् बने । आपने पूर्वान्चल विकास निगम का गठन कर दिया, आपने हर मण्डल में मण्डलीय विकास निगम गठित कर दिये उससे क्या फायदा हुआ, क्या लाभ लोगों को मिला ? पूर्वान्चल विकास परिषद् और यह मण्डल विकास निगम के माने हैं । इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । शाही जी आप सुनें, मैं भी आपकी बात धैर्य से सुनता हूं । बुनियादी हमारी जो नीतियां हैं, उसमें आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा । बुनियादी नितियां यह होंगी कि जिस जिले के अन्दर उद्योग नहीं है, उद्योगरहित है, वहां उद्योगों को प्राथमिकता देंगे, जो जिले, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, उन्हें हमें देखना होगा । जहां आबादी ज्यादा है, सड़कें नहीं हैं, उद्योग नहीं है, वहां हमें देखना पड़ेगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो या झांसी मण्डल हो, जहां सड़कों का अभाव है, वहां हमें प्राथमिकता पर सड़कें देनी होंगी ।

श्रीमन्, उद्योग की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सारे उद्योग पूर्वांचल में बने हैं। आगरा में उद्योग नहीं है, यहां तक कि आगरा मण्डल उद्योग रहित है। डा0 बंगाली सिंह जी 25 बार इस मामले को उठा चुके हैं कि अलीगढ़ में उद्योग लगना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं लगा, पता नहीं उन्हें आज क्या हो गया था, मेरी समझ में नहीं आता है।

मान्यवर, मैं अब एक छोटी सी जायज चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि इलाहाबाद में हाईकोर्ट और उसकी बेंच लखनऊ दें। सरकार ने जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया था और उस आयोग पर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किये और उसने अपनी संस्तुति के साथ शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह मुझे नहीं मालूम है कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन जो सामान्य चर्चा हुई, उससे विदित हुआ है कि उसने संस्तुति की है कि आगरा के अन्दर हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना होनी चाहिए। मान्यवर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सुलभ न्याय से भी वंचित किया जा रहा है। हर डेमोक्रेटिक सेट-अप में आज नागरिक को सुलभ न्याय मिलना चाहिए, इससे भी वहां के लोगों को वंचित किया जा रहा है। वहां के लोग इस बात का विरोध करते हैं और रुकावट डालते हैं कि खण्ड पीठ बने आगरा में। मान्यवर, सवाल खण्डपीठ का नहीं है बल्कि बुनायादी सोच का है, बुनियादी नीतियों का है, आज उन्हें नजरन्दाज किया जा रहा है। राजनैतिक रूप से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झांसी मण्डल पिछड़ रहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई कैबिनेट मंत्री हो या न हो, किन्तु सदन में यह व्यवस्था रही है कि जब चर्चा हो तो एक कैबिनेट मंत्री को रहना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

एक कैबिनेट मंत्री को होना चाहिए।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, जो संकल्प रखा गया है, इस पर बहुत लम्बी चौड़ी बहस हो सकती है। किन्तु मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश व मध्य उत्तर प्रदेश का झगड़ा मत पैदा कराइये। यह नीति तय करने की बात है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, चाहे पूरब का कोई जिला हो और चाहे मध्य उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, यदि वह पिछड़ा है तो वहां पर विकास की गति को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाना चाहिए। वहां पर उद्योग लगाये जाने चाहिए, वहां पर सड़कें बनायी जानी चाहिए और वहां पर नहरें बनायी जानी चाहिए तथा वहां पर स्कूल व कालेज बनाये जाने चाहिए। यह सोच नहीं होनी चाहिए कि यह जिला पूरब का है और यह पश्चिम का है। यदि यह सोच बनी रही तो रिजनल इम्बैलेन्सेज बने रहेंगे और वह दिन दूर नहीं, जब लोगों में असन्तोष पैदा हो जायेगा और जिसके परिणाम बहुत खराब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री शाही जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिए अवसर दिया । अभी माननीय डा0 कौशल बोल रहे थे, उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में ही यह बात मान ली कि पश्चिमी जिले सम्पन्न हैं पूर्वी जिले गरीब हैं क्योंकि उन्होंने स्वतः कहा है कि 1947 से पहले हुए विकास कार्यों को मत जोड़िये, यानी कि सड़क मत जोड़िये, विद्यालय मत जोड़िये, इसका तात्पर्य 1947 के बाद हुए विकास का संतुलन बनाने के पक्ष में वे हैं और 1947 के पहले वाला अलग मानते हैं। यह बात स्वयं सिद्ध है कि पूर्वी जिलों के लोग गरीब हैं, लेकिन गरीबी के कुछ कारण हैं, सरकारी उपेक्षा भी है तथा और भी कारण हैं, पूर्वी जिले बाढ़ से प्रायः ग्रस्त रहते हैं और नहरों का वहां व्यापक प्रबन्ध नहीं है। 40 साल में मात्र एक गण्डक नहर बनायी गयी । पश्चिमी जिलों में यमुना, गंगा, रामगंगा, मध्य गंगा, शारदा आदि कई नहरें बनायी गयीं । इसीलिए जमीन उपजाऊ होते हुए भी सिंचाई के साधनों के अभाव और बाढ़ से बर्बादी के कारण तथा सड़कों के अभाव के कारण आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब है।

अभी माननीय लाल प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि हर ग्राम में सड़कें हैं, मैं कहता हूं कि पूर्वी जिलों के आधे गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े ही नहीं हैं, जो सड़कें हैं उनमें कोई भी सड़के ऐसी नहीं हैं, जिसमें पुल पुलिया बनी हों, सारी सड़कें अधूरी हैं, पुल पुलिया नम्बर से बनते हैं । 10-15 साल तक नम्बर आने वाला नहीं है । अभी गरीबी की बात हो रही थी । जो पूर्व से रेलगाड़ियां चलती हैं, जो माननीय सदस्य प्रथम श्रेणी में चलते हैं, उनको भी स्टेशन पर दिखायी पड़ता है कि हजारों मजदूर ट्रेन की छत पर बैठकर पंजाब जाते हैं, मेरठ जाते हैं मजदूरी करने के लिये । तो एक तो सिंचाई के साधनों का अभाव है, दूसरे जनसंख्या का भारी बोझ भी है, गोरखपुर सन् 71 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या बस्ती की 36 लाख है, देवरिया की 34 लाख है, इलाहाबाद की 37 लाख एवं गोरखपुर की 36 लाख जो प्राकृतिक कारण हैं, वे पूर्वी जिलों को गरीब बनाये हुए हैं इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि पूर्वांचल विकास परिषद् का गठन करे । इसके गठन करने का तात्पर्य यह है कि स्पेशल रूप से उन पर ध्यान दिया जाय । जब स्पेशल रूप से ध्यान दिया जायगा तो स्पेशल रूप से नहरें बनायी जायेंगी, ट्यूबवेल बनाये जायेंगे, सड़कें बनायी जायेंगी, कारखाने बनाये जायेंगे । वहां का मजदूर जिसका अभी मजाक उड़ाया जा रहा था, मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में फसल की बोआई और कटाई उन्हीं के बल पर होती है। हमारे देश का एक भी नागरिक निकम्मा नहीं है, लेकिन जब वह पुश्त दर पुश्त से भूखा रहता है, तो उसका मन भी मर जाता है। पूर्वांचल को प्राथमिकता के आधार पर मदद की जरूरत है। इसके साथ ही मैं मा0 शाही जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं तो कहता हूं कि मा0 लाल प्रताप सिंह जी विकास के संयोजक बन जायं और इस प्रदेश में विकास कारखाने में हम लोगों को साथ लेकर बेहतर भूमिका अदा करें ।

*श्री बसंत सिंह गहलौत–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय शाही जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उससे उत्तर प्रदेश में भेद पैदा होता है। और जिस दल से माननीय शाही जी हैं वह एकाग्रता का दर्शन करने वाला है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह भेदमूलक संकल्प उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया ? भारत में वैसे ही बहुत सी बातों में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है फिर उसमें पूर्वी और पश्चिमी का भेद किया जाय, इससे भेदभाव को बल मिलता है और जो लोग इस प्रदेश को बांटने के लिए बहुत दिनों से कोशिश में लगे हुए हैं, उनको भी इससे बल मिलता है। पश्चिम के लोगों की धारणा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिकतर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर खर्च होता है, यह आम धारणा है लोगों के मन में एक और आम धारणा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले उपेक्षित हैं।

यदि आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो स्वतः ही सिद्ध हो जायेगा जबकि और बहुत सी भेदमूलक बातें हो रही हैं तब इस तरह का संकल्प प्रस्तुत करना, भेदभाव को और बढ़ाना ही है। हमारा सम्पूर्ण राज्य जो है उसको हम एक दृष्टि से देखें चाहे वह नगर हो, ब्लाक हो, गांव हो, यह पूर्वांचल और पश्चिम में, आगरा में, पर्वतीय प्रदेशों में जो कि पिछड़े हुए हैं, वहां हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसके पिछड़ेपन को दूर करने में हम अपना सहयोग दें और उसकी प्रगति करें ।

आज जो आप मांग कर रहे हैं उत्तराखण्ड की, उसको भी इससे बल मिलता है। हमारा सम्पूर्ण राज्य जो है इसको चाहिए कि हम एक ही दृष्टि से देखें और उसकी प्रगति के लिए सोचें जहां शिक्षा की उपेक्षा है, बेरोजगारी है, उद्योग न हों, सिंचाई के साधन न हों, इन सब बातों को यहां सदन के समक्ष प्रस्तुत करें कि इसको आगे बढ़ाना है। यह मैं मानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भयंकर गरीबी है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिये यह कहना कि सरकार की उपेक्षा है, ऐसा कदापि नहीं है क्योंकि जहां-जहां कर्मठ और परिश्रमी लोग हैं, जिन्होंने संकल्प किया है कि अपनी हालत को बदलेंगे वहां-वहां प्रगति हुई है और निश्चित रूप से प्रगति हुई है।

मुझे जब पंजाब के लोग मिलते हैं उन्होंने मुझे बतलाया है कि नई-नई तकनीकी से उन्होंने काम-धन्धे लगा कर खड़े किये हैं। आज सुबह ही जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मेरी पंजाब के एक आदमी से बात हुई थी तो उसने कहा कि हमने अपने बल पर प्रगति की है। हमारा लड़का विदेश में गया है और उसने वहां से कमा कर हमें पैसा भेजा जिससे हमने यहां नये-नये उपकरण खरीदे और अपने राज्य को बदल डाला है। ऐसा संकल्प होना चाहिए हम सबके मन में । जो वहां कुछ बड़े आदमी हैं, आज भी वहां वर्ग बनाये हुए हैं। हमारे यहां उस तरह की छुआछूत नहीं मिलेगी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी । मैं माननीय सदस्यों से कह रहा था कि हमारे प्रदेश में एक सामाजिक क्रान्ति को लाने की आवश्यकता है। एक सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक क्रान्ति लाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है और यथाशक्ति जितना हो सकेगा, करती भी रहेगी ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह पश्चिम के लोग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी अपने को पिछड़ा कहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शाही जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी डाक्टर साहब अपना भाषण दे रहे थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में और उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक ढंग से अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे थे । मैं भी उनको आंकड़ों में उलझाना नहीं चाहता मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ मामलों में आपसे ज्यादा सम्पन्न है जिसे हम और आप सभी स्वीकार करते हैं। यह पूर्वी उ0 प्र0 हमारा प्राचीन काल से सांस्कृतिक धरोहर रहा है और श्रम के मामले में भी यह औरों से ज्यादा सम्पन्न है । अपने ही देश में नहीं अपितु विदेशों में भी छवि पूर्वी उ0 प्र0 के लोगों ने बनायी है, यहां के लोगों ने गायना, ब्रिटिश गायना, सूरीनाम और मारिशस आदि जगहों को दिया है, इस संबंध में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब यहां के लोग भुखमरी के शिकार हुए, परेशानियां उनके सामने आयीं तो उन्होंने दूसरी ओर जाने पर विचार किया और यहां के नवजवान उन स्थानों पर अपनी रोजी-रोटी की तलाश में गये और यही नहीं मान्यवर, दूसरी ओर मैंने अपने सांस्कृतिक धरोहर की जो बात पहले कही थी कि यहां पर भगवान गौतम बुद्ध और भगवान रामचन्द्र जी यहां जन्मे, लेकिन हम आर्थिक दृष्टि से निरन्तर पिछड़ते गये, पिछड़ने के कारण यह नहीं थे, जो डा0 साहब ने बयान किये . . . . (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, हमारे माता प्रसाद पाण्डेय जी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे राणा जी बहुत उतावले हो रहे हैं। जबकि बरेली और आगरा में 2-2 ऐसे स्थान इनके ही प्रदेश में हैं, जो हमारे प्रदेश में नहीं हैं, एक भी नहीं है. . . . . (व्यवधान और हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

इसके लिए आपको अलग से संकल्प लाना पड़ेगा (जोरदार हंसी)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जहां इन लोगों को भेजना चाहिए वहां तो आप इन्हें भेजते नहीं, यहां बैठा रखा है।

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे पिछड़ने का कारण वह नहीं है, जो डाक्टर साहब समझ रहे हैं, दिल्ली हमेशा से सत्ता का केन्द्र रहा है, चाहे वह मुगल खानदान का राज्य रहा हो और चाहे कोई दूसरा कार्यकाल, ज्यादातर दिल्ली ही केन्द्र रहा है, इसी कारण दिल्ली के इर्द-गिर्द के जो जिले हैं, हमेशा से उनको वहां का पूरा-पूरा लाभ मिला है, इस सच्चाई से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है, आज भी बहुत सी नहरें जो पश्चिम में हैं, मुगल काल की बताई जाती हैं तो इस प्रकर से जो विकास की गति वहां मिली है आपको, उसकी तुलना क्या आप पूर्वी उ0 प्र0 से करेंगे इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी तरफ के लोगों की पर कैपिटा इनकम यदि आप देखना चाहते हैं तो जो एक्सपेंडीचर आप दूसरों को देते हैं, वह हमें भी दे दीजिये, और उद्योग के सम्बन्ध में उसी नीति से देखिए और नेशनल हाई वे आदि यहां भी दे दीजिये, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं अभी कुछ दिन पूर्व मेरठ मंडल में गया था (व्यवधान) अभी जैसा कि एक मा0 सदस्य कह रहे थे कि पूर्वी उ0 प्र0 सबसे ज्यादा दैवी आपदाओं का शिकार रहता है और यह सही है सबसे ज्यादा बाढ़ पूर्वी उ0 प्र0 में ही आती है और जो धन इसके लिए या विकास कार्यों के लिए आवंटित किया जाता है, चाहे वह पांचवी पंचवर्षीय योजना हो, या छठी पचवर्षीय योजना हो, उस विकास के नाम पर या राहत के नाम पर पूरा-पूरा धन खर्च नहीं किया जाता है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ के नाम पर 1 अरब, 30 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था, इस पर इतना भी उस समय नहीं खर्च किया गया कि उस आंकड़े का जो पहला अंक था, उसके बराबर भी नहीं खर्च किया गया । दूसरी बात मैं डा0 साहब को बताना चाहूंगा कि आप यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश को जाएं जहां भगवान गौतमबुद्ध का जन्म स्थान है, जहां बराबर विदेशी यात्री आते हैं और जब कभी भी पर्यटक वहां आयेगा तो इसका लाभ तो पूरे प्रदेश को मिलेगा न कि सिर्फ पूर्वी उ0 प्र0, लेकिन इन स्थानों के विकास के लिए आप क्या दे रहे हैं, हां कुछ थोड़ा सा बनारस को आप दे देते हैं, तो इसके लिए राणा जी क्यों चिढ़ते हैं । इसी प्रकार से हम अपने यहां बस्ती जिले के उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा कि 28 से 32 तक जो मिलें हैं वह आज की एक भी नहीं हैं सब की सब पुरानी है, हां देवरिया और गोरखपुर को छोड़कर और सुल्तानपुर को छोड़कर और किसी जिले में उद्योग नहीं लगाये गये हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इसलिये मैं इस विकास परिषद् की मांग करता हूं और जिससे वह अपने स्तर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे और उसके विकास के लिये धनराशि अलग से आवंटित करे । अब मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, बस्ती जिले में 7 हजार रेवेन्यू विलेज हैं और 15000 की आबादी वाले 100 गांव हैं, लेकिन यहां पर यह गांव सड़कों से अभी तक नहीं जुड़ पाये हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी गांव इतनी आबादी वाले सड़कों से जुड़ गये हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य ने जो पूर्वांचल विकास परिषद् की मांग की है, उसके पहले मैंने सरकार से पूर्वान्चल विकास आद्योगिक विकास निगम और पूर्वान्चल विकास निगम की मांग की है और सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है। मैं इस संबंध में इसकी उपयोगिता के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आजादी दिलाने का गौरव बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया और गोरखपुर जिलों को विशेष है। ये जिले आजादी की लड़ाई में आगे थे लेकिन फायदा उठाने में सबसे पीछे हैं। अंग्रेजों ने सोचा था कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले इन जिलों को पीछे कर दिया जाये जिससे यह आजादी की लड़ाई न लड़ सकें और किसी आन्दोलन में सहयोग न कर सके। इसीलिये पूर्वान्चल के जिलों में कोई भी विकास का काम उस समय में नहीं हुआ है, उद्योग धन्धे नहीं लगाये गये, बड़ी लाइन नहीं बनायी गयी। इसीलिये पूर्वान्चल विकास परिषद् की आवश्यकता है और वहां के विकास के लिये धन भारत सरकार से मिले और उपयोग विकास के लिये हो।

सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं, 1975-76 से शारदा सहायक परियोजना नहर की खुदाई हो रही है, इसको 1982 तक पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन पैसे की कमी के कारण आज तक यह पूरी नहीं हुई है, केवल 5 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस रुपये के न होने से यह काम पूरा नहीं हो पा रहा है। लोगों की कृषि के सिंचाई का कार्य नहीं हो रहा है इसलिये लोग दिक्कत में हैं। मुख्य मंत्री जी ने 50 नलकूप विश्व बैंक के रसड़ा और रतनपुरा ब्लाक में देने के लिये कहा है, लेकिन उनका कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसको शीघ्र शुरू किया जाये। अगर शारदा सहायक के लिये पैसा मिलता है, तो तत्काल सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिये आप से प्रार्थना है कि आप वहां बलिया में प्लास्टिक उद्योग और छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था करावें जिससे यह क्षेत्र विकसित हो सके।

मेरा एक और निवेदन है कि बड़ी लाइन वाराणसी से भटनी तक बनायी जा रही है, तो इंदारा से बलिया भी बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाये, तो लोगों को सुविधा होगी। बिलथरा रोड में एक पावर हाउस की आवश्यकता है, उसको बनाया जाये। मान्यवर यहां पर इतनी गरीबी है और कोई उद्योग न होने के कारण यहां के मजदूर पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार को चले जाते हैं और वहां पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर थोड़ा समय और दे दीजिये। बलिया में ददरी मेला जो प्रत्येक पूर्णिमा को लगता है और जिसमें 10 लाख आदमी आते हैं और यह मेला एक महीने तक रहता है। इसमें 7-8 लाख पशु भी आते हैं। यहां पर सुरहा ताल बहुत बड़ा ताल है, सोनाडीह में भगेश्वरी जी का विशाल मन्दिर है और यहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है, लखनेश्वरडीह में विष्णु जी की मूर्ति निकली है, और तुर्क गड़वा में आदि काल के देवी देवताओं की मूर्तियां निकली हैं, खैरा घाट बिलथरा रोड में पाषाण युग के पत्थर की मूर्तियां निकली हैं, इसलिये मैं सरकार से

आग्रह करता हूं कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जावे । एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बलिया के गढ़वार में इन्दिरा जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शिलान्यास किया था वहां पर 300 एकड़ जमीन उपलब्ध है वहां पर औद्योगिक विकास निगम और पूर्वान्चल विकास परिषद् की स्थापना की जा सकती है तथा रसड़ा तहसील मुख्यालय पर राजकीय बालिका हाईस्कूल को इण्टर कालेज तक उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाय । मेरे उक्त सभी सुझावों एवं मांगों को शीघ्र पूरा कराया जाय ।

(श्री फूलचन्द के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

और भी संकल्प आयेंगे, उन पर बोल लीजियेगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय शाही जी ने पूर्वांचल के विकास के प्रश्न को लेकर एक गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शाही जी ने और अन्य पूर्वांचल के माननीय सदस्यों ने दो बातें कहीं जिनकी वजह से हम लोगों को तकलीफ हुई।एक बात तो उन्होंने यह कही कि पूर्व के लोग गरीब हैं और पश्चिम के लोग समृद्धिशाली हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय शाही जी और सरकार से कि पिछले बजट में टी0 एन0 बी0 की योजना प्रदेश के 16 जनपदों में लागू की गई थी । इस योजना में पश्चिम का एक भी जिला नहीं लिया गया । इसमें करोड़ों रुपया लगाया गया । सड़कों के विकास के लिए विश्व बैंक से जो रुपया आया कि वह पिछड़े इलाकों में खर्च किया जायेगा वह सारा पैसा यानी 640 करोड़ रुपया पूर्वी उत्तर प्रदेश में गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई । सिंचाई के मामले में आंकड़े नहीं देना चाहता हूं कि कहां नहर और नलकूप ज्यादा हैं ।

विश्व बैंक कि दो योजनायें एक प्रथम चरण की योजना और दूसरी दूसरे चरण की योजना-थीं इन दोनों योजनाओं में एक-एक हजार नलकूप लगाने की बात थी। यह दोनों योजनायें पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाई गईं। एक भी योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं आयी । एक तीसरी योजना थी इंडो डच बाई-लैटरल योजना थी जिसके अंतर्गत 1 हजार नलकूप लगने थे । ये सारे के सारे नलकूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाये गये पश्चिम के एक भी जिले में कोई नलकूप नहीं दिया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्थिति है इससे पूर्व और पश्चिम के आधार पर बिभाजन किया जा रहा है । आप फैजाबाद मंडल में 5 साल का रिकार्ड उठाकर देख लें 1350 करोड़ रुपया अमेठी में पिछले 5 वर्षों में खर्च किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा को देखते हुये हमारे पूर्वांचल के भाइयों को अब यह महसूस करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के दो भाग कर दिये जांय-एक पश्चिम और एक पूर्व : . . . (व्यवधान) । मान्यवर जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट पर आगरा में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित की जांय । मान्यवर, पूर्व के लिए इलाहाबाद और मध्य उत्तर प्रदेश के लिये लखनऊ में हाई कोर्ट की एक बैंच मौजूद है किन्तु पश्चिम में नहीं है । इसलिए अब इसकी वहां पर आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । और भी संकल्प हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

पश्चिम में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का मसला बहुत पहले से लम्बित है । इसलिए अब वहां पर यह आवश्यक हो गया है । (व्यवधान) कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित हो और प्रदेश का जनहित में विभाजन हो ।

श्री अधिष्ठाता–

और संकल्प अभी हैं, उन पर बोल लीजियेगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं दो-एक सुझाव देना चाहता हूं । अभी माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा कि प्रदेश को दो भागों में बांट दिया जाय । आपकी इच्छा हो तो इसको चार भागों में बांट दीजिये लेकिन बांटने के बाद आगरा को राजधानी न बनायें वरना पश्चिम का बंटाधार हो जायेगा । मेरठ में बना सकते हैं । . . .

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा कि आगरा और बरेली में दो बड़े उद्योग हैं । उनमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ही कब्जा किये हुये हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरे लायक दोस्त डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल ने कहा कि पूर्व और पश्चिम के विकास का हिसाब लगा दिया जाय। सन् 47 के पहले की बात छोड़ दी जाय क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में वहां का ज्यादा विकास हुआ है। अंग्रेजों के राज्य में पश्चिम का ज्यादा विकास हुआ और पूर्व की उपेक्षा हुई । यह इस बात का चोर इनके मन में छिपा हुआ है। हम तो कहते हैं कि हमारे 57 जिले हैं और कौन जिला किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है उसका मूल्यांकन होना चाहिए और जो जिला जिस क्षेत्र में पिछड़ा है उसको आगे ले जाने के लिए नियोजित ढंग से काम होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाही जी संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं संक्षेप में कहूंगा । मैंने संकल्प को रखते समय ही यह अनुरोध किया था कि क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन और जनसंख्या के घनत्व को देखते हुये जो पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है और उसी का दु:परिणाम आज सामने आ रहा है जिसे रोकने के लिये यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है । जिन माननीय सदस्यों ने खासकर माननीय हरीश जी, माननीय धनराज जी, माननीय सदस्य अलीगढ़, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने इस संकल्प के औचित्य को देखते हुए इसका समर्थन किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं माननीय हरदेव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने

उधर बैठने के बावजूद इमानदारी के साथ पूर्वांचल के पिछड़ेपन को स्वीकार किया और इसकी आवश्यकता पर बल दिया । मैं उन साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने इसके विरोध में और अपने पक्ष में बातें रखी । मैं उनसे सहमत हूं कि उनके यहां भी जिस तरह से समन्वित विकास होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है । राजनीतिक पक्षपातपूर्ण नीतियों के अंतर्गत वहां के कुछ जिले पीछे रह गये जिसका दर्द उनको होना चाहिए । लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे के घावों को अनदेखी कर दी जाय उसका इलाज न किया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक विषमतायें और क्षेत्रीय असंतुलन लोगों में असंतोष पैदा करती है । इसी कारण आज देश में क्षेत्रीय दल क्षेत्रीयता की भावना पैदा कर रही है ।

मैंने संकल्प रखते हुये कहा था कि पूर्वी अंचल की आजादी की लड़ाई में अपनी एक कहानी है, उनका अपना एक जुझारुपन रहा है, वह सदैव आजादी की लड़ाई में संघर्षशील रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

शाही जी उत्तर भाषण में जो बातें छूट गयी हैं उन्हीं को कहें । जो बातें कहीं जा चुकी हैं उनको रिपीट करने का समय नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं । मैं पश्चिमी जिलों के साथियों को बताना चाहता हूं कि 1857 की आजादी की लड़ाई में मेरठ में जो शंखनाथ फूंका गया था उसको फूंकने वाले बलिया के ही मंगल पाण्डे थे । पूरब हमेशा से पश्चिम का पथ प्रदर्शक रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ही राज्य सभा के सदस्य जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ने कहा है । उन्होंने राज्यसभा डिबेट में कहा जिसका उल्लेख बाद में करूंगा, कहा कि इस क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के इतिहास के आंकड़ों को देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के डेढ़ शताब्दी पहले ऐसे समस्त पूर्वी क्षेत्र में करों की दरें ऊंची थीं और प्रति व्यक्ति एवं प्रति हेक्टेयर देश के अन्य भागों से पूर्वी क्षेत्र करों की दरें अधिक थीं जिससे स्पष्ट होता है कि पश्चिम का साम्राज्य पूर्व में रहा है । सत्ता का केन्द्र आगरा और फतेहपुर सीकरी रहा है । देश के अन्य इलाकों से पूर्व से अधिक करों की वसूली कर पूर्व का शोषण करते रहे हैं और आज भी कहना चाहता हूं कि इस भेदभाव को समाप्त किया जाये और विकास की वहां एक नई दिशा चलाई जाये, तो इससे इनको तकलीफ होती है जबकि यह काम आजादी के 40 वर्षों बाद भी नहीं हुआ है, इसलिये उसको पूरा किया जाये ।

मान्यवर, डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल ने कहा कि मंडलीय निगमों से क्या लाभ होंगें । मैं आपका ध्यान पर्वतीय अंचल की तरफ ले जाना चाहता हूं, वहां विगत 7-8 वर्षों में जो प्रगति हुई, दावे के साथ कहा जा सकता है कि पहाड़ के 85 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, और गांवों को जोड़ने का निरन्तर काम तेजी से हुआ है, दावे के साथ कहा जा सकता है कि स्कूलों की तादाद बढ़ी है, यह सब मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् की अलग से स्थापना की गयी, उसके लिए

अलग से धन नियोजित करने की व्यवस्था की गयी, छोटे से समूह और इकाईयों में तहसीलें हैं, पूंजी का प्रबंध कैसे हो, दवाईयों की क्या व्यवस्था हो और कल कारखाने एवं योजनाओं के आधार पर यह सब हुआ । वहां का उल्लेखनीय विकास हुआ, इसलिये पूर्वांचल विकास परिषद् की मांग की गयी है जिससे उधर के बैठने वालों को तकलीफ होती है तो वह नहीं होनी चाहिए ।

मान्यवर, आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़ी रेलवे लाइन नहीं है । भटनी-वाराणसी बड़ी रेलवे लाईन की 40 वर्षों से मांग की जाती रही है लेकिन आज भी उसकी उपेक्षा की गयी है । उसका निर्माण खटाई में पड़ा है । पूर्वान्चल के विकास के लिये भटनी-वाराणसी रेल लाइन का अविलम्ब निर्माण कराये । आपके प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरागांधी ने देवरिया जनपद को बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से बचाने के लिये छितौनी-बगहा पुल का 1972 में शिलान्यास किया था लेकिन 16 वर्षों बाद भी इस पुल का कार्य नहीं हो पाया है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का एक अपना दर्द है । श्री हरीश जी का कथन सही है कि हिन्दुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं भी चले जायं तो मजदूर और कुली एवं रिक्शा पुलर के रूप में बोरे ढोने का काम पूर्वान्चल का आदमी करता हुआ मिल जायेगा। सिंगापुर और अरब देशों में वह क्यों जाता है, मेरठ में क्यों जाता है, पंजाब में क्यों जाता है क्योंकि पूर्वान्चल में उद्योग नहीं हैं, इसलिये जहां उनको काम मिल सके वहां वे जाते हैं । वहां काम के अवसर नहीं है । काम की तलाश में युवक मारा-मारा फिर रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इसलिए इन आवश्यकताओं को देखते हुए, जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए, आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए, वहां विकास के कार्य जो ठप हो गये हैं उनको देखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू जो इस देश के प्रधान मंत्री थे, ने पटेल कमीशन का गठन किया था और उस आयोग ने सरकार को अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी । लेकिन उस आयोग की संस्तुतियां आज भी रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई हैं, उन पर कोई भी विचार नहीं किया गया है । आप उस कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, समन्वित विकास के लिए पूर्वान्चल विकास परिषद् बनाने की कृपा करें । इससे आप पूर्वान्चल के सबसे पिछड़े और अशिक्षित और गरीब साढ़े चार करोड़ जनता के हितों की रक्षा कर सकेंगे । मुझे विश्वास है कि यह सदन उसको अवश्य स्वीकार करेगा और आपके निर्देशानुसार मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

जब मैंने अपना संशोधन इस संकल्प पर रखा था, तो कुछ आंकड़े दिये थे, जिनको अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा । जब शाही जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति का वर्णन किया और उसके आंकड़े रखे, तो मैंने उस समय भी कहा था कि पूर्वी उत्तर

प्रदेश की स्थिति का वर्णन किया और उसके आंकड़े रखे, तो मैंने उस समय भी कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को पिछड़ा मानते हैं तो रुहेलखण्ड को भी सर्वाधिक पिछड़ा मानना होगा । हमारा वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है । अभी जब बहस हो रही थी, तो एक सदस्य ने उसमें कहा कि जहां के लोग काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं आगे बढ़ते हैं, परन्तु सरकार को और नियोजन की प्रक्रिया को इस सिद्धान्त को मानकर चलना है तो फिर नियोजन प्रक्रिया की और सरकार की आवश्यकता ही नहीं है । तो सरकार ने जो उपाय अपनाए हैं पिछड़ेपन का दूर करने के लिए पिछड़े इलाके को ज्यादा धन देने की आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता न हो । इससे अलग हटकर तमाम कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से कुछ इलाके पिछड़ जाते हैं और कुछ विशेष आगे बढ़ जाते हैं ।

हमने कई बार कहा था नेशनल कैपिटल रीजन बनाने की बात को, तो इसका लाभ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को होगा । वहां पर केन्द्र से पैसा मिलेगा पर रुहेलखण्ट फिर छूट जायेगा। मैंने तब भी यह बात कही थी कि जब आप रुहेलखण्ड पर निगाह डालेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे गिनेंगे और जब आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी पिछड़ा हुआ है । जब सरकार कहेगी तो वह कह देगी कि वहां पर खाद के कारखाने लग रहे हैं, जहां पर बम्बई से गैस आएगी । वास्तव में इससे भी वहां के लोगों को रोजगार या तरक्की नहीं मिलेगी । दूसरे दूसरे प्रदेशों के कर्मचारी और इंजीनियर वगैरह काम करने आएंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे उस क्षेत्र का किस तरह से विकास सम्भव होगा । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था और पुनः दोहराना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जवाब आए तो इस बात का जवाब आना चाहिए कि सन् 47 की आजादी के बाद पूरे प्रदेश में बड़ी सिंचाई योजनाएं बनीं–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कार्य हो रहा है, वहां पर विश्व बैंक की सहायता से गंगा नहर का आधुनिकीकरण हो रहा है । पर हमारे रूहेलखण्ड में एक भी वृहद सिंचाई योजना कार्यान्वित हुई हो तो हमें बता दी जाए कि वह हुई है और उसके होने से वहां पर सिंचाई के साधन बढ़ गये हैं ।

शिक्षा मंत्री जी ने एक अवसर पर सदन में ही यह भी स्वीकार किया है कि बरेली जिले में प्रति इण्टर कालेज, प्रति हाईस्कूल और प्रति डिग्री कालेजों में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, अर्थात् वहां पर शिक्षा के सबसे कम साधन उपलब्ध हैं। हमें क्षेत्रीयता की भावना को नहीं जगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह स्वीकार करे कि 40 साल की नियोजित प्रक्रिया में वहां का विकास नहीं हुआ है और क्षेत्रीय असन्तुलन बराबर बढ़ता चला गया है । अतः सरकार हमें आश्वासन दे, ठोस उपाय हमारे सामने रखे जिससे यह क्षेत्र विकास के मामले में दूसरे जिलों के बराबर आ जाएगा । नहीं तो मान्यवर मेरा विनम्र अनुरोध है कि शाही जी का प्रस्ताव, मेरा संशोधन स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

बाद में हम संकल्प लायेंगे कि इसको समाप्त कर दिया जाए ।

*वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर जो प्रस्ताव शाही जी ने रखा और उससे संबंधित अपनी बात के समर्थन के लिए आंकड़े दिए । यह सही है कि प्रदेश का कोई न कोई जिला आगे है और किसी न किसी चीज में वह पीछे भी है, तो इन्होंने जो आंकड़े रखे उसमें इनका क्षेत्र जिस चीज में पीछे है उसको रखा, जैसा कि डाक्टर कौशल ने कहा था कि वकील कोई वकालत करता है तो अपने मुवक्किल के फेवरेबुल प्वाइंट रखता है । लेकिन कुछ सैद्धांतिक बातें उन्होंने उठाई, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कुछ सैद्धांतिक बातों के बारे में कहा । वहीं से मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं । पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से जब प्रदेश का विकास किया जा रहा था, तृतीय पंच वर्षीय योजना के मध्य यह महसूस किया गया कि प्रदेश का तुलनात्मक विकास तो कर दिया लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए सारे क्षेत्रों को विभाजित किया जाना चाहिए । पांच क्षेत्रों में इसका विभाजन किया जाएगा, पश्चिम पहाड़, पुर्वान्चल क्षेत्र, मध्य पश्चिम, बुन्देलखण्ड । विकास के विभिन्न आंकड़ों के बारे में कहा गया, उसका परिव्यय जो था वह भी इसी हिसाब से किया गया । तिवारी जी ने उस परिव्यय को पूछा और शाही जी ने उस दिन पंचवर्षीय योजना को और इस वर्ष का आउट को बताते हुए कुछ प्रदेशों का उदाहरण दिया, हिमांचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, मेघालय, हरियाणा आदि के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि इनका योजनागत परिव्यय का आउट ले उत्तर प्रदेश से ज्यादा है जो इन्होंने प्रदेशों का नाम लिया, हरियाणा को छोड़कर सारे के सारे प्रदेश सेन्ट्रल सब्सिडी पर रहे हैं । सब सेन्ट्रल एडेड हैं । उन्हें पंच वर्षीय योजनाओं के आधार पर किसी परिव्यय की आवश्यकता नहीं होती है जबकि अन्य प्रदेशों को पंचवर्षीय योजना के लिए और वार्षिक योजना के लिए धन आवंटन किया जाता है जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं ।

इस वर्ष जो 1988-89 है उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान में सर्वाधिक आवंटन किया गया है । अगर उसका प्रति व्यक्ति आउट ले देखें तो उत्तर प्रदेश का 163 रुपया योजना परिव्यय है, वहीं पश्चिम बंगाल का 127 रुपया है । राजस्थान का 132 रुपया है । केरल का 130 रुपया है । पहाड़ का 146 रुपया है । जहां कुछ प्रदेश बेहतर पोजीशन में हैं वहीं कुछ प्रदेशों में कमी भी आई है । तमिलनाडु का 217 रुपया है । पंजाब का 207 रुपया है । उड़ीसा का 206 रुपया है तो यह सारा का सारा रुपया रिसोर्सेज के हिसाब से है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, तिवारी जी ने एक बात उठायी कि केन्द्रीय योजना आयोग से जिस फारमूले के तहत हमको पैसा आवंटित किया जाता है उस फारमूले के तहत यहां से क्षेत्रों को नहीं दिया जाता है । श्रीमन्, केन्द्रीय योजना आयोग, गाडगिल फारमूले के अनुसार 60 प्रतिशत राशि आबादी के हिसाब से दी जाती है । 10 प्रतिशत जहां की कठिन परिस्थितियां होती है जैसे राजस्थान तो उसके लिये दिया जाता है । 10 प्रतिशत अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेज और दूसरी चीजें देखकर दिया जाता है । इसी आधार पर प्रदेश में भी इसका आवंटन किया जाता है । 50 प्रतिशत धन का आवंटन आबादी के हिसाब से किया जाता है । 5 फरसेंट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हिसाब से किया जाता है। सीमांत कृषक और भूमिहीन मजदूरों की संख्या पर 10 प्रतिशत, कृषि, सड़कें विद्युतीकृत ग्राम, अस्पताल और शैय्यायें, पेयजल योजना, भौगोलिक क्षेत्रफल, इफेक्टिव फारेस्ट कवरेज आदि पर 5-5 प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है । तो यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय योजना आयोग जो धनराशि आवंटित करता है उसमें हम कोई तब्दीली करते हैं ।

डिस्ट्रिक्ट प्लान को देखें तो डिस्ट्रिक्ट प्लान में परकैपिटा इनकम के हिसाब से जो खर्च है वह वेस्टर्न रीजन 35 रुपये, सेन्ट्रल रीजन में 42 रुपये और इस्टर्न रीजन में 45 रुपये हैं । तो इसके ज्यादा होने का कारण वहां की आबादी का ज्यादा होना तथा हरिजन लोगों की आबादी ज्यादा होना, अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेज की संख्या का ज्यादा होना है । तो यह कहना कि उनके साथ धनराशि के बंटवारे में कोई भेदभाव किया जा रहा है यह सही नहीं है । अभी माननीय सदस्य कौशल जी एक बात कह रहे थे । औद्योगिक दृष्टि से देखें तो श्रीमन्, चूंकि वहां पर आबादी थी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर ज्यादा थे इसलिये वहां पर भारी उद्योग भी लगाये गये हैं चाहे वह गोरखपुर का फर्टीलाइजर का कारखाना हो, चाहे बनारस का लोकोमोटिव कारखाना हो या इलाहाबाद का टेलीफोन कारखाना हो या हैवी कंप्रेशर मशीन्स का कारखाना हो या प्रतापगढ़ का आटो ट्रेक्टर का कारखाना हो या सुल्तानपुर या जगदीशपुर या दूसरी जगहों पर जो नये उद्योग लगाये जा रहे हैं जैसे टेलीफोन का कारखाना गाजीपुर यह सारे के सारे उद्योग उस क्षेत्र में केवल इसलिये लगाये गये हैं जिससे उस एरिया के लोगों को रोजगार मिले उस एरिया में इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बन सके और बड़े-बड़े उद्योगों की एनसीलेरी वहां बन सकें ।

इसी तरह से एलसीसलेरी प्रोजेक्ट सुल्तानपुर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, सुल्तानपुर टेलीफोन इंडस्ट्री, मनकापुर गोण्डा, डीजल लोकोमोटिव बनारस, स्टील अथारिटी आफ इंडिया, गाजीपुर में इसी के साथ गैस पर आधारित एक कारखाना जगदीशपुर में लगाया जा रहा है तो सारे काम पूर्वान्चल की बढ़ती हुयी आबादी को रोजगार देने की दृष्टि से किये जा रहे हैं । श्रीमन्, भदोही में कालीन उद्योग और बनारस के साड़ी उद्योग को आप देखें, आजमगढ़ के हैण्डलूम और टेरीकाट के कपड़े का जो काम है उसको आप देखें तो यह सारे के सारे इस तरह के काम हैं, काटेज इंडस्ट्री के रूप जिसमें पूंजी लगायी जा रही है तो इनसे समाज के जो कमजोर वर्गों के लोग हैं वह इनमें अपनी रोजी कमा रहे हैं ।

अब कृषि के क्षेत्र को देखिए, कृषि के क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र से सिंचाई के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन बुन्देलखण्ड और दूसरी एरियाज से बहुत अच्छी स्थिति है । लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर विकास के लिए इनकी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि उनका पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ सकता है । इसके लिए (1) प्रशिक्षण एवं भ्रमण पद्धति (2) चावल उत्पादन की विशेष योजना । इन दोनों योजनाओं में पूर्वान्चल के सारे पूरे 15 जिले लिए गए हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि, शिक्षा एवं शोध के लिए गोरखपुर तथा वाराणसी के कृषि विद्यालय कार्य कर रहे हैं ।

राज्य हथकरघा निगम पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर जनपदों में सघन हथकरघा विकास योजनाएं चला रहा । उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम बलिया, आजमगढ़ एवं मिर्जापुर जनपदों में औद्योगिक विकास का कार्य कर रहा है । उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम–बस्ती जनपद में फिनिस्ड लेदर यूनिट स्थापित कर रहा है तथा पिक-अप द्वारा देवरिया में एक पर फ्यूनरल एसिटिक एसिड प्लांट स्थापित किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम, इलाहाबाद में स्वदेशी काटन मिल स्थापित कर रहा है । भदोही में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है । बस्ती जनपद में खलीलाबाद में राज्य सरकार द्वारा एक प्रसेसिंग हाउस स्थापित किया गया है । हथकरघा निगम, वाराणसी में एक सिल्क प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है । चुर्क, डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन के विचाराधीन है । मिर्जापुर की सिंगरौली एरिया में एक मेगावाट की थर्मल यूनिट पूर्ण हो चुकी है। इस तरह से एक हजार फज-II सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायगी । इसी प्रकार अन्य बड़े-बड़े थर्मल प्रोजेक्ट चल रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं क्या करूं, मैं तो मजदूर बना कर पश्चिम में भेज देता हूं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, शिक्षा की बात कही गयी । 19 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 7 पूर्वान्चल में हैं । मान्यवर, आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, पूर्वान्चल के विकास के लिए एकदम से प्रयास किए गए हैं । भाई जयदीप सिंह बरार ने रुहेलखण्ड की बात कही, लेकिन माननीय सदस्य ने अपने ही डिबेट में रुहेलखण्ड को एकदम से नकारा है, चाहे फर्टिलाइजर कंजम्पशन हो या एलेक्ट्रिफाइड विलेजेज, सभी में रुहेलखण्ड की पोजीशन बेहतर है । पूर्वान्चल में 59, 77 प्रतिशत, रुहेलखण्ड में 7·03 प्रतिशत, बुन्देलखण्ड का 47·07 प्रतिशत, हिल्स का 57·28 प्रतिशत । इस तरह से श्रीमन् पक्का रोड पर हन्ड्रेड स्क्वायर किलो मीटर एरिया में 158, 87 किलो मीटर इस्टर्न में है और 194-37 किलोमीटर पक्का रोड रुहेलखण्ड में है। रुहेलखण्ड में 194·37 प्रतिशत तो श्रीमन्, इसी तरह से मैंने फर्टिलाइजर का कहा, फर्टिलाइजर का जो इनका एरिया है उसमें 80·94 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

फर्टिलाइजर पूर्वान्चल में उपयोग होता है और 105.18 रुहेलखण्ड में तो रुहेलखण्ड हर तरीके से पूर्वान्चल और अन्य एरिया से विकसित है। तो वह अपने ही एरिया में अपने ही जोन में यानि पश्चिम में गाजियाबाद या किसी से, किसी मायने में पिछड़ा रह सकता है, हो सकता है हो, लेकिन वहां पर जैसा इन्होंने खुद ही बताया फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं, सरकारी ट्यूबवेल हैं, खांडसारी यूनिट हैं, यह सब इन्होंने खुद अपने भाषण में स्वीकार किया तो कोई न कोई जिला किसी न किसी चीज में आगे पीछे रहेगा ।

आप देखिए कि बुन्देलखण्ड को सब स्वीकार करते हैं कि पीछे है लेकिन साक्षरता के प्रतिशत में झांसी चन्द अच्छे जिलों में है तो इसका मतलब यह है झांसी पूर्णता विकसित एरिया हो गया है तो कुछ न कुछ डिसपैरिटी-पैरिटी रहेगा किन्हीं न किन्हीं जिलों में । मैं नहीं समझता कि विकास परिषद् का गठन हो जाने के बाद वह पैरिटी खत्म हो जायेगी । जैसा इन्होंने खुद माना कि जो क्षेत्र हैं उसके विकास के लिए सरकार अलग से एरिया बना रही है। मान्यवर, वहां पर एक अलग से 100 करोड़ की योजना बनायी जा रही है तो जितना इनवेस्टमेन्ट इनकी एरिया में हो रहा है जिसके कारण मैं नहीं समझता कि इसका कोई औचित्य है। मैं अपने सदस्य जिन्होंने मूल प्रस्ताव रखा है और माननीय बरार साहब जिन्होंने उसमें संशोधन रखा, दोनों से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने इन प्रस्तावों को वापस ले लें, धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बरार साहब, क्या संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, इन्होंने कोई कारण ही नहीं बताया मैंने कहा था कि अगर यह बता देंगे तो संशोधन वापस ले लेंगे लेकिन इन्होंने कोई कारण नहीं बताया ।

श्री अधिष्ठाता–

शाही जी, आप वापिस ले रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कई चीजें जो माननीय मंत्री जी ने कही हैं वह सत्य से परे कही हैं, जो आंकड़े दिये हैं वह भी सही नहीं हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वान्चल किन मामलों में आगे है। कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिससे आप यह साबित कर सकें कि पूर्वान्चल शिक्षा में, एरीगेशन फैसिलिटीज में, बिजली कंजम्पशन में, खाद कंजम्पशन में आगे है । इसलिए पूर्वान्चल विकास परिषद् के गठन करने के संकल्प को वापस लेने का औचित्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि (1) उक्त संकल्प में शब्द "पूर्वी उत्तर प्रदेश" के पश्चात् शब्द "तथा रुहेलखण्ड क्षेत्र" बढ़ा दिये जायं। (2) उक्त संकल्प में शब्द "पूर्वान्चल विकास परिषद्" से पूर्व शब्द "क्रमशः" तथा बाद में शब्द "तथा रुहेलखण्ड विकास परिषद् रख दिए जायं ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा और बेरोजगारी को देखते हुए पूर्वान्चल विकास परिषद् का गठन किया जाय"?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के सम्पूर्ण कार्य-कलापों एवं संपत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के सम्पूर्ण कार्यकलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय।"

श्रीमन्, इस प्रस्ताव को मैंने काफी सोच समझकर प्रस्तुत किया है।

श्री अधिष्ठाता–

आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी चूंकि समय उसका समाप्त हो रहा है।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

सदन को एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 11 अप्रैल, 1988 को अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन का उपवेशन दिनांक 28 अप्रैल, 1988 के स्थान पर दिनांक 2 मई, 1988 को हो और तदनुसार सदन का दिनांक 25 अप्रैल, 1988 से 2 मई, 1988 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :—

अप्रैल, 1988

25 सोमवार — 1–असरकारी विधेयक।

2–प्रदेश में चीनी मिलों में प्रति क्विंटल चीनी के उत्पादन लागत एवं गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन

26 मंगलवार

1—श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा—

"इस सदन की संस्तुति है कि प्रदेश में काश्तकारों के निजी नलकूपों को वर्षाकाल के माहों के बिजली के न्यूनतम चार्ज से मुक्त किया जाय।"

2—श्री लाल प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा—

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों एवं दलों को, जिनसे सामाजिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है, प्रतिबन्धित किया जाय।"

27 बुधवार

1—असरकारी विधेयक।

2—"अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का प्रतिवेदन, 1979" पर एक घण्टे की चर्चा।

28 गुरुवार
29 शुक्रवार
30 शनिवार

बैठक नहीं होगी।

मई, 1988

1 रविवार

बैठक नहीं होगी।

2 सोमवार

1—लम्बित असरकारी संकल्प।

2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

"यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अक्सर पड़ने वाले सूखा और घाघरा, सरयू, गोमती और उनकी सहायक नदियों एवं उनमें मिलने वाले नालों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की विषम स्थिति के स्थायी समाधान हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो गठित होने के 6 माह के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को दे दे।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3—श्री राम सजीवन, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा—

"यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि पर्वतीय क्षेत्र की भांति बुन्देलखण्ड के पांच जिलों—बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर एवं जालौन के विकास हेतु विशेष अनुदान की भारी धनराशि स्वीकृत करके बढ़ रहे क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाये जायं।"

4—प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या पर एक घन्टे की चर्चा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विशेषाधिकार हनन/सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष के निर्णयों की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

एक और सूचना देनी है। मा0 अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में निर्णय ले लिया है :—

(1) श्री कमलेश पाठक द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 31 जुलाई, 1987

(2) श्री मनोहर लाल द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 24 अगस्त, 1987

(3) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 31 अगस्त, 1987

(4) श्री राम आसरे वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 10 फरवरी, 1988 एवं श्री हरिश्चन्द्र द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 1 एवं 12 मार्च, 1988

1988 एवं श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 1 एवं 12 मार्च,

(6) डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री अवनीश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 23 फरवरी, 1988

(7) श्री सरदार सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 26 फरवरी, 1988

(8) श्री मनोहर लाल द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 14 तथा 21 मार्च, 1988 तथा

(9) श्री विश्राम दास द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 24 मार्च, 1988 ।

उपरोक्त सभी सूचनाएं अस्वीकार कर दी गयी हैं। मा0 अध्यक्ष द्वारा दिए गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायगा ।

अब मैं एक निर्णय पढ़े देता हूं।

श्री कमलेश पाठक स0 विधान सभा का श्री पूरन सिंह क्षेत्राधिकारी, औरैया, इटावा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

श्री कमलेश पाठक, सदस्य, विधान सभा ने पुलिस उपाधीक्षक, श्री पूरन सिंह, क्षेत्राधिकारी, औरैया, जिला इटावा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 31 जुलाई, 1987 को अभिसूचित की है। सूचना में यह कहा गया है कि माननीय सदस्य दिनांक 9 जुलाई, 1987 को लोकदल के प्रतिनिधि मंडल के साथ कस्बा इंचार्ज, औरैया, श्री आर0 के0 शुक्ला की एक घूसखोरी के मामले में शिकायत करने क्षेत्राधिकारी पुलिस औरैया, श्री पूरन सिंह से मिलने गये थे और उनसे उक्त थानेदार को दंडित करने की मांग की थी। इस पर उक्त क्षेत्राधिकारी ने माननीय सदस्य के प्रति कुछ अपमानजनक बातें कही। माननीय सदस्य का कहना है कि उनके द्वारा आपत्ति किये जाने पर उक्त क्षेत्राधिकारी ने उत्तेजित होकर उन्हें (श्री पाठक को) धमकी दी। इसी आधार पर माननीय सदस्य ने क्षेत्राधिकारी पुलिस, औरैया के विरुद्ध विशेषाधिकार -हनन की कार्यवाही करने की मांग की है।

प्रश्नगत मामले में माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 15 मार्च, 1988 में कहा है कि इस घटना की जांच करायी गयी। जांच में पुलिस उपाधीक्षक, श्री पूरन सिंह ने यह बताया है कि विधायक जी उप पुलिस निरीक्षक को तत्काल पुलिस लाइन हाजिर कराना चाहते थे, किन्तु ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। पुलिस उपाधीक्षक ने इस बात का खण्डन किया है कि उन्होंने विधायक जी अथवा विधायिका के प्रति कोई अपमानजनक बात कही है। माननीय मंत्री ने कहा है कि जांच आख्या के अनुसार जिस व्यक्ति के यहां चोरी हुई थी, उसका प्राथमिकी में उल्लिखित चोरी का सामान बरामद हो गया है। जांच में यह स्वीकार किया गया है कि पुलिस उपाधीक्षक और विधायक जी के मध्य विवाद हुआ था और श्री पूरन सिंह ने वार्ता के समय यह कहा था कि अपराधिक रिकार्ड के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। माननीय मंत्री के अनुसार बात-चीत के इसी अंश को कदाचित् विधायक श्री पाठक ने अपने लिए अपमानजनक समझा और क्षुब्ध होकर उन्होंने अपना प्रार्थना-पत्र दिया। माननीय मंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि श्री पूरन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक तथा संबंधित उप निरीक्षक, श्री आर0 के0 शुक्ला का औरैया क्षेत्र से स्थानान्तरण किया जा चुका है।

मैंने श्री कमलेश कुमार पाठक की प्रश्नगत सूचना पर गौर किया है। माननीय सदस्य उक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में सदन व उसकी किसी समिति से संबंधित कार्य के प्रसंग में नहीं गये थे। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री की सूचना के अनुसार श्री पूरन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक तथा संबंधित उप निरीक्षक श्री आर0 के0 शुक्ला का औरैया क्षेत्र से स्थानान्तरण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मैं प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री मनोहर लाल सदस्य विधान सभा के गृह मंत्री एवं गृह सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

शेष आठ निर्णय भी सदन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे, (जैसा निर्णय हुआ है) जो इस प्रकार हैं:–

1–[विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 एवं 64 के अन्तर्गत श्री मनोहर लाल, सदस्य, विधान सभा ने माननीय गृह मंत्री एवं गृह सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 24 अगस्त, 1987 को अभिसूचित की है। उक्त सूचना में यह कहा गया है कि द्वितीय सत्र 1987 के पहले सोमवार दिनांक 22 जून, 1987 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर माननीय मंत्री ने दिया है कि दो उपनिरीक्षकों को छोड़कर सभी के स्थानान्तरण के आदेश दिये जा चुके हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि 10 उप निरीक्षकों में से जिन्हें स्थानान्तरण आदेश दिये गये हैं, बहुत तो ऐसे हैं जो अभी भी उसी जनपद में उसी स्थान पर कार्यरत हैं। माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि शासनादेश संख्या 500/आठ-1-86, दिनांक 11 जुलाई, 1986 का आदेश पहले जारी हुआ है फिर भी थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार श्री त्रिभुवन सिंह राठौर गलत तरीके से आदेश कराकर सुल्तानपुर में तैनात हैं, यह माननीय सदन एवं शासनादेश की खुली अवहेलना है।

इस विषय पर माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय गृह मंत्री से प्राप्त जानकारी में यह बताया गया है कि द्वितीय सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री मनोहर लाल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-30 के उत्तर में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार सीमावर्ती जनपद के हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या-पांच -314-87, दिनांक 5 मई, 1987 द्वारा इनका स्थानान्तरण गोरखपुर परिक्षेत्र कर दिया गया है माननीय गृह मंत्री की सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष, शुक्ल बाजार सहित प्रश्नगत सभी उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण सुल्तानपुर जनपद से हो चुका है। माननीय गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि दिये गये उत्तर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जिससे विषेशाधिकार की अवहेलना या सदन की अवमानना का प्रश्न बनता हो।

नोट:–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

श्री मनोहर लाल की प्रश्नगत सूचना एवं माननीय गृह मंत्री से प्राप्त जानकारी का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालता हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । श्री मनोहर लाल सदस्य विधान सभा ने कोई ऐसा साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि माननीय गृह मंत्री ने जो उत्तर दिया था वह गलत था या सदन को गुमराह करने वाला था। इसके अतिरिक्त श्री मनोहर लाल ने जिस प्रश्नोत्तर के संबंध में शिकायत की है वह 22 जून, 1987 का है और प्रश्नगत सूचना 24 अगस्त, 1987 की है । इस प्रकार यह बिलम्बित भी नहीं है । अतः प्रश्नगत सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना की सूचना के रूप में अग्राह्य किया जाता है।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा का महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

2–[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 31 अगस्त, 1987 को विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना अभिसूचित की है। उक्त सूचना के साथ महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के 10 अगस्त, 1987 के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए माननीय सदस्य ने यह कहा है कि दिनांक 10 अगस्त, 1987 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक के लिए डाक द्वारा पत्र 10 अगस्त, 1987 को उनके फैजाबाद के पते पर भेजा गया। माननीय सदस्य ने इसे समिति की और अपनी स्पष्ट अवहेलना मानते हुए प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना के प्रश्न के रूप में विशेषाधिकार समिति को सौंपने की मांग की है।

प्रश्नगत मामले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा चिकित्सा विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। उससे यह ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस0 ए0 टी0 रिजवी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 1987 को शासन के समस्त सचिवों आदि को यह निदेश जारी किये गये थे कि सभी स्थायी समितियों की बैठकें 10-8-87 को बुला ली जायं । दिनांक 9 अगस्त, 1987 को रविवार होने के कारण उक्त पत्र स्वास्थ्य सचिव के यहां 10 अगस्त, 1987 को प्राप्त बतलाया गया है और स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक श्री आर0 पी0 सक्सेना द्वारा उसी दिन बैठक में भाग लेने हेतु पत्र समिति के सदस्यों को प्रेषित कर दिये गये । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को उक्त बैठक की सूचना उन्हें साधारण डाक द्वारा उनके फैजाबाद के पते पर भेजी गयी।

विशेषाधिकार हनन का प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जब सदन के सदस्य के रूप में अथवा सदन की किसी समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य में कोई

नोटः–[ ]यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

अवरोध उत्पन्न किया जाय। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य स्थायी समिति की किसी बैठक की सूचना उक्त बैठक की तिथि को ही जारी करने से किसी माननीय सदस्य के ऐसे कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की गयी है, क्योंकि मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियां सदन की समितियां नहीं हैं। अतः विशेषाधिकार-हनन की प्रश्नगत सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।

फिर भी यह कहना उचित होगा कि किसी माननीय मंत्री के सभापतित्व में कार्य करने वाली स्थायी समिति की बैठक बुलाने हेतु समुचित समय का अन्तराल आवश्यक है। अतएव ऐसे स्थायी समिति की बैठक की सूचना उसके प्रत्येक सदस्य को समय से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन के संबंधित अधिकारियों द्वारा पूरी सतर्कता बरती जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो सके।]

श्री राम आसरे वर्मा स0 वि0 सभा का संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

3–[श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 10 फरवरी, 1988 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। इसी विषय पर श्री हरिशचन्द्र हरीश जी, सदस्य, विधान सभा ने भी दिनांक 1 एवं 12 मार्च, 1988 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचनाएं दी हैं। उक्त सूचनाओं में कहा गया है कि शासकीय सचिवालय के सेवकों की भांति वेतन एवं भत्तों संबंधी सुविधा, जो शासनादेश दिनांक 6 अक्टूबर, 1987 तथा 16 नवम्बर, 1987 द्वारा दी गयी है, विधान सभा सचिवालय के सेवकों को दिये जाने संबंधी औचित्य के प्रश्न पर निर्णय देते हुए माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया गया था कि "यह पक्षपात और भेदभाव नहीं होना चाहिए। सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में जो रिपोर्ट है उसी के अनुसार विधान सभा सचिवालय को भी सुविधा मिलनी चाहिए" और उक्त निर्देश पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, डा0 अम्मार रिजवी ने कहा था कि "मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।" माननीय सदस्यों का कहना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में शिरोधार्य की गयी आज्ञा के संबंध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा सदन में दिये गये निर्देशों की अवहेलना और सदन की अवमानना हुई है।

चूंकि वेतन सम्बन्धी विसंगतियों के प्रश्नगत मामले में अब शासन द्वारा आवश्यक निर्णय ले लिया गया है और यथोचित आदेश दिनांक 29 मार्च, 1988 को जारी किये जा चुके हैं, अतः प्रश्नगत मामले में निर्देशों का अनुपालन करने की कार्यवाही माननीय मंत्री द्वारा करा दी गयी है। फलस्वरूप श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्नगत मामले में अब कोई बल नहीं है और इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है।]

नोटः–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

कु0 कृष्णा रावत, सदस्या, वि0 सभा का बन्थरा (लखनऊ) थाने के थानाध्यक्ष आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

4–[कु0 कृष्णा रावत, सदस्या, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत बन्थरा थाने के थानाध्यक्ष एवं सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 22 फरवरी, 1988 को अभिसूचित की है। उक्त सूचना में कहा गया है कि 13 फरवरी, 1988 को जब वे शाम 8-00 बजे कांग्रेस रैली की तैयारी के सिलसिले में देखरेख करने के लिये लाला राम स्वरूप इन्टर कालेज पहुंची तो उक्त दोनों पुलिस कर्मी, जो सादी वर्दी में थे, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दे रहे थे। इस पर माननीय सदस्या ने आपत्ति की और कहा कि ऐसे पुलिस कर्मियों को तो निलम्बित कर दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्या ने यह भी कहा है कि उक्त घटना के उपरान्त दिनांक 14 फरवरी, 1988 को पुलिस को एक मुखबिर चरित्रहीन महिला के जरिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है तथा थानाध्यक्ष, बन्थरा तथा सब इन्सपेक्टर द्वारा यह कहा गया है कि "विधायक होना अलग है, पुलिस अभी उन्हें पाठ पढ़ायेगी।" माननीय सदस्या ने इसे आपत्तिजनक एवं अपमानपूर्ण बताते हुए उक्त अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है।

माननीय सदस्या की उक्त सूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त घटना के दिन कांग्रेस रैली के संबंध में लाला राम स्वरूप इंटर कालेज गयी थीं, जो उनके विधायक की हैसियत से किसी विधायी अथवा सदन के कृत्य से संबंधित नहीं था। जहां तक उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने का प्रश्न है, आपराधिक मामलों में किसी सदस्य को कोई उन्मुक्ति या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार हनन के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।]

डा0 दिनेश जौहरी एवं श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्यगण का सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

5–[डा0 दिनेश जौहरी एवं श्री अवनीश कुमार सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री, श्री भोला शंकर मौर्य के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 23-2-88 को दी है। इसमें कहा गया है कि गत दिनों उक्त राज्य मंत्री द्वारा बदायूं में अपनी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर को लात घूसों से पिटाई किये जाने के फलस्वरूप उनके उक्त आचरण से सदन की गरिमा गिरी है और उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है।

प्रश्नगत सूचना में जिस घटना का उल्लेख किया गया है, उसकी निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है और कथित घटना से सदन अथवा उसके सदस्यों के किसी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त उक्त सूचना में राज्य मंत्री, श्री भोला शंकर मौर्य द्वारा सदन के लिए किसी अपमानजनक शब्द के प्रयोग की शिकायत भी नहीं की गयी है। अतः इस मामले को विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।]

नोट:–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

श्री सरदार सिंह स0 वि0 सभा का लखनऊ स्टेशन के रेलकर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

6–[श्री सरदार सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन की एक सूचना दिनांक 26 फरवरी, 1988 को दी है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 25 फरवरी, 1988 को सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास यादव तथा राकेश धर त्रिपाठी जब विधायी कार्य से इलाहाबाद जा रहे थे तो सायंकाल चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ पर रेल कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और यह कहा कि उनकी जेब में बीसियों विधायक रहते हैं। शिकायत के अनुसार परिचय-पत्र दिखाने व अपने प्रमाणित हस्ताक्षर दिखाने पर भी बुकिंग क्लर्क द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया और बुकिंग क्लर्क ने रेल कर्मियों को बुलाकर उक्त सदस्यों व सदन के खिलाफ भद्दे नारे लगवाये और उनके साथ हाथापाई भी की। माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए।]

उपर्युक्त सूचना को गौर से पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त सूचना में निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला गया है:–

(क) जिन सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिनके खिलाफ नारे लगवाये गये बताये गये हैं, उन सदस्यों ने विशेषाधिकार-हनन की कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) श्री सरदार सिंह ने प्रश्नगत सूचना में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि घटना की तिथि को वह घटनास्थल पर उपस्थित थे।

(ग) श्री सरदार सिंह ने लिखा है कि दिनांक 25 फरवरी, 1988 को सायंकाल चारबाग स्टेशन पर माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कुछ मामला उठा था वह पंजाब मेल की यात्रा से संबंधित था जो दिन में लगभग 11.00 बजे लखनऊ से छूटती है।

(घ) रेल कर्मियों ने जो दुर्व्यवहार किया और जो नारे लगवाये उसका पूर्ण विवरण सूचना में अंकित नहीं है।

(ङ) सूचना में कहा गया है कि माननीय सदस्य विधायी कार्य से इलाहाबाद जा रहे थे। यह कौन सा विधायी कार्य था, इसका भी विवरण सूचना में अंकित नहीं है।

(च) घटना के उपरांत श्री अनुग्रह नारायण सिंह आदि मा0 अध्यक्ष मुझसे मिले थे और तदुपरांत मैंने लखनऊ मण्डल के वाणिज्य अधिकारी से बात करके उन्हें आवश्यक निर्देश भी दे दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में इस सूचना को अग्राह्य घोषित किया जाता है।]

नोट:–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

श्री मनोहर लाल सदस्य, विधान सभा का गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

7–[श्री मनोहर लाल, सदस्य, विधान सभा ने माननीय गृह मंत्री, श्री गोपी नाथ दीक्षित के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की दो सूचनायें क्रमशः दिनांक 14 मार्च, 1988 तथा 21 मार्च, 1988 को अभिसूचित की हैं। माननीय सदस्य का कथन है कि माननीय गृह मंत्री ने दिनांक 13 मार्च, 1988 को शिवली ग्राम में कांग्रेस (ई) कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उनके खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये। माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार दिनांक 19 मार्च, 1988 को ग्राम सिकन्दरपुर सरोसी में पुस्तकालय का उद्घाटन किये जाने के अवसर पर माननीय गृह मंत्री ने उनके ऊपर अभद्र, मनगढ़ंत व गलत आरोप लगाकर उन्हें तथा माननीय सदन को अपमानित किया है। माननीय सदस्य ने अपने उक्त कथन के प्रमाण में दिनांक 21 मार्च, 1988 की सूचना के साथ सम्बन्धित समाचार पत्र दैनिक जागरण के संगत अंशों की कटिंग प्रस्तुत की है। श्री मनोहर लाल ने इस विषय को सदन में प्रस्तुत कर प्रश्न उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगी है।

प्रश्नगत सूचनाओं का अध्ययन किया गया। शिकायत का आधार दैनिक जागरण में छपी खबर है। समाचार पत्र के उक्त अंशों में श्री मनोहर लाल के नाम का उल्लेख नहीं है। पूर्व में अध्यक्ष पीठ से हुये निर्णय के अनुसार केवल समाचार पत्र पर आधारित किसी सूचना के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। पूर्व में इस आशय का निर्णय भी अध्यक्ष पीठ से दिया गया है कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिये समाचार पत्र की पूरी प्रति संलग्न की जानी चाहिए, केवल उसकी कटिंग पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि यह मान लिया जाये कि माननीय गृह मंत्री ने श्री मनोहर लाल के विरुद्ध सदन के बाहर आरोप लगाये थे तो चूंकि इन आरोपों का सम्बन्ध सदन या उसकी किसी समिति से नहीं था अतः उनमें विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता।

उपरोक्त परिस्थिति में मैं उक्त दोनों सूचनाओं को अग्राह्य घोषित किया जाता है।]

श्री विश्राम दास स० वि० सभा का राजस्व राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

8–[श्री विश्राम दास, सदस्य, विधान सभा ने माननीय राजस्व राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 24 मार्च, 1988 को दी है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा है कि वाराणसी जनपद के सगरपुर गांव के हरिजनों की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक नियम 301 के अंतर्गत दी गयी सूचना के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1988 के प्रस्तर–2 में जो सूचना दी है वह तथ्यों से नितान्त परे है तथा उक्त पत्र के प्रस्तर 5 में दी गयी सूचना भी भ्रामक है। माननीय सदस्य ने इसे विशेषाधिकार हनन मानते हुए सम्पूर्ण मामले में न्यायिक जांच की मांग की है।

नोटः–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

माननीय सदस्य की सूचना का आधार उनके द्वारा नियम 301 के अंतर्गत दी गयी सूचना और राजस्व राज्य मंत्री द्वारा उसका दिया गया उत्तर है । नियम 301 की सूचना का उत्तर सदन की कार्यवाही का अंग नहीं बनता है फलस्वरूप उसके आधार पर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के माध्यम से सम्पूर्ण मामले की न्यायिक जांच की मांग की है । अतः इस मांग के आधार पर भी इसमें विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अग्राह्य घोषित किया जाता है ।]

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अंतर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें क्या सभी नाम व विषय पढ़ दूं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सभी की जरूरत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मित्रसेन, श्री राज किशोर सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश की, जिला चिकित्सालय फैजाबाद के डाक्टरों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के साथ किये गये दुर्व्यवहार विषयक सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री विजय सिंह राणा, श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना जो जनपद बांदा के थानाध्यक्ष बदौसा की लापरवाही से इंस्पेक्टर महेश सिंह की डकैतों द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में है, यह नियम 51 में वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है । शेष सूचनायें अस्वीकृत कर दी गयी हैं ।

आज की कार्यसूची की शेष मदों का स्थगन

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग में यह तय हुआ था, यह चर्चा आयी थी, उसमें हम सभी लोग बैठे हुए थे, आज चूंकि माननीय सदस्यों को घर जाना है, इसलिए आज वक्तव्य जो हैं, 25 तारीख में लगा देंगे ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, शेष जो एजेन्डा है, उसके संबंध में सब की यह राय थी कि उसे बाद में रख लिया जाय । आज सबको जाना है ।

श्री अधिष्ठाता–

वैसे 6 बजे तक जितने वक्तव्य हो जांय, उनको ले लिया जाय । फिर भी यदि सदन सहमत है तो शेष एजेन्डे को आगे रख लिया जायेगा।

नोटः–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सभी को जाना है । सभी की राय भी थी कि इसे बाद की तिथि में रख लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आज के शेष एजेन्डे को बाद की तिथि में रख लिया जायेगा । अब हम दिनांक 25-4-1988 को 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर सोमवार दिनांक 25 अप्रैल, 1988 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

11-4-1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1 पर)

शासन के अधीन जो सरकारी सेवक कार्यरत हैं उनको विभाग के बाहर जनहित में भेजने के मामले निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :—

(1) प्रतिनियुक्तियां

(2) बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण ।

(3) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण ।

(1) प्रतिनियुक्ति—

जब किसी सरकारी सेवक को भारत सरकार के अधीन या किसी अन्य राज्य शासन के अधीन किसी पद पर भेजा जाता है तो यह उनकी प्रतिनियुक्ति कहलाती है । प्रतिनियुक्ति के संबंध में नियमों में अलग से कोई प्राविधान नहीं है । प्रतिनियुक्ति की शर्तें जिस शासन के अधीन सरकारी सेवक को भेजा जाता है उनकी सहमति से तय की जाती हैं और आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी होते हैं । केवल पुलिस महानिरीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों भारत सरकार के अधीन 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेज सकते हैं । किन्तु 6 वर्ष के बाद पुलिस कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि वित्त विभाग की सहमति से ही स्वीकृत की जाती है । प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—4379/2-का-661-1957, दिनांक 19 नवम्बर, 1959 में तीन वर्ष की अवधि निर्धारित है किन्तु अपवादित स्थितियों में यह अवधि सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जानी चाहिए । प्रतिनियुक्ति के मामलों में सरकारी सेवक को यह अधिकार रहता है कि वह अपने पैतृक विभाग का वेतनमान तथा उस पर 20 प्रतिशत (भारत सरकार द्वारा यह दर अब पुनरीक्षित कर दी गयी है) की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता या उस सरकार का वेतनमान ले ले जहां पर उसको प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है । यदि प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक अपने पैतृक विभाग का वेतनमान लेने का विकल्प देता है तो उसको मंहगाई भत्ता राज्य शासन की दरों से अनुमन्य किया जाता है । यदि सरकारी सेवक उस शासन का वेतनमान लेने का विकल्प देता है जहां उसको प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है तो उस शासन में उसको मंहगाई भत्ता उसी शासन की दरों से अनुमन्य किया जाता है ।

(2) बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण—

बाह्य सेवा दो प्रकार की होती है । देश के भीतर तथा देश के बाहर । विदेश में बाह्य सेवा की शर्तें भारत सरकार तथा जिस देश में सरकारी सेवक की नियुक्ति होती है उस देश की सरकार के परामर्श से तय की जाती हैं तथा आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जाते हैं ।

देश के भीतर अथवा प्रदेश में स्वशासी संस्थाओं में जब किसी सरकारी सेवक को (लिपिक वर्गीय कर्मचारी को छोड़कर) भेजा जाता है तो वह उनकी वाह्य सेवा कहलाती है। वाह्य सेवा चाहे विदेश में हो और चाहे देश में या प्रदेश के भीतर हो, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2-4 के मूल नियम 110 के अधीन स्वीकृत की जाती है । देश के भीतर वाह्य सेवा स्वीकृत करने के लिए वित्त विभाग ने दिनांक 22 मई, 1982 को विस्तृत आदेश जारी किए हैं और इन आदेशों के साथ वाह्य सेवा की मानक शर्तें भी संलग्न की गयी हैं । इन मानक शर्तों के अधीन प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों (लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को छोड़कर) को पांच वर्ष की अवधि के लिए भेज सकते हैं । पांच वर्ष की अवधि के लिए वाह्य सेवा में वृद्धि के लिए वित्त विभाग की सहमति लेना आवश्यक है।

देश के भीतर वाह्य सेवा के मामलों में सरकारी सेवकों को वाह्य सेवायोजक का वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जाता है वरन उनको अपने पैतृक विभाग का ही वेतनमान तथा उस वेतनमान में वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि इसकी अधिकतम धनराशि 250 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो और प्रतिनियुक्ति भत्ते तथा सरकारी सेवक के मूल वेतन का योग 2850 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो । विदेश में वाह्य सेवा पर जो विदेशी सरकार अपने शर्तों के अनुसार सरकारी सेवक को वेतन आदि के लिए जो शर्त रखती है वह मान ली जाती है । सामान्यतया 5 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं है ।

देश अथवा प्रदेश के भीतर किसी स्वशासी संस्था में सरकारी सेवक को वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किए जाने की दशा में वाह्य सेवायोजक वाह्य सेवा अवधि के लिए अवकाश/पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए शासन के प्रति उत्तरदायी होता है । वाह्य सेवा पर भेजने में एक यह भी प्रतिबन्ध है कि उस सरकारी सेवक को वाह्य सेवा पर न भेजा जाय जिसकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो गयी हो ।

(3) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण–

उत्तर प्रदेश शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में सरकारी सेवकों को स्थानान्तरित किए जाने पर कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होता है । यदि किसी सरकारी सेवक को जनहित में शासन के ही अधीन एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति न तो प्रतिनियुक्ति कहलाती है और न ही वाह्य सेवा बल्कि इसे साधारण स्थानान्तरण ही माना जाता है । ऐसी नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि जिस विभाग को जिस विभाग के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है वे उस विभाग से सम्पर्क स्थापित करके अपनी आवश्यकतानुसार सरकारी सेवकों को नियुक्त कर लेते हैं । ऐसी नियुक्तियों के लिए किसी प्रकार की अवधि सीमा निर्धारित नहीं है क्योंकि सामान्यतया

इस प्रकार के कर्मचारियों पर स्थानान्तरण की सामान्य नीति लागू नहीं होती है और न ही कोई प्रक्रिया ही निर्धारित की गयी है । आवश्यकतानुसार एक विभाग में दूसरे विभाग के सरकारी सेवकों को नियुक्त कर लिया जाता है । यदि किसी सरकारी सेवक को किसी विशेष कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है तो उस कार्य के समाप्त हो जाने पर सरकारी सेवकों को उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया जाता है ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

भवन हीन विद्यालय जिनका निर्माण वर्ष 1980-88 तक हुआ।

ता0 प्र0 सं0 6

1–प्रा0 पा0 टढेडा

2–प्रा0 पा0 इश्हा कवाला

3–प्रा0 पा0 कासमपुर खेला

4–प्रा0 पा0 नंगलोमहा सिंह

5–प्रा0 पा0 कैलासपुर जसमौर

6–प्रा0 पा0 नया गांव जादर

7–प्रा0 पा0 रसूलपुर गढ़ी

8–प्रा0 पा0 रामराज

9–प्रा0 पा0 जन्थेडो

10–प्रा0 पा0 सभलहेडा

11–प्रा0 पा0 पुठ्ठा

12–प्रा0 पा0 कवाल

13–प्रा0 पा0 ढासरी

14–प्रा0 पा0 मीरापुर दलपत

15–प्रा0 पा0 लाडपुर

16–प्रा0 पा0 खेडी सराय

निर्माणाधीन विद्यालय

1–प्रा0 पा0 स्यालो

2–प्रा0 पा0 काटकां

3–प्रा0 पा0 जानसठ

4–जू0 हा0 स्कूल, कासमपुर खेला

स्वीकृत विद्यालय

1–प्रा0 पा0 मुफेडा

2–प्रा0 पा0 भूलवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर।)

श्री बिहारी लाल दोहरे द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–57 का संलग्नक

फर्रुखाबाद जनपद के जू0हा0स्कूलों की कुल संख्या				जनपद के समस्त कृषि फार्म युक्त	वर्ष 1980 से 1987 तक कृषि उपज			
क्रम-सं0	परिषदीय	राजकीय	सहा0 अ0सहा0 योग	जू0हा0स्कूल के नाम	80	81	82	83
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	172	02	29/0	203	रा0वि0	5.16	7.57	1.20	1.71
2					जू0रज0	388.86	374.66	318.22	100.38
3					जू0रजिपुर	12.50	8.30	9.80	8.00
4					,, जहानगंज	25.30	4.70	11.00	8.00
5					,, जाफर	0.45	0.45	1.35	3.00
6					,, धीरपुर	0.00	0.16	..	..
7					,, जनसठ	11.02	5.40	10.05	1.90
8					,, विलसौड़	8.00	8.75	..	..
9					,, गठबाबा	15.00	2 57	1.06	2.52
10					,, सिकन्दरपुर	0.00	0.00	12.25	0.00
11					,, कलम्बा	0.50	2.00	1.20	2.23
12					जू0जलामाबाद	0.35	0.03	0.32	0.44
13					,, पिपरगांव	5.60	18.54	11.84	14.45
14					,, सल्दापुर	2.75	4.00	4.50	2.40
15					,, रोशनाबाद	0.35	112.00	10.25	7.15
16					,, निजामपुर	0.40	0.60	0.61	0.60
17					,, इन्दरगढ़	9.37	8.63	12.36	13.82
18					ललुइया बलनपुर	5.00	1.32	1.53	..
19					जु0 समेरिस	8.85	18.66	14.19	21.02
20					,, गुरसहायगंज	1.67	6.65	4.15	2.07
21					,, फतेहपुर	1.37	3.63	2.00	9.00
22					जु0सरनगर	..	..	..	..
23					,, सराय प्रयाग	0.00	2.31	0.00	2.85
24					अ0जू0हा0स्कूल आ0बि0फतेहगढ़	0.00	0.00	1.62	1.40
25					आ0वि0फतेहगढ़	..	.	0.30	..
					योग ..	502.58	626.92	429.69	202.67
					महायोग ..	2347कुन्टल	26 किलो ग्राम		

कुन्टल में				ऐसे कृषि फार्म में		
84	85	86	87	युक्त जू0हा0 स्कूलों की तालिका जिनकी खेती पर दूसरों का कब्जा है	कब्जा छुड़ाने के लिये किये गये कार्य का विस्तृत विवरण अलग-अलग	विशेष
11	12	13	14	15	16	17
4.50	4.50	2.10	0.0	..	..	प्र0अ0 नहीं है
19.37	12.11	8.65	14.76			
..	..	..	..	..	..	प्र0अ0 नहीं है
6.00	1.40	2.40	2.44	..	..	
1.10	70.00	47.50	1.10	..	..	
..	..	..	..	..	..	प्र0अ0 नहीं है
4.75	5.00	3.50	3.00			
..	2.10	2.05	3.65			
..	2.77	4.15	0.00	..	..	प्र0अ0 नहीं है
..	2.50	4.50	..			
1.50	1.50	1.50	1.00	..	..	प्र0अ0 नहीं है
0.43	0.42	0.35	0.39			
4.12	35.32	3.15	0.00	..	..	प्र0अ0 नहीं है
0.00	0.00	0.00	0.00	..	..	प्र0अ0 नहीं है
7.70	1.66	7.01	7.07	..	..	प्र0अ0 नहीं है
3.00	3.00	1.20	0.00			
4.86	14.57	6.32	10.38			
..	..	..	..	6.16 एकड़ कुल फार्म थी जिसमें से 2 एकड़ अच्छी सिंचित भूमि पर प्रवन्धक ने कब्जा कर लिया। प्रबन्धक को भूमि छोड़ने के सम्बन्ध में लिखा गया परन्तु उस पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।		
21.40	23.39	21.30	23.60			
7.85	10.40	8.30	0.00			
11.50	12.06	23.10	26.00			
..	..	..	..	..	..	प्र0अ0 नहीं है
..	..	..	..	..	..	तदेव
1.72	1.64	..	..	..	..	तदेव
0.70	1.40	..	..	..	..	तदेव
136.20	205.74	147.17	96.29			

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

नत्थी 'ब'

(देखिए अता0प्र0सं0-72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर।)

खण्ड विकास अधिकारी हिलौली के माध्यम से निर्मित सम्पर्क मार्ग के लिए अवमुक्त संसाधन एवं रोजगार सृजन का विवरण (अतारांकित प्रश्न संख्या-72 का संलग्नक)

क्रम-सं0	वर्ष एवं योजना	नकद धनराशि (रु0)	खाद्यान्न (मूल्य रु0 में)	मजदूरों की संख्या	कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1986-87				
1	राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम	31,700	1,88,595	1534	564
	वर्ष 1987-88				
2	राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम	38,600	19,600	282	322
3	सूखा राहत कार्यक्रम	1,58,200	78,500		

पी0एस0यू0पी0—एल0 112 वि0सभा (171)—1988—813।